वन विभाग, राजस्थान

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2024-25

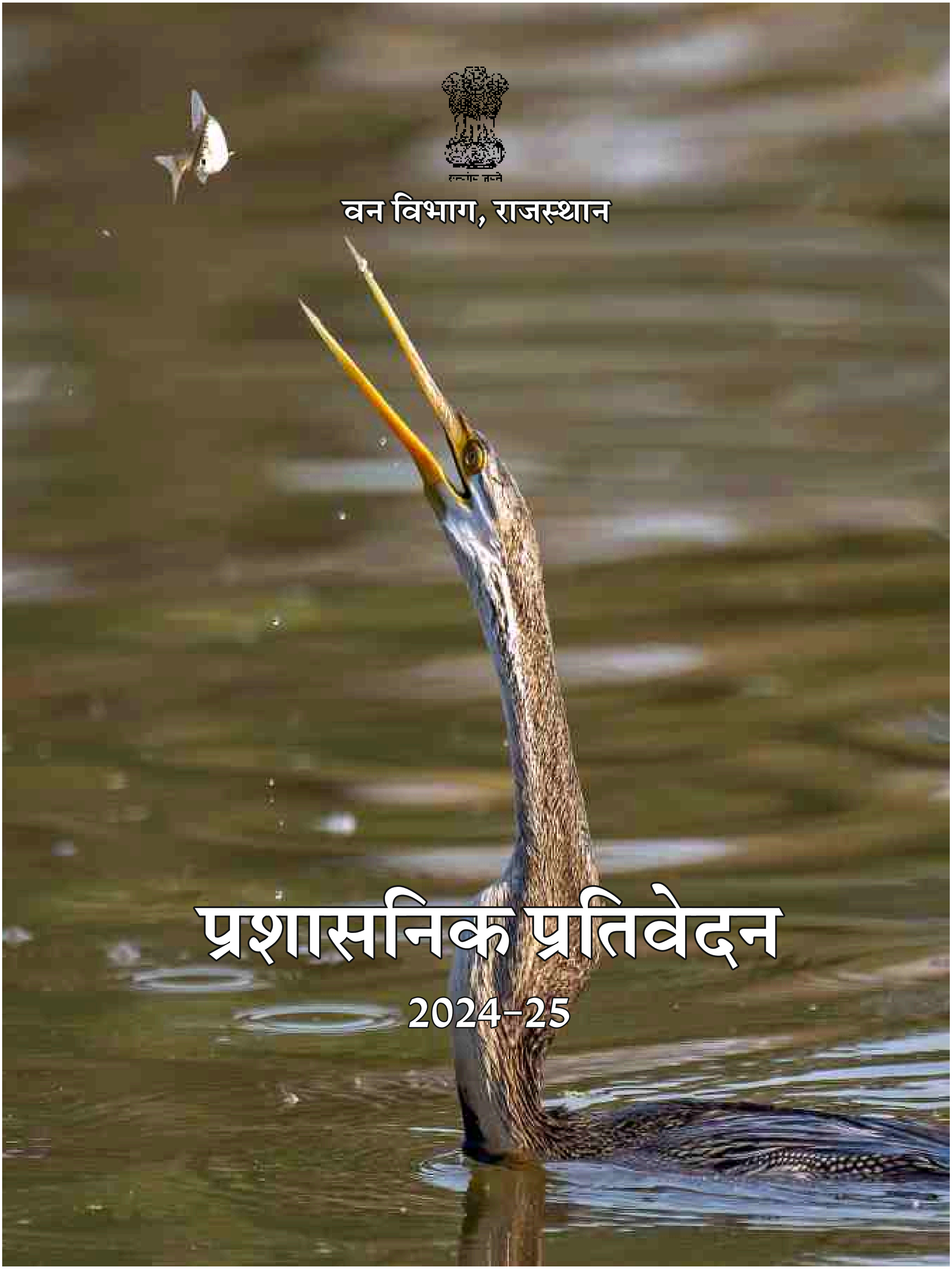

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
2024-25

वन विभाग, राजस्थान

www.forest.rajasthan.gov.in

मुख्य पृष्ठ: **Oriental Darter** छाया: अरिजीत बनर्जी **(IFS)**

सत्यमेव जयते

श्री अरिजीत बनर्जी IFS
प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन बल प्रमुख),
राजस्थान
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
जयपुर
फोन : 0141-2700016

प्राक्कथन

वर्तमान समय में स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलते भौगोलिक परिदृश्य के कारण वनों का विकास एवं वन संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की महती आवश्यकता प्रतीत हो रही है, चूँकि वन संसाधनों एवं पर्यावरणीय/पारिस्थितिकीय सुरक्षा का मानव जीवन की दैनिक आवश्यकताओं से गहरा संबंध है, साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले दुष्परिणामों को कुछ हद तक नियंत्रित करने में भी वनों की एक विशेष भूमिका है।

प्रदेश की विषम जलवायु परिस्थितियों एवं वन क्षेत्रों पर बढते हुए जैविक दबाव को दृष्टिगत रखते हुए वन विभाग द्वारा, नवीन वन नीति 2023 प्रतिपादित कर आगामी दो दशको में वन क्षेत्रों के बाहर वनस्पति आवरण बढाने पर जोर देकर वनस्पति आवरण को राज्य के भोगोलिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत तक बढाने का उद्धेश्य है। प्रदेश के वनावरण में उत्तरोत्तर बढोतरी एवं जल सरक्षण के लिए विभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त नवीन परियोजनाऐं "Rajasthan Forestry and Biodiversity Project-2 (RFBP-2)" JICA, Japan से तथा "Rajasthan Forestry and Biodiversity Development Project (RFBDP)", AFD, France के वित्तीय सहयोग से संचालित है।

राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2024–25 के मिशन 'हरियालो राजस्थान' के अन्तर्गत एक जिला–एक वृक्ष कार्यक्रम लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिये वहॉ के पारिस्थितिकी तंत्र एवं जलवायु परिस्थितियों के अनुसार एक विशिष्ट वृक्ष प्रजाति का चयन किया गया है जिससे वृक्ष प्रजाति को जिलेवार बड़े पैमाने पर तैयार कर संवर्द्धित एवं संरक्षित कियाा जा सकेगा। इस कम में प्रकाशित पुस्तक "एक जिला एक वृक्ष प्रजाति" विभाग एवं आमजन के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

5 जून, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ''एक पेड़ माँ के नाम'' अभियान की शुरूआत की गयी। राज्य को आवंटित 3 करोड़ लक्ष्य के विरूद्ध अब तक **Merilife** पोर्टल पर 5.62 करोड़ पौधे अपलोड किये जा चुके है। जिसकी सराहना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात संस्करण 114 में की गयी है।

विभाग में वन्यजीव संरक्षण एवं वन संवर्द्धन हेतु आमजन से सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से वन मित्र योजना शुरू की जाकर 2674 वन मित्रों का चयन किया जा चुका है। राज्य में पहली बार एक दिन (07.08.2024) में अभियान रूप में 1 करोड़ 58 लाख पौधें लगायें गये। पहली बार अभियान के तहत 2.8 लाख हैक्टेयर अधिसूचित वन क्षेत्र को राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया गया जिससे भविष्य में भूमि संबंधी विवादों में कमी आयेगी। पहली बार वन भूमि रहित 19,000 राजस्व गांवों की सूची आमजन हेतु विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करायी गयी। इन गांवों में विभाग से संबंधित NOC की आवश्यकता नहीं होगी।

JICA Dx Lab की सहायता से राजस्थान के Forest Stack को विकसित करने के उद्धेश्य से प्रथम चरण में सिरोही, पाली एवं भीलवाडा वनमण्डलों का चयन कर कार्य आरंभ कर दिया गया है।

इस वर्ष प्रदेश में माह दिसम्बर 2024 तक 118368.29 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है तथा इस अवधि में 409.41 लाख पौधे आमजन को वितरित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान वन नीति, 2023 के लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिगत, अब वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण प्रोत्साहित करने के लिये ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों एवं जन साधारण के सहयोग से एक वृहद् वृक्षारोपण कार्यक्रम ट्री आउट साईड फोरेस्ट एरिया (TOFR) के रूप में चलाये जाने के क्रम में वर्ष 2024–25 में 4.00 करोड पौधे तैयार किये जायेगे।

विभाग में प्लास्टिक मुक्त वन/वन्यजीव क्षेत्रों की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए संरक्षित क्षेत्रों/टाईगर रिजर्व में मई 2024 से प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है।

इस वर्ष वन्यजीव क्षेत्रों में विस्तार करते हुए वन मण्डल भीलवाड़ा के अधीन आसोप कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित होने के उपरान्त प्रदेश में कन्जर्वेशन रिजर्व की कुल संख्या 37 हो गयी है। इसके अलावा प्रदेश में विभिन्न पारिस्थितिकीय

तंत्रों से विलुप्त हुए वन्यजीवों को पुनर्स्थापित करने के लिए बाघ, चीतल, सांभर, काला हिरण एवं भालू इत्यादि का सफलतापूर्वक पुनर्स्थापन किया गया है तथा आमागढ़, माउण्ट आबू, खेतडी बांसियाल, बीड झुन्झुनू, मनसा माता, जयसमन्द, कुम्भलगढ़ एवं रावली टाडगढ़ क्षेत्रों में पर्यटन प्रोत्साहन के लिये सफारी आरम्भ की गई है। साथ ही शहरी पर्यटन को बढावा देने के उद्धेश्य से नाहरगढ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर में 30 हैक्टेयर क्षेत्र में टाईगर सफारी क्षेत्र विकसित किया गया है। राज्य पक्षी गोडावण (Critically Endangered) के कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के रामदेवरा स्थित गोडावण प्रजनन केंद्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून और राजस्थान वन विभाग की टीम ने कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का उपयोग कर दिनांक 16.10.2024 को गोडावण के चूजे के जन्म में सफलता प्राप्त की है। गोडावण का यह पहला सफल कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination), इस अतिसंकटग्रस्त प्रजाति के पक्षी के लिए किये जा रहे संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विभाग अपने प्रशासनिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभाग की गतिविधियों का पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष सभी की जानकारी के लिये प्रस्तुत करता है। इसी क्रम में विभाग का वर्ष 2024—25 का प्रशासनिक प्रतिवेदन आपके सम्मुख है। इस प्रतिवेदन को बनाने एवं सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा योगदान दिया गया है, जिसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

मुझे विश्वास है कि यह प्रतिवेदन सभी के लिये लाभकारी होगा।

(अरिजीत बनर्जी)

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
•	कार्यकारी सारांश	
अध्याय		
1.	राजस्थान का वन संसाधन : एक परिचय	1
2.	प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली	7
3.	वन सुरक्षा	16
4.	वानिकी विकास	33
5.	मृदा एवं जल संरक्षण	54
6.	मूल्यांकन एवं प्रबोधन	61
7.	वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबन्धन	67
8.	कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त	75
9.	वन अनुसंधान	79
10.	विभागीय कार्य योजना	89
11.	तेन्दू पत्ता योजना	95
12.	सूचना प्रौद्योगिकी	99
13.	मानव संसाधन विकास	105
14.	वर्ष 2024–25 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति	111
15.	100 दिवसीय कार्य योजना एवं प्रगति	121
	परिशिष्ट	
I.	जिलेवार वन क्षेत्र का वर्गीकरण	125
II.	वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों का विवरण	127
III.	ईको सेन्सेटिव जोन घोषित करवाने संबंधी प्रगति	129
IV.	राज्य योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति	133
V.	राजस्व प्राप्तियां	137
VI.	वार्षिक योजना की भौतिक प्रगति	139
VII.	बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण संबंधी उपलब्धियां	140
VIII.	विभाग से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की स्थिति	142
IX.	नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक व जन लेखा समिति के प्रतिवेदन	143

कार्यकारी सारांश

प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 33014 वर्ग कि.मी. हैं, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.64 प्रतिशत है। राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं, जो कि क्रमशः 12198.71, 18631.13 और 2184.16 वर्ग कि.मी. है। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2023 के अनुसार राज्य का वनावरण **(Forest Cover)** 16548.21 वर्ग कि.मी. तथा वृक्षावरण **(Tree Cover)** 10841.12 वर्ग कि.मी. है अर्थात राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 27389.33 वर्ग कि.मी है जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8 प्रतिशत है।

वन विभाग के प्रमुख विभागाध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर हैं, जिनके द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी दायित्व का निर्वहन किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) के दायित्व निर्वहन में सहयोग हेतु राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं। प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं तथा प्रत्येक वन मंडल में सहायक वन संरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। वन मंडल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज होती हैं, जिसके प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती हैं, जिसके प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते हैं। नाके के अन्तर्गत बीट का क्षेत्र होता है, जिसका प्रभारी वनरक्षक अथवा वृक्षपालक होता हैं एवं यह वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है।

विभाग में सहायक वन संरक्षक के 127 एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी –प्रथम के 115 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयन उपरान्त प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद 72 सहायक वन संरक्षक एवं 95 क्षेत्रीय वन अधिकारी– प्रथम को फील्ड स्तर पर पदस्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 43 प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक केन्द्रीय राज्य वन सेवा अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणाधीन हैं। विभाग में वनपाल के 148 एवं वनरक्षक के 2646 के पदों को भरने हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, जयपुर द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयन उपरान्त अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वनपाल के 134 एवं वनरक्षक के 2533 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है एवं शेष पदों पर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्ती दलों का गठन किया गया है। सुदूरवर्ती वन नाका/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलेस सैट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं एवं कतिपय क्षेत्रों में वनकर्मियों को हथियार भी उपलब्ध करवाये गये है। वन सम्पदा के रक्षण तथा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु स्वैच्छिक योगदान देने वाले 2781 व्यक्तियों का वन मित्र के रूप में पंजीयन किया गया है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के प्रावधानों अंतर्गत प्रदेश में वन भूमि पर दिनांक 13.12.2005 से पूर्व काबिज आदिवासियों को नियमानुसार वनाधिकार पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में उक्त अधिनियम की क्रियान्विति के लिए नोडल विभाग जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उप मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिसमें वन अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। वन अधिकारों की पहचान करने हेतु ग्रामसभाओं द्वारा "वन अधिकार समितियां" गठित की गई है। जिनके द्वारा ग्रामसभाओं को प्रेषित दावों की छानबीन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। उप मण्डल स्तरीय समिति के पास ग्रामसभाओं से प्राप्त प्रस्तावों का कमेटी द्वारा परीक्षण कर अपनी अभिशंषा जिला स्तरीय समिति को

प्रेषित की जाती है। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण कर वन अधिकार पत्र दिये जाने के बारे में निर्णय लिया जाता है।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग (नोडल विभाग) की विभागीय वेबसाईट के अनुसार प्रदेश में जनवरी, 2024 तक कुल 121691 दावे विभिन्न ग्रामसभाओं में प्राप्त हुए। इनमें से व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र 49102 (27903.08 हेक्टेयर) तथा सामुदायिक वन अधिकार पत्र 2741 (113584.86 हेक्टेयर) कुल 51843 (141487.94 हेक्टेयर) वन अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संशोधित नियम–2023 दिनांक 01.12.2023 से प्रभावशील है, जिसके द्वारा नवीन प्रस्ताव ऑनलाइन परिवेश–2.0 पोर्टल पर अपलोड किए जाने का प्रावधान किया गया है, इसके अंतर्गत 5 हैक्टेयर वन भूमि से कम के प्रत्यावर्तन क्षेत्र का परीक्षण उप वन संरक्षक स्तर पर एवं 5 हैक्टेयर वन भूमि से अधिक प्रत्यावर्तन क्षेत्र का परीक्षण नोडल स्तर से किया जावेगा।

इस वर्ष प्रदेश में माह दिसम्बर तक 109798.10 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है तथा इस अवधि में 409.41 लाख पौधे आमजन को वितरित किये गये हैं। वन विभाग द्वारा दो नवीन परियोजनाऐं ''Rajasthan Afforestation and Biodiversity Conservation Project (RABCP)" JICA जापान के सहयोग से 19 जिलों में तथा ''Rajasthan Forestry and Biodiversity Development Project (RFBDP)" AFD फ्रांस के सहयोग से 13 जिलों में वित्त पोषित करवाई जा रही है।

राजस्थान में वन भूमि का वनेतर उपयोग करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए प्रयोक्ता अभिकरण से सीए, एनपीवी, एपीसीए, पीसीए, वन्यजीव प्रबन्धन संबंधी शर्तें अधिरोपित कर राशि संग्रहण की जाती है । उक्त राशि के द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना एवं वन भूमि/वनों के क्षतिपूर्ति के लिए एकत्रित राशि से वन एवं वन्यजीव सुरक्षा, विकास, प्रबन्धन किये जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वनारोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली, 2018 को दिनांक

30.09.2018 से प्रभावशील किया गया है । इन अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा कुल राशि रू. 2109.04 करोड राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण को स्थानांतरित की जा चुकी है। वर्ष 2024—25 की वार्षिक कार्य योजना राशि रू. 198.44 करोड भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई तथा माह दिसम्बर 2024 तक राशि रू. 42.92 करोड का व्यय हो चुका है।

राज्य में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित विकास कार्यों की गुणवत्ता विदित करने एवं सुनिश्चित करने के मद्देनजर मूल्यांकन कार्यों हेतु सम्भागीय स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाई सृजित है। सभी मूल्यांकन इकाईयों के प्रभारी उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी हैं। विभागीय वृक्षारोपण कार्यों में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा तैयार एक नवीन मोबाईल एप ''वृक्षारोपण निगरानी एप'' भी जारी किया गया है।

विभाग अन्तर्गत शोध एवं अनुसंधान कार्यों के लिये वर्ष 1955 में राज्य वनवर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मंडल की स्थापना की गई। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा रहा हैं। उन्नत व निरोगी बीजों के लिये वनवर्धन कार्यालय द्वारा निरोग वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर, उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर वही से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर, राज्य के विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है। राज्य में कुल 31 बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित किये गये हैं। वन अनुसंधान कार्यो की निरन्तरता एवं उनको विभागीय आवश्यकता अनुरूप दिशा निर्देश देने के लिये विभाग में वर्ष 2005—06 में एक शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) का गठन किया हुआ है।

राज्य में वन सम्पदा जैसे कि काष्ठ व अकाष्ठ तथा लघु वन उपजों का दोहन व मूल्य संवर्धन कर सुनियोजित तरीके से बाजार में आमजन के उपभोग हेतु

उपलब्ध कराना, वन क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्रों में ईको– पर्यटन तथा उससे जुड़ी गतिविधियों व सेवाओं के संचालन के उद्धेश्यों को पूर्ण करने के लिए राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (RSFDCL) का गठन किया जाकर ''कम्पनीज ऑफ रजिस्ट्रार'' में कम्पनीज एक्ट, 2013 अनुसार दिनांक 16.12.2020 को रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा निगम मे 154 पद स्वीकृत किये गये है जिसमें 28 पद अतिरिक्त कार्यभार से एवं 40 पद विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भर लिये गये है।

विभाग में ई–गवर्नेंस गतिविधियों को गति प्रदान करने एवं सफलतापूर्वक इनको सम्पादित करने के लिये ई–गवर्नेंस सैल का गठन किया गया है। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत नवीन इन्टीग्रेटेड पोर्टल–forest.rajasthan.gov.in को विकसित कराया गया है। यह विभाग की विभिन्न जानकारियॉ, गतिविधियॉ, परियोजनाओं एवं अनेक कार्यकलापों को आमजन तक पहुचाने का एक सुगम माध्यम है। यह पोर्टल नागरिकों को विभाग की सेवाएं एवं सूचनाएं प्रदान करने हेतु उपयोगी है।

विभाग में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर पर विभाग की गतिविधियों, योजनाओं एवं कार्यकलापों से संबंधित सूचनाओं को रोचक तरीकों से आमजन तक उपलब्ध कराने हेतु तथा वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण हेतु ग्राफिक्स, वीडियो, सूचनाओं एवं अन्य गतिविधियों को दैनिक रूप से पोस्ट किया जा रहा है।

विभाग में विभागीय गतिविधियों हेतु तैयार पोर्टल FMDSS 2.0 को अधिक सक्षम और तकनीकी रूप से नवीनतम सुविधाओं सहित तैयार किया जाकर, अरण्यक के नाम प्रारम्भ किया गया है। इसके अंतर्गत पूर्व में विकसित जन सुविधाओं जैसे सफारी बुकिंग, एन०ओ०सी० आवेदन, अमृतादेवी पुरस्कार एवं अन्य आवेदन की सुविधाओं का उन्नतीकरण एवं विभागीय स्तर के कार्यो के अंतर्गत एनालिटिक्स व अन्य आवश्यक फीचर्स को जोड़ा जाकर बेहतर बनाने का कार्य किया गया है।

विभाग में राज–काज पोर्टल द्वारा भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा एवं अन्य सेवाओं के सभी अधिकारियो एवं कर्मचारियों के अवकाशों (कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकृत होने वाले अवकाशों के अतिरिक्त) का आवेदन एवं स्वीकृति तथा ई–फाईल का कार्य किया जा रहा है। ऑनलाईन माध्यम से APARs, IPRs & Store Modules (Selected Offices) के अतिरिक्त विभाग में फील्ड स्तर पर कार्मिकों की उपस्थिति की सुनिश्चितता के लिये राज्य सरकार द्वारा बनाये गये ए०एम०एस० मॉड्यूल को आरम्भ किया गया है।

राजस्थान वन नीति, 2023 के लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिगत, वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण प्रोत्साहित करने के लिये ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों एवं जन साधारण के सहयोग से वृहद् वृक्षारोपण कार्यक्रम ट्री आउट साईड फोरेस्ट एरिया (TOFR) के रूप में चलाये जाने के क्रम में वर्ष 2024–25 में 4.00 करोड पौधे तैयार किये जायेगे।

वनों पर बढ़ते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं वन्यजीवों के सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नए प्रयोगों, नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी के उपयोग को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के समस्त संवर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त संबंधित व्यक्तियों/छात्र–छात्राओं/संस्थाओं को प्रशिक्षण देने हेतु चार संस्थान यथा राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर, मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर एवं वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केन्द्र, तालछापर चूरू में स्थित है। प्रशिक्षण कार्यों की राज्य के वन एवं वन्यजीव प्रबन्धन के सन्दर्भ में उपयोगिता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैद्यता को बढाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रविधियों में सुधार तथा नवीन शोध पर आधारित पाठ्य सामग्री का संयोजन तथा संकाय सदस्यों की दक्षता वृद्धि, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

राज्य में 4 जैविक उद्यान क्रमशः माचिया जैविक उद्यान, सज्जनगढ जैविक उद्यान, नाहरगढ जैविक उद्यान एवं अभेड़ा जैविक उद्यान विकसित किये गये हैं जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। वर्तमान में बीकानेर में मरूधरा जैविक उद्यान विकसित किया जा रहा है। राज्य में जयपुर एवं उदयपुर स्थित जन्तुआलयों को बर्ड पार्क के रूप में विकसित किया जा चुका है।

प्रदेश के पॉचवें टाईगर रिजर्व के रूप में धौलपुर, करौली टाईगर रिजर्व को घोषित किया गया हैं। राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीव प्रबन्धन के लिए वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Project Tiger", "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Elephant" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

Critically Endangered राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु भारत–सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राज्य सरकार में हुए त्रिपक्षीय करार के अनुसार सम में गोडावण का कृत्रिम प्रजनन आरम्भ कर दिया गया है। गोडावण के कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के रामदेवरा स्थित गोडावण प्रजनन केंद्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून और राजस्थान वन विभाग की टीम ने कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों का उपयोग कर दिनांक 16.10.2024 को गोडावण के चूज़े के जन्म में सफलता प्राप्त की है। गोडावण के कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत गोडावण पक्षी के 45 चूजों का पालन पोषण हो रहा हैं। इसके अलावा खरमोर पक्षी (Lesser Florican) के संरक्षण के प्रयास भी आरंभ किये जाकर 12 चूज़ों का पालन पोषण हो रहा हैं।

लेपर्ड संरक्षण एवं पर्यटन के दृष्टिगत ''प्रोजेक्ट लेपर्ड'' के तहत सर्वप्रथम झालाना जयपुर को चयनित किया जाकर इसमें लेपर्ड सफारी प्रारम्भ की गई। वर्तमान में झालाना, आमागढ़, कुम्भलगढ़, रावली टाडगढ़, जयसमन्द, शेरगढ़ (बारां), माउण्ट आबू, खेतडी बांसियाल, जवाई बांध, बस्सी एवं सीतामाता अभयारण्य क्षेत्रों को प्रोजेक्ट लेपर्ड में सम्मिलित किया जाकर विशेष प्रबंधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट एलीफेन्ट अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 हेतु राशि रुपये 32.00 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है।

प्रदेश की विषम जलवायु परिस्थितियों एवं वन क्षेत्रों पर बढते हुए जैविक दबाव को दृष्टिगत रखते हुए, विभाग द्वारा राज्य वन नीति के अनुरूप निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जन सहभागिता से संचालित वन विकास एवं वन संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आने लगे हैं।

वन विभाग राजस्थान राज्य में वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन एवं समग्र विकास हेतु सदैव तत्पर, एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित परिवार हैं, जिसका प्रत्येक सदस्य विभाग में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रतिबद्ध है।

अध्याय–1

राजस्थान के वन संसाधनः एक परिचय

भारतीय वन सर्वेक्षण,देहरादून अनुसार 23^0 40′ एवं 30^0 11′ उत्तरी अक्षांश तथा $69^0$29′ एवं $78^0$17′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित 3,42,239 वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तृत राजस्थान प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है।राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.64 प्रतिशत भू–भाग पर वन क्षेत्र है तथा अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से देश में 15वें स्थान पर है।राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग मरूस्थलीय या अर्द्धमरूस्थलीय है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है। राज्य के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं यत्र–तत्र विद्यमान है। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के मरूस्थलीय एवं गैर मरूस्थलीय भागों को अलग करती है।

1.1 वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति

भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 अनुसार प्रदेश में कुल अभिलेखित वनक्षेत्र(Recorded Forest Area) 32869 वर्ग कि.मी. है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

क्र.सं.	वैधानिक स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	प्रतिशत
1.	आरक्षित वन (Reserve Forest)	12176	37.05
2.	रक्षित वन (Protected Forest)	18588	56.55
3.	अवर्गीकृत वन (Unclassed Forest)	2105	6.40
	योग	32869	100

Source:–India State of Forest Report–2023

1.2 भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2023

देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) द्वारा वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिये 1987 से प्रत्येक दो वर्ष पर सुदूर संवेदन (Remote Sensing) आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट' जारी की जाती है। इसी क्रम में भारतीय दूर–संवेदी उपग्रह (IRS Resourcesat-2 LISS III Satellite) से माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2021 की अवधि में प्राप्त आँकड़ों का उपयोग किया जाकर भारत राज्य वन रिपोर्ट(India State of Forest Report)–2023 जारी की गई जो इस श्रृंखला में 18वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य के क्रम में प्रकाशित सूचना के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं:–

1.2.1 Forest Cover in Rajasthan

Forest Cover Type	Area (in Sq Kms)	% of Calculated Area by Survey of India
VDF- Very Dense Forest (>70% Crop Density)	223.20	0.07
MDF-Moderately Dense Forest (40-70% Crop Density)	4237.41	1.24
OF- Open Forest (10-40% Crop Density)	12087.60	3.53
Total	16548.21	4.84
Scrub (< 10% Crop Density)	5476.75	1.60

Source :- India State of Forest Report-2023

1.2.2 Area Statistics of the Forest types Found in Rajasthan

As per the Champion & Seth Classification of Forest Types (1968), The forests in Rajasthan belong to two type groups i.e. Tropical Dry Deciduous and Tropical Thorn Forests which are further divided into 20 Forest Types.The Percentage area under different forest types of Rajasthan is given below:

S.No.	Forest Type	% of Forest
1	5A/C1a Very Dry Teak Forest	4.87
2	5A/C1b Dry Teak Forest	0.20
3	5B/C2 Northern Dry Mixed Deciduous Forest	38.15
4	5/E1/DS1 Dry Deciduous Scrub	11.41
5	5/DS2 Dry Savannah Forest	0.01
6	5/E1 *Anogeissus pendula* Forest	14.72
7	5/E1/DS1 *Anogeissus pendula* Scrub	2.31
8	5/E2 *Boswellia* Forest	0.69
9	5/E5 *Butea* Forest	0.24
10	5/E6 *Aegle* Forest	0.01
11	5/E8a Phoenix /savannah Forest	0.01
12	5/1S1 Dry Tropical Riverain Forest	0.22
13	5/1S2 Khair Sissu Forest	1.47
14	6B/C1 Desert Thorn Forest	3.76
15	6B/C2 Ravine Thorn Forest	1.49
16	6B/DS1 *Zizyphus* Scrub	0.82
17	6/DS2 Tropical *Euphorbia* Scrub	0.01
18	6/E1 *Euphorbia* Scrub	0.59
19	6/E2 *Acacia senegal* Forest	0.20
20	6/1S1 Desert Dune Scrub	4.59
21	Plantation/Tree Outside Forests (TOF)	14.33
	Total (Forest Cover & Scrub)	100.00

1.2.3 District- Wise Forest Cover in Rajasthan

Area in sq. kms

District	Calculated Area by sol	2023 Assessment						
		Very Dense Forest	Moderate Dense Forest	Open Forest	Total	% of Calculated Area By Sol	Change w.r.t 2021 raster based *	Scrub
Ajmer	8474.89	0.00	45.50	287.51	333.01	3.93	-18.34	276.83
Alwar	8383.63	61.72	335.28	801.74	1198.74	14.30	16.39	320.99
Banswara	4511.20	0.00	41.66	226.09	267.75	5.94	-0.38	58.28
Baran	7004.86	0.00	153.27	821.86	975.13	13.92	-33.29	88.50
Barmer	28387.57	0.00	12.05	297.79	309.84	1.09	19.00	223.02
Bharatpur	5066.97	0.00	47.11	167.17	214.28	4.23	-6.40	87.93
Bhilwara	10492.92	0.00	34.55	202.42	236.97	2.26	-0.04	248.66
Bikaner	30343.12	0.44	24.57	234.43	259.44	0.86	-14.85	50.17
Bundi	5777.12	1.02	140.13	417.43	558.58	9.67	0.32	177.31
Chittorgarh	7822.51	0.00	223.39	764.69	988.08	12.63	1.93	162.17
Churu	13850.45	0.00	2.24	60.49	62.73	0.45	-11.74	36.36
Dausa	3424.38	0.30	11.75	109.75	121.80	3.56	-0.23	99.85
Dholpur	3034.43	0.00	77.57	322.66	400.23	13.19	-8.14	75.43
Dungarpur	3770.52	0.00	43.19	258.80	301.99	8.01	-5.57	101.46
Hanumangarh	9714.69	0.92	6.04	85.33	92.29	0.95	-2.25	8.92
Jaipur	11138.09	12.78	101.19	450.61	564.58	5.07	-2.02	318.60
Jaisalmer	38381.51	2.91	51.49	286.91	341.31	0.89	11.46	233.25
Jalore	10643.78	0.00	21.00	201.41	222.41	2.09	-11.54	207.69
Jhalawar	6343.15	0.00	87.83	352.21	440.04	6.94	-4.14	107.92
Jhunjhunu	5924.19	0.00	19.29	177.54	196.83	3.32	-1.57	205.97
Jodhpur	22681.16	0.00	5.01	106.22	111.23	0.49	2.66	166.82
Karauli	5008.09	0.00	87.87	672.55	760.42	15.18	-3.69	269.28
Kota	5088.30	0.00	147.12	383.79	530.91	10.43	2.25	141.92
Nagaur	17810.78	0.00	13.25	157.67	170.92	0.96	-4.31	149.20

Pali	12387.03	21.58	203.38	467.91	692.87	5.59	-9.65	453.45
Pratapgarh	4433.97	0.00	537.90	458.96	996.86	22.48	-30.79	75.62
Rajsamand	4620.71	23.22	133.17	356.97	513.36	11.11	-5.97	167.66
Sawai Madhopur	5026.04	37.04	151.98	328.40	517.42	10.29	-2.91	158.85
Sri Ganganagar	10904.04	0.00	11.42	102.04	113.46	1.04	2.85	16.38
Sikar	7730.98	0.00	30.78	187.77	218.55	2.83	19.14	233.55
Sirohi	5138.45	0.00	282.86	616.59	899.45	17.50	0.70	223.68
Tonk	7197.79	0.00	29.85	140.58	170.43	2.37	4.86	71.41
Udaipur	11721.67	61.27	1123.72	1581.31	2766.30	23.60	12.46	259.62
Grand Total	**342238.99**	**223.20**	**4237.41**	**12087.60**	**16548.21**	**4.84**	**-83.80**	**5476.75**

Source :-India State of Forest Report—2023

1.3 प्रदेश का वानिकी परिदृश्यः एक दृष्टि में

• राज्य का कुल अभिलेखित वन (Recorded Forest Area)	32869 वर्ग कि.मी.
• राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित वन भूमि	9.60 प्रतिशत
• राज्य का कुल वनावरण (Forest Cover)	16548.21 वर्ग कि.मी.
➢ अभिलेखित वन के अंतर्गत वनावरण	12706.14 वर्ग कि.मी.
➢ अभिलेखित वन के बाहर वनावरण	3842.07 वर्ग कि.मी
• राज्य का वृक्षावरण (Tree Cover)	10841.12 वर्ग कि.मी.
• राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण (Total Forest Cover & Tree Cover)	27389.33 वर्ग कि.मी.
➢ राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण	8.00 प्रतिशत

• वन विभाग एक नजर में

राज्य पशु	:	चिंकारा एवं ऊंट
राज्य पक्षी	:	गोडावण
राज्य वृक्ष	:	खेजड़ी
राज्य पुष्प	:	रोहिड़ा
राष्ट्रीय उद्यान	:	3
वन्यजीव अभयारण्य	:	26
कंजर्वेशन रिजर्व	:	37
बाघ परियोजनाएं	:	5 (रणथम्भौर, सरिस्का, मुकन्दरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी एवं धौलपुर–करौली)
रामसर स्थल	:	2 (केवलादेव नेशनल पार्क एवं सांभर झील)
कुल प्रादेशिक मण्डल	:	38
वन्यजीव मण्डल	:	16
भारतीय वन सेवा के अधिकारी (कैडर स्ट्रेंथ)	:	145
राज्य वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	429
अधीनस्थ सेवा (स्वीकृत पद)	:	7,658
एस.टी.पी.एफ.रणथम्भौर	:	340
लेखा एवं तकनीकी संवर्ग	:	734
मंत्रालयिक संवर्ग/कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	950
चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	:	413
कार्यप्रभारित कर्मचारी	:	2928

अध्याय–2

प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली

2.1 वन प्रशासन

वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं समुचित विकास की सुनिश्चितता के लिए एक सुदृढ़ एवं संवेदनशील, प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। विभाग के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की सफलता के लिए विभाग में पदस्थापित अधिकारियों एवं अधीनस्थ वनकर्मियों में समुचित कार्य विभाजन किया जाकर आयोजना निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के लिए अलग–अलग स्तर बनाए जाकर समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में वनकर्मियों की उपलब्धता, उनका प्रशिक्षित एवं दक्ष होना विशेष महत्त्व रखता है। सरकारी, सामुदायिक भूमि से मृदा के कटान को रोकने व जल का प्रभावी संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण करने तथा वनों के संरक्षण एवं विकास में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी मानसिकता वन अधिकारियों/कर्मचारियों में विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित की गई है। विभाग के प्रशासनिक तंत्र को कार्य की प्रकृति के अनुरूप मुख्यतः निम्न तीन स्तरों में विभक्त किया गया है।

2.1.1 उच्च स्तरीय प्रशासन

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। इनके द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, वन्यजीव प्रबन्धन संबंधी कार्यो का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) द्वारा प्रधाान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) को प्रशासनिक कार्यो में सहयोग एव विभाग के प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं बन्दोबस्त संबंधी कार्यों, कार्य आयोजना तैयार करने, नदी घाटी एवं बाढ़ सम्भावित नदी परियोजनाएं, वन उत्पादन, तेन्दूपत्ता संबंधी कार्यो की स्वतंत्र रूप से देखरेख एवं प्रबन्धन के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) द्वारा प्रदेश में विकास, वन सुरक्षा, बजट, शोध, शिक्षा तथा प्रसार आदि के साथ–साथ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य किया जा रहा हैं।
- मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर द्वारा वानिकी एवं वन्यजीव विषयों से संबंधित समस्त विषयों पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन एवं प्रबंधन के कार्यों का संचालन किया जा रहा है।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण को दायित्व निर्वहन में सहयोग प्रदान करने एवं विशिष्ट योजनाओं की सुचारू क्रियान्विति के लिये राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं।

2.1.2 मध्यम स्तरीय प्रशासन

- मध्यम स्तरीय वन प्रशासन को राजस्व प्रशासन के अनुरूप बनाया गया है। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से सम्भाग स्तर पर बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिये सम्भागीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षकं के पद सृजित किये गये हैं। सभी सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन–बल प्रमुख) के नियंत्रणाधीन कार्य करते है। राज्य के सभी (7) क्षेत्रीय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों का कार्य क्षेत्र राजस्व सम्भागों के अनुरूप ही है।
- सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक–एक वन संरक्षक का पद भी है। यह वन संरक्षक, सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में वरिष्ठतम सहयोगी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा जिला वन विकास अभिकरणों के अध्यक्ष के कार्य के साथ सौंपे गये अन्य दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे हैं। प्रत्येक सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में एक कार्य आयोजना अधिकारी का पद भी सृजित किया गया है। इनके द्वारा संबंधित सम्भाग के विभिन्न वन मण्डलों की कार्य योजना तैयार की जाती है तथा ये अधिकारी कार्य आयोजना संबंधी कार्य का निष्पादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) के नियंत्रण व निर्देशों के अनुरूप कर रहे हैं। प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिये मुख्य वन संरक्षकों के अधीन उप वन संरक्षक (प्रशासन) तथा प्रत्येक सम्भाग में मूल्यांकन व प्रबोधन कार्यों के लिये एक पृथक् उप वन संरक्षक के नेतृत्व में पी. एण्ड एम. इकाई गठित की गई है। मूल्यांकन मण्डल अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई.) के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। विधि संबंधी कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रत्येक सम्भाग में उप वन संरक्षक (विधि) का पद भी सृजित किया गया है।

- इसी प्रकार वन्यजीव प्रबन्धन के लिये राज्य में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर तथा मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा कार्यरत हैं।
- प्रत्येक जिले में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं। सामान्यतः प्रत्येक वन मण्डल के अधीन दो सहायक वन संरक्षकों को पदस्थापित किया गया है एवं प्रत्येक सहायक वन संरक्षक के अधीन सामान्यतया 3 से 4 रेंजें आती हैं। सहायक वन संरक्षकों के कार्य–दायित्व पृथक से निर्धारित किये गये हैं। इस प्रणाली से वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं प्रबंधन कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण किया जा रहा है। इन अधिकारियों के द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र में वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण के साथ–साथ वानिकी विकास कार्यों का निष्पादन भी करवाया जाता हैं। प्रादेशिक वन मण्डलों के अतिरिक्त विभागीय कार्य योजना, वन्यजीव संरक्षण एवं विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक से आवश्यकतानुसार उप वन संरक्षकगण भी कार्यरत हैं।

2.1.3 कार्यकारी स्तर

वन मण्डल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज (Forest Ranges) होती हैं। प्रत्येक रेंज का प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होता है। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है। नाका प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होता है। प्रत्येक नाके का क्षेत्र बीट में बंटा होता है, जिसका प्रभारी वनरक्षक होता है। 'बीट' वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। विशिष्ट

योजनाओं/कार्यों के निष्पादन हेतु नाकों एवं बीट के स्थान पर कार्यस्थल प्रभारी पदस्थापन की व्यवस्था प्रचलित है।

2.2 वन सेवा

प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों–कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये वन सेवाओं का गठन किया जाकर भर्ती संबंधी प्रत्येक सेवा के लिये विस्तृत एवं सुस्पष्ट सेवा नियम बनाये गये हैं। राज्य में विभिन्न वन सेवा संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति अग्रानुसार है :–

2.2.1. भारतीय वन सेवा

राजस्थान में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की केडर स्ट्रेन्थ 145 है। जिसमें 89 वरिष्ठ ड्यूटी पद एवं शेष 56 पद केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति, राज्य प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण रिजर्व एवं छुट्टी रिजर्व के लिए स्वीकृत है।

दिनांक – 01.01.2025 की स्थिति अनुसार

क्र. सं.	पद नाम	कैडर पद		एक्स कैडर पद पर कार्यरत
		स्वीकृत	कार्यरत	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	2	2	2
2	अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक	6	2	4
3	मुख्य वन संरक्षक	21	9	5
4	वन संरक्षक	16	1	13
5	उप वन संरक्षक	44	30	6

2.2.2 राजस्थान वन सेवा

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1	उप वन संरक्षक (हायर सुपर टाईम स्केल)	3	1	2
2	उप वन संरक्षक (सुपर टाईम स्केल)	13	0	13
3	उप वन संरक्षक (सलेक्शन स्केल)	69	49	20
4	उप वन संरक्षक (सीनियर स्केल)	84	49	35
5	सहायक वन संरक्षक (जूनियर स्केल)	260	144	116
	योग	429	243	186

2.3 राजपत्रित संवर्ग के विभिन्न अधिकारियों के स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण (माह 01.01.2025 की स्थिति)

2.3.1 राजपत्रित संवर्ग के अधिकारियों के स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरणः–

क्रं. सं.	पदनाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	अधीक्षण अभियंता	**1**	**1**
2.	अधिशाषी अभियंता	**3**	**2**
3.	सहायक कृषि अभियंता	**3**	**3**
	योग	**7**	**6**

2.3.2 राजपत्रित संवर्ग के अन्य अधिकारियों के स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण

क्रं.सं.	पदनाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	राजपत्रित संवर्ग में विभिन्न संवर्ग के अधिकारीगण	**188**	**79**

2.3.3 राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा (01.01.2025 की स्थिति अनुसार)

क्रं. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद		कार्यरत		रिक्त	
1	रेंजर ग्रेड–I	अनुसूचित क्षेत्र	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	गैर अनुसूचित क्षेत्र
		37	221	21	214	16	07
2	जू–अधीक्षक	1		1		0	
3	रेंजर ग्रेड–II	451		411		40	
		55	396	54	357	01	39
4	जू–सुपरवाईजर	4		0		4	
5	वनपाल	979		555		424	
6	सहायक वनपाल	1498		1098		400	
7	वनरक्षक	4467		4242		225	
	योग	**7658**		**6542**		**1116**	

2.3.4 लेखा एवं तकनीकी सेवा (01.01.2025 की स्थिति अनुसार)

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	लेखा संवर्ग एवं तकनीकी संवर्ग	734	366	368

2.3.5 विशेष बाघ संरक्षण बल, रणथम्भौर, सवाई माधोपुर (01.01.2025 की स्थिति)

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	विशेष बाघ संरक्षण बल, रणथम्भौर, सवाई माधोपुर के गठन हेतु	340	0	340

2.3.6 मंत्रालयिक सेवा (01.01.2025 की स्थिति अनुसार)

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	मंत्रालयिक संवर्ग	950	775	175

2.3.7 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग (01.01.2025 की स्थिति अनुसार)

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	413	343	70

2.4 विभाग में सीधी भर्ती नियुक्ति संबंधी विवरणः–

- विभाग में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक वन संरक्षक के 127 एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम के 115 पदों कों सीधी भर्ती के जरिये भरने हेतु आयोजित लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार उपरांत अंतिम

रूप से चयनित होने के बाद प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत 72 सहायक वन संरक्षक एवं 95 क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम को फील्ड स्तर पर पदस्थापित किया गया है। वर्तमान में 43 प्रशिक्षु केन्द्रीय राज्य वन सेवा अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणाधीन हैं।

- विभाग में वनपाल के 148 एवं वनरक्षक के 2646 रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन, आयोग जयपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया है एवं राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, जयपुर द्वारा वनपाल के 146 एवं वनरक्षक के 2635 पदों का परिणाम जारी किया गया । जिसके क्रम में सभी परिणाम पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये जाकर अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वनपाल के 134 एवं वनरक्षक के 2533 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है तथा शेष पदों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- विभाग द्वारा सर्वेयर के 43, वाहन चालक के 160 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 30 पदों हेतु अभ्यर्थना राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।

2.5 अनुकम्पात्मक नियुक्ति का विवरण अवधि (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024)

क्रं.सं.	पदनाम	दी गई नियुक्तियों की संख्या
1.	कनिष्ठ सहायक	28
2.	वनरक्षक	13
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	11
	योग	**52**

2.6 विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग में वर्ष 2024–25 (01.04.2024 से 31.12.2024) तक विभागाध्यक्ष स्तर पर निम्नानुसार पदोन्नतियां दी गई हैं

क्र.स.	पदनाम	दी गई पदोन्नतियों की संख्या	डी.पी.सी. वर्ष	डी.पी.सी दिनांक
1	क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–II से क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–I	12	2024-25	12.12.2024
2	प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी	10	2024-25	30.08.2024
3	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी	22	2024-25	30.08.2024
4	सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	33	2024-25	02.09.2024
5	वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी	42	2024-25	02.09.2024
6	कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक	45	2024-25	05.09.2024
7	च.श्रे. कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक	9	2024-25	05.09.2024
8	निजी सचिव से वरिष्ठ निजी सचिव	3	2024-25	11.11.2024

9	अति निजी सचिव से निजी सचिव	5	2024-25	25.11.2024
10	निजी सहायक ग्रेड–I से अति निजी सचिव	5	2024-25	29.11.2024
11	निजी सहायक ग्रेड–II से निजी सहायक ग्रेड–I	1	2024-25	29.11.2024

2.7 वरिष्ठता सूचियों का वर्ष 2024–25 (01.04.2024 की स्थिति अनुसार,गैर–अनुसूचित क्षेत्र) निम्नानुसार प्रकाशन किया गया है :–

क्र.स.	पदनाम	आदेश कमांक एवं दिनांक	कुल संख्या	विशेष विवरण
1	क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–I	2193 / कार्मिक दिनांक 19.09.2024	214	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
2	क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–II	2931 / कार्मिक दिनांक 18.11.2024	318	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
3	संस्थापन अधिकारी	एफ 15(1)2024 / गोप्र / प्रमुवसं –08651 दिनांक 26.06.2024	3	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
4	प्रशासनिक अधिकारी	एफ 15(2)2024 / गोप्र / प्रमुवसं –08665 दिनांक 18.07.2024	24	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
5	अति. प्रशासनिक अधिकारी	एफ 15(3)2024 / गोप्र / प्रमुवसं –08676 दिनांक 26.06.2024	65	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची

6	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	एफ 15(4)2024 / गोप्र / प्रमुवसं –08677 दिनांक 16.07.2024	133	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
7	वरिष्ठ सहायक	एफ 15(5)2024 / गोप्र / प्रमुवसं –08678 दिनांक 16.07.2024	207	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
8	कनिष्ठ सहायक	एफ 15(1)2024 / गोप्र / प्रमुवसं –08657 दिनांक 13.07.2024	262	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
9	वरिष्ठ निजी सचिव	एफ15(6)2024 / गोप्र / प्रमुवसं–08745 / 4391 / सी दिनांक 03.05.2024	2	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
10	निजी सचिव	एफ15(6)2024 / गोप्र / प्रमुवसं–08745 / 4391 / सी दिनांक 03.05.2024	3	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
11	अतिरिक्त निजी सचिव	एफ15(6)2024 / गोप्र / प्रमुवसं–08745 / 4391 / सी दिनांक 03.05.2024	8	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
12	निजी सहायक ग्रेड–I	एफ15(6)2024 / गोप्र / प्रमुवसं–08745 / 4391 / सी दिनांक 03.05.2024	10	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
13	निजी सहायक ग्रेड–II	एफ15(6)2024 / गोप्र / प्रमुवसं–08745 / 4391 / सी दिनांक 03.05.2024	10	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
14	वाहन चालक	एफ 15(3)2024 / गोप्र / प्रमुवसं –08659 दिनांक 16.07.2024	193	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची

15	सर्वेयर	एफ 15()2024 / सर्वेयर / गोप्र / प्रमुवसं–08670 दिनांक 19.07.2024	35	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
16	वनपाल	एफ 15(3)2024 / गोप्र / प्रमुवसं –10988 दिनांक 18.11.2024	441	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
17	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एफ 15(2)2024 / गोप्र / प्रमुवसं –08658 दिनांक 12.07.2024	307	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची

2.8 वरिष्ठता सूचियों का वर्ष 2024–25 (01.04.2024 की स्थिति अनुसार अनुसूचित क्षेत्र) निम्नानुसार प्रकाशन किया गया है :–

क्र. स.	पदनाम	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	कुल संख्या	विशेष विवरण
1	क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–I	2041 / कार्मिक दिनांक 19.09.2024	**21**	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
2	क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–II	3033 / कार्मिक दिनांक 18.11.2024	**53**	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
3	अति. प्रशासनिक अधिकारी	एफ 15(3)2024 / गोप्र / प्रमुवसं–08 676 दिनांक 26.06.2024	1	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
4	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	एफ 15(4)2024 / गोप्र / प्रमुवसं–08677 दिनांक 16.07.2024	9	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची

5	वरिष्ठ सहायक	एफ 15(5)2024 / गोप्र / प्रमुवसं–08 678 दिनांक 16.07.2024	12	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
6	कनिष्ठ सहायक	एफ 15(1)2024 / गोप्र / प्रमुवसं–08 657 दिनांक 13.07.2024	16	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
7	वाहन चालक	एफ 15(3)2024 / गोप्र / प्रमुवसं–08 659 दिनांक 16.07.2024	23	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
8	सर्वेयर	एफ 15 ( ) 2024 / सर्वेयर / गोप्र / प्रमुवसं –08670 दिनांक 19.07.2024	3	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
9	वनपाल	एफ 15(3)2024 / गोप्र / प्रमुवसं–10 988 दिनांक 18.11.2024	101	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
10	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एफ 15(2)2024 / गोप्र / प्रमुवसं–08 658 दिनांक 12.07.2024	26	01.04.2024 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची

अध्याय–3

वन सुरक्षा

वन विभाग का एक प्रमुख कार्य मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से विधि प्रवर्तन तथा अवैध खनन, अतिक्रमण, चराई, छंगाई, वन उपज की चोरी, तस्करी एवं वन्यजीव संबंधी अपराधों की रोकथाम करता है। वन संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां निम्नानुसार है–

3.1 गश्तीदल का गठन

वन क्षेत्रों में अपराधों पर नियंत्रण एवं इनकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही हेतु नियमित पदस्थापित स्टाफ के अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्त हेतु गश्तीदलों का गठन किया गया है। इन गश्तीदलों द्वारा आकस्मिक चैकिंग कर वन अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। विभाग में वर्तमान में कुल 10 गश्तीदल संभागीय एवं वन्यजीव मुख्य वन संरक्षकों के नियंत्रणाधीन कार्यरत है।

3.2 वायरलेस प्रणाली

वन क्षेत्रों में घटित होने वाले वन अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सशक्त सूचना सम्प्रेषण का माध्यम स्थापित किया जाना अतिआवश्यक है। सुदूरवर्ती वन नाका/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलेस सैट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में विभाग में लगभग 284 वायरलेस सैट्स हैं, जिनमें से फिक्सड सैट्स की संख्या 144, वाहनों पर मोबाइल सैट्स 19 तथा हैण्डसेट्स 121 है।

3.3 वन कर्मियों को हथियार उपलब्ध कराना

वर्तमान युग में वन अपराधी द्रुतगति वाले वाहनों एवं आधुनिक हथियारों का उपयोग करते हैं। इनका सामना करने हेतु विभाग में वर्तमान में 49 रिवॉल्वर एवं 145 डीबीबीएल गन वन कर्मियों को आत्मरक्षा और वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

3.4 एफ.एम.डी.एस.एस. पोर्टल

वन अपराध संबंधीविभिन्न प्रकार के प्रकरणों यथा अवैध कटान, अवैध खनन, वन भूमि पर अतिक्रमण एवं वन्यजीव अपराध इत्यादि को ऑनलाईन दर्ज करने हेतु एफएमडीएसएस पोर्टल (FMDSS Portal) तथा FMDSS मोबाइल एपतैयार किया गया है। उक्त मोबाइलएप के माध्यम से आसानी से विभिन्न वन अपराधों को दर्ज कर ऑनलाईन रिकार्ड तैयार किया जा रहा है। वन अपराध के कुल 1,27,437 प्रकरणों को दिनांक 31.12.2024 तक FMDSS Portal पर दर्ज किया जा चुका है।

3.5 इण्डिया कोड पोर्टल

इण्डिया कोड पोर्टल पर केन्द्र तथा राज्य सरकार से संबंधित समस्त अधिनियम/ नियमों/नोटिफिकेशनों को अपलोड/अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। वन विभाग के वन सुरक्षा अनुभाग द्वारा विभाग से संबंधित समस्त अधिनियम/ नियमों/ नोटिफिकेशनों को इण्डिया कोड पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विभाग द्वारा मुख्य रूप से दो अधिनियम राजस्थान वन अधिनियम, 1953 तथा राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 को अपलोड किया गया है। उपरोक्त क्रम में अभी तक अपलोड किये गये विभिन्न नियम एवं नोटिफिकेशन निम्नानुसार हैं:—

- राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत 12 नियम, 11 नोटिफिकेशन तथा 2 आदेश
- राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत एक नियम राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, 1974 एवं इसके अंतर्गत 2 नोटिफिकेशन
- केन्द्रीय अधिनियम वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत एक नियम वन्यजीव (संरक्षण) (राजस्थान) नियम,1977 तथा 12 नोटिफिकेशन
- जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत एक नियम राजस्थान जैवविविधता नियम, 2010

उपरोक्त सभी को इण्डिया कोड पोर्टल पर सम्बन्धित अधिनियम के नाम से सर्च कर अधिनियम/ नियम/नोटिफिकेशन को पी.डी.एफ. (searchable pdf) में डाउनलोड किया जा सकता है।

- **वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभिन्न श्रेणी के वन अपराधों के दर्ज प्रकरणो का विवरण**

क्र.सं.	**वन अपराध का प्रकार**	**दिनांक 01.04.2024 तक लम्बित प्रकरण**	**इस वर्ष में दर्ज प्रकरण (दिनांक 31.12.2024 तक)**	**निस्तारित प्रकरण**	**एवजाना राशि (लाख रू0 में) (दिनांक 31.12.2024 तक)**
1.	अवैध खनन	161	499	374	101.40
2.	अवैध कटान	228	1026	849	59.80
3.	अवैध चराई	32	1645	1594	33.00
4.	वन्यजीव अपराध	58	74	27	9.10
5.	शाख तरासी / वृक्ष छंगाई	31	487	456	9.10
6.	सीमा चिन्हों की तोडफोड / परिवर्तन	0	15	6	0.00
7.	वन उत्पाद का अवैध परिवहन	172	989	798	289.70
8.	अवैध आरा मशीन	53	16	4	0.70
9.	अन्य अपराध	71	890	814	59.80
योग		**806**	**5641**	**4992**	**562.6**

3.6 वन भूमि पर दर्ज अतिक्रमण प्रकरण

वनभूमि से अतिक्रमियों को बेदखल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संबंधित सहायक वन संरक्षकों को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत तहसीलदार की समस्त शक्तियों एवं कर्तव्यों के प्रयोग हेतु अधिकृत किया गया है तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34(A) के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य से अतिक्रमण की बेदखली हेतु कारवाई का प्रावधान है। वर्ष 2023–24 तक वन भूमि पर अतिक्रमण के कुल 4288 प्रकरण दर्ज किये गये। इस वर्ष दिनांक 31.12.2024 तक 2459 प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण कर राशि 190 लाख रूपये आरोपित किये गये।

3.7 वन अधिकार पत्र

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के प्रावधानों अंतर्गत प्रदेश में आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर दिनांक 13.12.2005 से पूर्व काबिज आदिवासियों को नियमानुसार वनाधिकार पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में उक्त अधिनियम की क्रियान्विति के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग नोडल विभाग है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उप मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिसमें वन अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। वन अधिकारों की पहचान करने हेतु ग्राम सभाओं द्वारा "वन अधिकार समितियां" गठित की गई है। जिनके द्वारा ग्रामसभाओं को प्रेषित दावों की छानबीन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। उप मण्डल स्तरीय समिति के पास ग्रामसभाओं से प्राप्त प्रस्तावों का कमेटी द्वारा परीक्षण कर अपनी अभिशंषा जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जाती है। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण कर वन अधिकार पत्र दिये जाने के बारे में निर्णय लिया जाता है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग (नोडल विभाग) की विभागीय वेबसाईट के अनुसार प्रदेश में जनवरी, 2024 तक कुल 121691 दावे विभिन्न ग्राम सभाओं में प्राप्त हुए। इनमें से व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र 49102 (27903.08

हेक्टेयर) तथा सामुदायिक वन अधिकार पत्र 2741 (113584.86 हेक्टेयर) कुल 51843 (141487.94 हेक्टेयर) वन अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं।

3.8 वन अधिनियम/नियम/परिपत्रों में संशोधन

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 में संशोधन कर राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2018 जारी कर उक्त अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत बांस प्रजाति को वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। इससे गैर–वनभूमि पर किसानों एवं आम लोगों द्वारा बांस प्रजाति के उत्पादन किये जाने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा इससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

राजस्थान वन (उपज अभिवहन) नियम 1957 की नियम 3 के उपनियम (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ–2(1)रे वे/8/73 /पार्ट–1/जयपुर, दिनांक 09.02.1983 में आंशिक संशोधन कर उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी तक को वन उपज के राज्य से बाहर परिवहन किये जाने हेतु परिपत्र जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 50(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वन अपराध में जब्त वाहनों के अधिहरण हेतु सहायक वन संरक्षकों के पद रिक्त होने/अवकाश पर रहने/मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में संबंधित उप वन संरक्षकों को क्षेत्राधिकार अनुसार अधिकृत किया गया है। बदलते वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिगत राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप राजस्थान राज्य वन नीति 2023 प्रभावशील है।

3.9 वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 एवं गाईडलाइन्स, 2023 के तहत प्रदेश के वनक्षेत्रों में गैर वानिकी कार्यों हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया

- भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन किया जाकर अब वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 हो गया है, जो दिनांक 01.12.2023 से लागू है। इसके तहत वन भूमि में किसी भी गैर वानिकी कार्य की क्रियान्विति से पूर्व भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। समस्त विभागों/आवेदनकर्ताओं को इस अनुमति हेतु निर्धारित प्रपत्र पार्ट–I में पूर्ण प्रस्ताव मय आवश्यक संलग्नक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 11–9/98–एफसी दि. 13.02.2014 के अनुसार दिनांक 15.08.2014 से सभी प्रकार के प्रस्ताव (वनभूमि के प्रत्यावर्तन) Forest, Wildlife, Enviornment & Coastal Regulation Zone Clearances को वेबपोर्टल परिवेश पर अपलोड करना होता है। वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अनुसार स्वीकृति की समस्त प्रक्रिया वर्तमान में ऑनलाइन की जा रही है।
- समस्त विभागों/आवेदनकर्ताओं को इस अनुमति हेतु निर्धारित प्रपत्र पार्ट–I में पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर ऑनलाईन प्रस्तुत करने होते हैं। प्रस्ताव के पार्ट–II से IV तक की आवश्यक पूर्तियों उपरांत प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं। वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा दो चरणों में जारी की जाती है। प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा कुछ शर्तें अधिरोपित कर सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जाती है, जिनकी पालना संबंधित आवेदनकर्ता विभाग/प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किये जाने पर अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार/भारत सरकार को अग्रेषित किये जाने के उपरांत राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति जारी की जाती है।
- वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के संशोधित नियम–2023 दिनांक 01.12.2023 से लागू किये गये हैं, जिसके अंतर्गत नवीन प्रस्ताव ऑनलाइन परिवेश–2.0 पोर्टल पर अपलोड किए जाने का प्रावधान किया गया है, इसके अंतर्गत 5 हैक्टेयर वन भूमि से कम के प्रत्यावर्तन क्षेत्र का परीक्षण उप वन संरक्षक स्तर पर एवं 5 हैक्टेयर वनभूमि से अधिक

प्रत्यावर्तन क्षेत्र का परीक्षण नोडल स्तर पर गठित परियोजना जाँच समिति के द्वारा किया जाता है।

- नोडल अधिकारी स्तर पर 5 है0 से अधिक वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के परीक्षण हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 धारा 2 के खण्ड I, II, III के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव की पूर्णता की जाँच हेतु एक परियोजना जाँच समिति (Project Screening Committee-PSC) का गठन किये जाने का प्रावधान है।
- **परियोजना जाँच समिति का गठन**–(1) राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, एक आदेश द्वारा, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खंड (i), (ii) एवं (iii) के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव की पूर्णता की जाँच करने के लिए एक परियोजना जाँच समिति का गठन कर सकते हैं।
  (2) परियोजना जाँच समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

सभी प्रकरणों का परियोजना जांच समिति की बैठक में निर्णय होगा जिसमें निम्नानुसार कमेटी का गठन का प्रावधान किया गया है। इस कमेटी में सदस्य सचिव की भूमिका उप वन संरक्षक (एफ0सी0ए0) करेंगे।

क्र. स.	नमित अधिकारी	पद
1.	नोडल अधिकारी,	अध्यक्ष
2.	संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक	सदस्य
3.	संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य
4.	संबंधित जिला कलक्टर और उनके प्रतिनिधि (डिप्टी कलक्टर के पद से नीचे का नहीं)	सदस्य
5.	नोडल अधिकारी के कार्यालय में प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य सचिव

- (a) परियोजना जाँच समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम दो बार होगी, और परियोजना जाँच समिति की बैठक की गणपूर्ति तीन होगी।
  (b) परियोजना जाँच समिति, प्रस्तावों की जाँच के पश्चात, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, को सिफारिश करेगी।
- इस नियम के अंतर्गत गैर–वानिकी प्रयोजन के लिए वनभूमि के उपयोग हेतु प्रस्तावों की समयावधि निम्नानुसार है:–

Rule No. 8(1), Rule 9, Rule 10 and Rule 11 of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023

For In-Principle Approval (Time in Working days)					
Sr. No.	**Processing Authority**	**Up to 5 Ha.**	**5 to 40 Ha.**	**40 to 100 Ha.**	**More than 100 Ha.**
A.	State Level	30	70	70	100
B.	Regional Office	15	35	50	50
C.	MoEF & CC, GoI	50	50	60	60

Note : Time line is prescribed for the proposals which are complete in all respects excluding the time consumed in seeking additional details.

For Final Approval		
Sr. No.	**Processing Authority**	**Time in Working days**
A.	State Level	25
B.	Regional Office/ MoEF & CC, GoI	20

- वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना अनुसार समस्त प्रकार के प्रस्ताव भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय द्वारा स्वीकृत किये जाते है (छूट की श्रेणी वाले प्रस्तावों को छोड़कर)। जिसमें समस्त रेखीय प्रस्ताव एवं 40 हैक्टेयर वन भूमि तक के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (खनन एवं अतिक्रमण के नियमितीकरण के प्रस्तावों को छोड़कर) में आवश्यक अनुमतियां भारत सरकार के एकीकृत क्षेत्रीय

कार्यालय–गांधीनगर (गुजरात) द्वारा जारी की जाती हैं तथा 40 हेक्टर से अधिक (समस्त खनन एवं अतिक्रमण के नियमितीकरण के प्रस्ताव सम्मिलित) के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में आवश्यक अनुमति वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी की जाती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जो परियोजनाए वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों से होकर या 10 किलोमीटर परिधि में से होकर गुजरती हैं उनमें सक्षम स्तर से स्वीकृति लेने से पूर्व **Wildlife Clearance** भी प्राप्त करना आवश्यक है।

- वर्तमान में परिवेश 2.0 प्रचलित है। दिनांक 28.06.2022 के उपरांत सभी प्रस्ताव परिवेश 2.0 पर स्वीकार किये जा रहे हैं।

परिवेश 2.0 में निम्न व्यवस्था लागू हैः–

- 5 है0 तक के वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों में पार्ट प्रथम यूजर एजेन्सी, पार्ट द्वितीय–उप वन संरक्षक, पार्ट तृतीय–नोडल अधिकारी के द्वारा, पार्ट–IV राज्य सरकार द्वारा भरा जाकर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।
- 5 है0 से अधिक एवं 40 है0 से कम वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों में परियोजना संवीक्षा/जांच समिति से अनुमोदित प्रस्तावों में पार्ट प्रथम यूजर एजेन्सी, पार्ट द्वितीय–उप वन संरक्षक, पार्ट तृतीय–नोडल अधिकारी के द्वारा, पार्ट–IV राज्य सरकार द्वारा भरा जाकर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।1.
- 40 है0 से 100 है0 तक एवं इससे उच्च वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों में वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक एवं 100 है0 से अधिक के प्रस्ताव नोडल अधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य है।
- 1 है0 से कम वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों में गैर वन भूमि दिया जाना आवयश्क नही है इससे अधिक वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में समतुल्य गैर वन भूमि (पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबल इत्यादि को छोडकर) दिया जाना आवयश्क है।
- रेखीय परियोजनाओं में सैद्वान्तिक स्वीकृति की पूर्ण पालना होने के उपरांत कार्य अनुमति जारी किये जाने के प्रावधान है।
- प्रत्यावर्तन प्रकरणों में स्वीकृति दो चरणों यथा सैद्धान्तिक एवं विधिवत् स्वीकृति जारी की जाती है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना होने के उपरांत ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जाती है।

Parivesh - 1.0

Sr. No.	Category/Deptt.	Proposal under consideration with :									No. of cases in which in-principle sanction has been issued (01.01.2024 to 31.12.2024)	No. of cases in which final sanction has been issued (01.01.2024 to 31.12.2024)	Foreat Area Diverted (in Ha.)	Area Received		Plant Condition
		User Agency	DCF	CCF	MS	PCCF/Nodal Officer	Govt. of Rajasthan/ State Govt.	IRO, MoEF & CC, Govt. of India	HO, MoEF & CC, Govt. of India	Total				Non-Forest Land (in Ha.)	Degraded-Forest Land (in Ha.)	No. of Plants
1	Irrigation	3	2	0	0	0	0	0	031	***5***	0	1	18.5670	18.5670	0.0000	0.0000
2	Mining	1	0	0	0	0	0	0	0	***1***	0	1	149.3002	149.3000	242.3100	0.0000
3	Drinking Water Pipeline	18	1	0	0	0	0	0	0	***19***	1	4	18.1259	10.7484	20.0000	0.0000
4	Optical Fibre Cable	17	0	0	0	0	0	0	0	***17***	1	10	3.6246	0.0000	0.0000	100.0000
5	Road	44	9	0	0	0	4	3	0	***60***	3	21	135.4104	47.5376	152.2000	810.0000
6	Railway	1	0	0	0	0	0	0	0	***1***	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Transmission Line	7	0	0	0	0	2	1	0	***10***	1	8	37.5631	0.0000	115.8300	200.0000
8	Others	7	1	0	0	0	1	0	0	***9***	1	5	514.4282	7.3792	1292.4500	100.0000
Total		**98**	**13**	**0**	**0**	**0**	**7**	**4**	**0**	**122**	**7**	**50**	**877.0194**	**233.5322**	**1822.7900**	**1210.0000**

Parivesh - 2.0

Sr. No.	Category/Deptt.	Proposal under consideration with :									No. of cases in which in-principle sanction has been issued (01.01.2024 to 31.12.2024)	No. of cases in which final sanction has been issued (01.01.2024 to 31.12.2024)	Foreat Area Diverted (in Ha.)	Area Received		Plant Condition
		User Agency	DCF	CCF	MS	PCCF/Nodal Officer	Govt. of Rajasthan/ State Govt.	RO, MoEF & CC, Govt. of India	HO, MoEF & CC, Govt. of India	Total				Non-Forest Land (in Ha.)	Degraded-Forest Land (in Ha.)	No. of Plants
1	Irrigation	3	0	0	0	0	0	0	0	***3***	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Mining	29	2	0	0	0	1	0	0	***32***	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Drinking Water Pipeline	27	2	0	3	1	2	1	1	***37***	4	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Optical Fibre Cable	55	0	0	0	1	0	1	0	***57***	4	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Road	153	33	0	0	3	6	2	0	***197***	20	7	51.5411	5.0000	129.0000	300.0000
6	Railway	2	0	0	0	7	0	2	0	***11***	1	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Transmission Line	29	9	0	2	1	1	1	0	***43***	14	10	97.4854	0.0000	328.3238	600.0000
8	Others	163	7	0	2	0	7	4	0	***183***	27	26	3.3505	0.0000	0.0000	2660.0000
Total		**461**	**53**	**0**	**7**	**13**	**17**	**11**	**1**	**563**	**70**	**43**	**152.3770**	**5.0000**	**457.3238**	**3560.0000**

अध्याय–4

वानिकी विकास

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बडा राज्य है, किन्तु राज्य का 9.64 प्रतिशत भू–भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.86 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य की वन नीति 2023 में राज्य के सम्पूर्ण भू भाग के 20 प्रतिशत भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बने रहने के साथ–साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक,आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके।

प्रदेश की विषम परिस्थितियॉ यथा दो–तिहाई मरूप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वृक्षाच्छादित क्षेत्र की कमी एवं अत्याधिक जैविक दबाव एवं दीमक के प्रकोप के बावजूद वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्वि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की स्थिति को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं वन विकास के जरिये सुधारने की नितांत आवश्यकता है। भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India), भारत सरकार द्वारा वन क्षेत्र में एवं वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षाच्छादित क्षेत्र का सर्वेक्षण सैटेलाईट ईमेजरी के माध्यम से किया जाकर प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर ''इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट'' प्रकाशित की जाती है।

4.1 वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्य

विषम पारिस्थितिकीय तंत्रों की विद्यमान प्रतिकूल जलवायु एवं दो–तिहाई क्षेत्र मरू भूमि होने के कारण प्रदेश में वानिकी विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में इस कार्यान्तर्गत वृक्ष विहीन पहाडियों पर पुनर्वनीकरण, परिभ्राषिंत वनों की पुनर्स्थापना, पंचायत भूमि पर ईंधन वृक्षारोपण, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की उत्पादकता में संवृद्धि, उडती हुई रेत से नहर तंत्रों की सुरक्षा हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, ब्लॉक वृक्षारोपण, उडती हुई रेत से आबादी क्षेत्रों, उपजाऊ कृषि भूमि एवं ढांचागत विकास अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों की सुरक्षार्थ टिब्बा

स्थिरीकरण, पशुओं के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक चारा उत्पादन हेतु चारागाह विकास का कार्य किया जा रहा है। पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं वर्षा जल संग्रहण–संचयन एवं नमी संरक्षण हेतु उपयुक्त स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाता है। निजी भूमि पर वृक्षाच्छादन अभिवृद्धि हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों को रोपण के लिए बहुउपयोगी वृक्ष प्रजातियों के वांछित आनुवंशिकीय गुणवत्ता युक्त पौधे परम्परागत पौधशालाओं एवं उन्नत पौधशालाओं में तैयार किये जाकर कृषि वानिकी के तहत वितरित किये जाते है।

4.2 बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों की स्थिति

कार्य का विवरण	उपलब्धि			
	2021–22	**2022–23**	**2023–24**	**(दिसम्बर, 2024 तक)**
पौधारोपण (है0 में)	45659.90	61246.92	112290.33	118368.29
पौधारोपण (लाखों में)	269.38	356.51	467.15	578.62

*** उक्तानुसार उपलब्धियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 7 पर संलग्न है।**

4.3 वन विकास की योजनाएँ

राज्य में वन विकास की कईं योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। वन विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त नाबार्ड, जापान इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.), जापान एव Agence Française de Développement (AFD), फ्रांस से वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है।

4.3.1 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (RFBDP), Agence Française de Développement (AFD) के वित्तीय सहयोग से राजस्थान राज्य के 13 जिलों (अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी,

दौसा, धौलपुर, जयपुर,झालावाड़, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर एवं टोंक) में परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल 800 गांव को चिन्हित किया गया है। परियोजना अंतर्गत कुल 55000 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण, 3000 है0 क्षेत्र में ओरण, 100 प्लाण्ट माईक्रोरिजर्व एवं कृषि वानिकी अंतर्गत 55 लाख पौधों का वितरण तथा वन्यजीव क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु 610 कि.मी. दीवार का निर्माण व 1200 स्वयं सहायता समूह के सहयोग से आजीविका संवर्धन गतिविधियों के विकास कार्य करवाये जायेगें।

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:—

" परियोजना क्षेत्र के प्राकृतिक वनों की रक्षा और विकास करना और वन संरक्षित क्षेत्रों के अंदर व बाहर स्थानिक प्रजातियों की सुरक्षा, लुप्तप्राय: पौधों की प्रजातियों की बहाली व ओरण विकास तथा जैव विविधता संरक्षण से संबंधित वनीकरण गतिविधियों को शुरू करके राज्य के पूर्वी हिस्से में समग्र पारिस्थितिकीय संतुलन में सुधार करना है।"

इन उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु प्रत्येक चिन्हित गांवों में दो नये स्वयं सहायता समूहों का गठन करके अथवा पूर्व गठित समूहों के कौशल मे वृद्धि करते हुये आजीविका संवर्द्धन, महिला सशक्तिकरण एवं गरीबी उन्मूलन का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू—जल संरक्षण कार्य भी किये जा रहे हैं।

यह परियोजना मूलतः 2023—24 से 2030—31 तक आठ वर्ष हेतु स्वीकृत की गई है। इस परियोजना की कुल लागत रू. 1693.91 करोड़ है, जिसमें AFD का अंश रूपये 1185.28 करोड़ (70 प्रतिशत) एवं राज्यांश रू. 508.63 करोड़ (30 प्रतिशत) है।

परियोजना की कुल लागत 1693.91 करोड़ का विवरण निम्न प्रकार है:–

S No.	PACKAGES	TOTAL (in Crore)
1	AFFORESTATION	236.81
2	AGRO FORESTRY ACTIVITIES	18.25
3	WATER CONSERVATION STRUCTURES	74.26
4	BIODIVERSITY CONSERVATION	415.72
5	WILD LIFE DEVELOPMENT AND ECOTOURISM	112.25
6	POVERTY ALLEVIATION AND LIVELIHOOD IMPROVEMENT	23.80
7	COMMUNITY MOBILIZATION	82.37
8	CAPACITY BUILDING TRAINING & RESEARCH	42.32
9	PROJECT MANAGEMENT, MONITORING & EVALUATION, CONTRACTUAL PERSONNEL FOR PMU	99.38
10	PHYSICAL CONTINGENCY	80.12
	TOTAL	**1185.28**
11	RFD Share (Price Escalation+Management Cost of RFD)	508.63
	TOTAL	508.63
	GRAND TOTAL	**1693.91**

सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र को 23 मण्डल प्रबन्ध इकाईयों तथा 90 क्षेत्र प्रबन्ध इकाईयों में बांटा गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य करवाने हेतु ग्राम को ईकाई के रूप में लिया गया है। प्रत्येक मण्डल प्रबन्धन इकाई स्तर पर सूक्ष्म

नियोजन, वृक्षारोपण जैव विविधता संरक्षण एवं प्रशिक्षण देने, आजीविका संवर्द्धन की गतिविधियां संचालित कर एवं जन जागृति के कार्य साथ ही वन्यजीव क्षेत्रों के विकास हेतु कार्य, देव वन (ओरण) विकास व पीएमआर बनाने के कार्य एवं आजीविका संवर्द्धन इत्यादि के कार्य करवाये जा रहे है।

वर्ष 2023–24 में परियोजना अंतर्गत 78.96 करोड़ रू० का बजट आवंटन किया गया है जिसकी अनुपालना में मण्डल प्रबन्धन इकाईयों द्वारा माह मार्च 2024 तक 68.15 करोड़ रू० का व्यय किया जा चुका है।परियोजना अंतर्गत वर्ष 2023–24 में भौतिक लक्ष्यों में 6100 है० क्षेत्र में अग्रिम वृक्षारोपण कार्य, 33 EPA कार्य व 68 किलोमीटर लम्बाई में पक्की दीवार निर्माण के कार्य व जल संरक्षण संरचनाओ के कार्य भी करवाये गये है।

चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में 217.69 करोड़ रू का प्रावधान रखा गया है। जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2024 तक 71.51 करोड रू का व्यय किया जा चुका है।

Physical Target and Achievement FY 2023-24 to 2024-25

Item	Unit	Total Project Target	Phy. Target Ach. Up to March (2023-24)	Current year Phy. Target (2024-25)	Ach. Up to Dec. 2024
Package - 1 : Afforestation					
Plantation **(Advance Action)**	Ha.	55000	3100	17000	0
Plantation	Ha.	55000	0	3100	3100
Package-2 : Agro Forestry					
Package - 3 : Development of Water Conservation Structures (WCS)					
Check Dams	Cum	200000	31006	4000	0
Contour bunding	Rmt.	250000	9425	20000	0
Gabion Structures	Nos.	500	11	20	0
Silt Detention Structure	Nos.	450	15	50	0
DLT Works	Nos.	4600	200	425	0
Renovation / restoration of traditional water harvesting structures	Nos.	200	18	20	0
Percolation Tank	Nos.	500	56	20	0
Water Harvesting Structure-i	Nos.	500	0	14	0
Water Harvesting Structure-ii	Nos.	200	4	17	0
Water Harvesting Structure-iii	Nos.	100	0	7	0
Package - 4 : Biodiversity Conservation					
Development of Plant Micro-reserves	Nos.	100	WIP	2	0
Protection of forest block by boundary wall (4 Feet Height)	Km.	410	33	52	0
Enrichment of old plantation **(Advance Action)**	Ha.	23000	3000	5657	0

Enrichment of old plantation **(Planting)**	Ha.		0	3000	3000
Conservation and development of Sacred Groves (Oran)	Ha.	3000	WIP	55	0
Package - 5 : Wildlife Development And Ecotourism					
Protection of wildlife area boundaries (6 Feet height)	km	200	35	30	0
Water Point	Nos.	250	11	23	0
Package-6 Poverty Alleviation and Livelihood improvement **Package-7 Community Mobilization**					
Entry Point Activates (EPA)	Nos.	800	33	235	0
Package-8 Capacity Building Training and Research **Package-9 Project Management**					

Financial Target and Achievement Progress from FY 2023-24 to 2024-25

S. No.	Name of Activities / Item	Allocation as per Project Cost	Ach. upto Year (March 2024) (Rs in Crore)	2024-25		Grand Total (Rs in Crore)
			2023-2024	RE	Ach. Up to Dec. ,2024	
1	AFFORESTATION	236.81	18.57	91.39	4.90	23.47
2	AGRO FORESTRY ACTIVITIES	18.25	0.00	1.45	0.00	0.00
3	WATER CONSERVATION STRUCTURES	74.26	2.91	4.97	0.02	2.93
4	BIODIVERSITY CONSERVATION	415.72	26.30	54.44	3.10	29.40
5	WILD LIFE DEVELOPMENT AND ECOTOURISM	112.25	13.78	21.48	1.50	15.28
6	LIVELIHOOD IMPROVEMENT	23.8	0.00	3.00	0.00	0.00
7	COMMUNITY MOBILIZATION	82.37	2.34	16.05	0.02	2.36
8	CAPACITY BUILDING TRAINING & RESEARCH	42.32	1.58	5.41	2.24	3.82

9	PROJECT MANAGEMENT, MONITORING & EVALUATION, CONTRACTUAL PERSONNEL FOR PMU	99.38	2.53	14.51	4.15	6.68
	Total	**1105.16**	**68.02**	**212.70**	**15.93**	**84.08**
10	PHYSICAL CONTINGENCY / RFD Share (Price Escalation+Management Cost of RFD)	588.75	0.13	5.00	55.58	55.58
	Grand Total	**1693.91**	**68.15**	**217.70**	**71.51**	**139.66**

4.3.2 नाबार्ड वित्त पोषित वृक्षारोपण परियोजना

प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र के विकास द्वारा राजस्थान को हरा–भरा बनाए जाने हेतु नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषण से राज्य के 17 जिलों (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, राजसंमद, सिरोही एवं उदयपुर) में चार चरणों में वर्ष 2012–13 से वन विकास कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है, जिसमें वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल एवं मृदा संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं आम जनता को वितरण, वन सुरक्षा प्रबंधन समितियों का गठन एवं सुदृढीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्धन कार्य आदि भी सम्मिलित हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी बढाने एवं उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होने तथा वन क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता घटाने की दृष्टि से मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण वन क्षेत्र तथा गैर वन क्षेत्रों में भी कराया गया है।

4.3.2.1 नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम चरण में वित्तीय वर्ष 2012–13 से वर्ष 2023–24 तक 166250 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा संधारण कार्य सहित मार्च, 2024 तक रूपये 96474.91 लाख व्यय किये जा चुके हैं। परियोजना के पांच चरणो के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2023–24 तक का संक्षिप्त विवरण निम्न अनुसार है:–

क. सं.	परियोजना का चरण	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य प्रारम्भ वर्ष	वृक्षारोपण लक्ष्य (है.)	अर्जित वृक्षारोपण (है.)	कुल व्यय (लाखों में) (मार्च 2024 तक)
1	RIDF-XVIII Phase-I	33665.58	2012—13	52750	52750	29466.11
2	RIDF-XX Phase-II	28234.39	2014—15	43000	42950	23539.71
3	RIDF-XXII Phase-III	15761.24	2016—17	27400	27400	14579.24
4	RIDF-XXVI Phase-IV	15087.50	2020—21	21950	21950	14812.19
5	RIDF-XXVIII Phase-V	20637.57	2023—24	22100	21200	14077.66
योग				**167200**	**166250**	**96474.91**

नाबार्ड परियोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 में माह दिसम्बर, 2024 तक कुल राशि रू. 1571.84 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

4.3.3 राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (CAMPA)

राजस्थान में वन भूमि का वनेतर उपयोग करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण से सीए, एनपीवी, एपीसीए, पीसीए, वन्यजीव प्रबन्धन संबंधी शर्तें अधिरोपित कर नियमानुसार राशि संग्रहण की जाती है । उक्त राशि के

द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना एवं वन भूमि/वनों के क्षतिपूर्ति के लिए एकत्रित राशि से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास, प्रबन्धन किये जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली, 2018 को दिनांक 30.09.2018 से प्रभावशील किया गया है । इन अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण का गठन किया गया है।

4.3.3.1 प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः—

- राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के लोक लेखा अन्तर्गत ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि—राजस्थान'' जिसे ''राज्य निधि'' के नाम से जाना जायेगा, की स्थापना की जावेगी।
- यह राज्य निधि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी तथा इसका प्रबंधन राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा। राज्य निधि में प्राप्त निधि राज्य के लोक लेखाओं के अधीन ब्याज वाली निधि होगी। राज्य निधि में अवशेष अव्यपगतीय होगा एवं जिस पर वर्षानुवर्ष आधार पर केन्द्रीय सरकार के द्वारा घोषित दर के अनुसार ब्याज प्राप्त होगा।
- एडहॉक कैम्पा में जमा राशि में 90 प्रतिशत राशि राज्य निधि में स्थानान्तरित की जावेगी तथा 10 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय प्राधिकरण में जमा रहेगी।

- राज्य निधि में प्राप्त राशि का उपयोग वृक्षारोपण, वन एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास एवं वन एवं वन्यजीव के प्रबंधन के लिए किया जावेगा।
- राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना तैयार कर संचालन समिति से अनुमोदन उपरान्त राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति से अनुमोदन के अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी।
- राज्य प्राधिकरण के प्रभावी संचालन के लिए एक गवर्निंग बॉडी रहेगी तथा इसके सहायता के लिए एक संचालन समिति एवं एक कार्यकारी समिति रहेगी।

4.3.3.2 राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के क्रियान्वतिः–

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 10.08.2018 से प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 जारी किये गये है। इन नियमों के तहत 80 प्रतिशत राशि वन तथा वन्य जीव प्रबंधन के लिये उपयोग में लायी जावेगी तथा 20 प्रतिशत राशि वन तथा वन्य जीव से संबंधित आधारभूत संरचनाओं के सुदृढीकरण के उपयोग में शामिल कार्मिकों की क्षमता निर्माण के लिये किया जावेगा । राज्य निधि से अंतरित ब्याज का 60 प्रतिशत रकम वन एवं वन्यजीव के संरक्षण और विकास के लिए व्यय किया जायेगा तथा ब्याज का 40 प्रतिशत राज्य प्राधिकरण के अनावर्ती और आवर्ती व्यय के लिए खर्च किया जावेगा।

- राजस्थान राज्य के लोक लेखा अन्तर्गत ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि–राजस्थान'' जिसे ''राज्य निधि'' के नाम से जाना जायेगा, की स्थापना की जा चुकी है ।

- राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि के लेखांकन हेतु वित्त विभाग द्वारा दिनांक 28.09.2018 को नवीन बजट मद खोल दिये गये हैं । केन्द्रीय सरकार ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन के लिये दिनांक 20.11.2018 से प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (लेखांकन प्रक्रिया) नियम, 2018 जारी किये हैं । जिसके अन्तर्गत मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, उप शीर्ष खोले जा चुके हैं।
- वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा राशि रू. 2109.04 करोड राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दी गई है ।
- वर्ष 2024–25 की वार्षिक कार्य योजना राशि रू. 198.44 करोड भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई एवं माह दिसम्बर 2024 तक राशि रू. 42.92 करोड का व्यय हो चुका है । विगत तीन वर्षों का प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि लाखों में	किया गया व्यय (राशि–लाखों में)	
2021-22	20317.52	18212.42	व्यय कोषालय के माध्यम से (A.G. Audited)
2022-23	23087.57	20905.58	व्यय कोषालय के माध्यम से (A.G. Audited)
2023-24	26200.00	24235.06	व्यय कोषालय के माध्यम से
2024-25 (upto December 2024	30610.07	4292.12	व्यय कोषालय के माध्यम से

राजस्थान स्टेट कैम्पा में वर्ष 2021–22 से 2024–25 (माह दिसम्बर 2024) तक कराये गये मुख्य कार्यों की प्रगति

Name of Works	Progress			
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (upto December 2024)
Compensatory Afforestation (NFL Planting)	243.922 Ha.	116.985 Ha.	458.00 Ha.	309.05 Ha.
Compensatory Afforestation (DFL Planting)	564.5938 Ha.	327.8068 Ha.	325.595 Ha.	606.30 Ha.
Additional Compensatory Afforestation (ACA Planting)	-	-	69.568 Ha.	0.00 Ha
Penal Compensatory Afforestation (PCA Planting)	-	-	512.235 Ha.	566.58 Ha.
Assisted Natural Regeneration (Restocking of Degraded Forest Areas) (ANR Planting)	16680.00 Ha.	9917.00 Ha.	10500.00 Ha.	12100 Ha.
Reforestation of Degraded Forests-II (RDF-II Planting)	-	-	1000.00 Ha.	600.00 Ha.
Sand Dunes Stabilization for IGNP Areas (SDS Planting)	-	-	1000.00 Ha.	600.00 Ha.
Block Plantation	-	-	420.00 Ha.	725.00 Ha.
Canal Side Plantation	-	-	300.00 Rkm.	0.00

Silvi Pastoral Planting	835.00 Ha.	350.00 Ha.	1210.00 Ha.	1500.00 Ha.
construction of pucca wall (4 & 6 feet height)	51484.50 Rmt.	70186.00 Rmt.	57597.51 Rmt.	Work in Progress
Forest Boundary Protection / Demarcation by erection of RCC Boundary Pillars	7389.00 No.	11259.00 No.	3731.00 No	Work in Progress
(SMC) Works (Anicut Type III & II)	101.00 No.	79.00 No.	59.00 No.	Work in Progress
Construction of Forest Guard Chowkies	24.00 No.	24.00 No.	11.00 No.	Work in Progress
Construction of Office-cum-Residence (OCR)	8.00 No.	16.00 No.	8.00 No.	Work in Progress
Purchase of Moter cycle	-	42.00 Nos.	51.00 No.	Work in Progress
Panther conservation Reserve	-	Rs.104.92 Lakh	-	-
Project Leopard (works including Strengthening of prey base, construction of water holes, Shelter habitat development, Eco restoration wall Avoiding man-Animal conflict etc.) Kumbhalgarh & Todgarh Raoli Sanctuary	Rs. 185.89 Lakh	Rs. 114.31 Lakh	-	-

conservation of Bansial Khetari Conservation reserve Jhunjhunu as per project	Rs. 75.22 Lakh	Rs. 87.40 Lakh	Rs. 19.77 Lakh	Rs. 11.47 Lakh
conservation of Bansial Khetari - Bagour Conservation reserve Jhunjhunu asper project	Rs. 84.59 Lakh	Rs. 76.87 Lakh	Rs. 19.96 Lakh	Rs. 10.17 Lakh
Conservation reserve beed Jhjunjhunu as per Project	Rs. 102.03 Lakh	Rs. 28.27 Lakh	Rs. 19.97 Lakh	Rs. 10.42 Lakh
Mansamata Conservation Reserve, Jhunjhunu	Rs. 54.24 Lakh	Rs. 65.04 Lakh	Rs. 17.10 Lakh	Rs. 0.24 Lakh
Shahabad Conservation Reserve, Baran	-	Rs. 70.07 Lakh	Rs. 19.20 Lakh	-
Voluntary relocation of villages from protected Areas	Rs. 2372.287 Lakh	Rs. 1907.61 Lakh	Rs. 2098.88 Lakh	Rs. 2.00 Lakh
Conservation of Lesser Florican Conservation Reserve Sarwar Ajmer	Rs. 14.37 Lakh	Rs. 115.51 Lakh	Rs. 5.47 Lakh	-

मिटिगेटिव मैजर्स के तहत् वर्ष 2019–20 तक कुल राशि रू. 2580.97 लाख एडहॉक कैम्पा से प्राप्त हुए जिसके विरूद्ध वर्ष 2020–21 तक राशि रू. 2132.19 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2020–21 से वर्ष 2023–24 राशि रू. 1513.57 लाख

एवं वर्ष 2024–25 में (माह दिसम्बर 2024 तक) राशि रू. 86.34 लाख वृक्षारोपण संधारण कार्य हेतु स्टेट कैम्पा से व्यय की जा चुकी है।

4.3.4 पर्यावरण वानिकी

आमजन को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से क्रियान्वित की जा रही इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में रू. 1289.75 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2024 तक राशि रू. 248.33 लाख व्यय किये जा चुके हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क.सं.	गतिविधि का विवरण	वर्ष 2024–25 में स्वीकृत प्रावधान राशि (रू. लाखो में)	दिसम्बर, 2024 तक व्यय राशि (रू. लाखो में)
1	पर्यावरण वृक्षारोपण (ETF)	284.00	170.49
2	अशोक विहार उद्यान एवं डियर पार्क के विकास हेतु	32.75	13.23
3	स्मृति वन जयपुर का संधारण	25.00	14.00
4	पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री बजट घोषणा	75.00	0
5	गोरधन परिक्रमा मार्ग पर वृक्षारोपण	5.00	0
6	हर्बल गार्डन, अजमेर संधारण	5.00	1.69
7	स्मृति वन सीकर का संधारण	15.00	4.65

8	जोधपुर के देवकुण्ड वनखण्ड में वन औषधीय उद्यान का संधारण	5.00	0.06
9	स्मृति वन बाडमेर हिल्ली का संधारण	10.00	0.90
10	नेचर पार्क चूरू का संधारण	15.00	11.73
11	झालावाड में नोलक्खा किला स्मृति वन का संधारण	5.00	0.00
12	फतेहपुर–सीकर में सिटी नेचर पार्क का निर्माण	213.00	26.84
13	नानी बीड को ईकोलोजी पार्क व पक्षी विहार के रूप में विकसित करने हेतु	398.00	4.70
14	माननीया उप मुख्य मंत्री महोदया द्वारा राजस्थान विधानसभा में परिवर्तित बजट 2024–25 में की गई बजट घोषणा अलवर में Biological Park की स्थापना	202.00	0.00
	योग	**1289.75**	**248.33**

4.3.5 परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण

इस योजना के अन्तर्गत परिभ्रांषित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं जल तथा मृदा संरक्षण के कार्य करवाये जा रहे हैं। इस वर्ष 21850 है0 वन क्षेत्र में अग्रिम कार्य करवाया जा रहा है एवं 26500 है0 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 9600 हैक्टेयर चारागाह विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में रू. 22635.37 लाख

व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व दिसम्बर, 2024 तक 7829.11 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

4.3.6 जलवायु परिवर्तन एवं मरू प्रसार रोक

वातावरण में आ रहे बदलावों को दृष्टिगत रखते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण मरू प्रसार की अभिवृद्धि को रोकने हेतु मरूस्थलीय जिलों में मुख्यतया टिब्बा स्थिरीकरण के कार्य करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2024–25 में 13925 है0 क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करवाया जा रहा है तथा 17500 है0 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन कार्यो पर इस वित्तीय वर्ष में रू. 20283.47 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2024 तक 7999.70 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

4.3.7 पौध वितरण

राजस्थान वन नीति, 2023 के लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिगत, अब वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण प्रोत्साहित करने के लिये ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों एवं जन साधारण के सहयोग से एक वृहद् वृक्षारोपण कार्यक्रम ट्री आउट साईड फोरेस्ट एरिया (TOFR) के रूप में चलाये जाने के क्रम में वर्ष 2024–25 में 4.00 करोड पौधे तैयार किये जायेगे।

आम जनता एवं कृषकों को वितरण हेतु पौधे तैयार करने का कार्य फार्म फोरेस्ट्री (प्लान), आर.एफ.बी.पी. फेज–। रिवोल्विंग फंड (नोन प्लान) एवं नाबार्ड (प्लान) परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत 2023–24 में वितरित पौधे, वर्ष 2024–25 में दिसम्बर, 2024 तक वितरित पौधे एवं वर्ष 2025–26 में वर्षा ऋतु में वितरण हेतु तैयार किये जाने वाले पौधों का वितरण निम्नानुसार हैः–

नाम योजना	वर्ष 2023–24 में वितरित पौधे (लाखों में)	वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर तक वितरित पौधे (लाखों में)	आगामी वर्षा ऋतु में वितरण हेतु इस वर्ष तैयार किये जाने वाले पौधों का लक्ष्य (लाखों में)	
			भौतिक	वित्तीय (रूपये)
फार्म फोरेस्ट्री (TOFR)/अन्य	347.46	369.96	400.00	3932.00
RFBP Ph. I (रिवोल्विंग फंड)	20.26	37.01	33.75	177.22
नाबार्ड परियोजना	6.33	2.44	56.00	505.29
योग	**374.55**	**409.41**	**489.75**	**4614.51**

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बजट घोषणा अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में 5.00 लाख बडे पौधों की तैयारी की गई है एवं इस वर्ष भी 5.00 लाख बडे पौधे तैयार किये जा रहे हैं, जिसके लिये पृथक से रू. 135.69 लाख का प्रावधान रखा गया है। ये पौधे वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 मे वितरण हेतु उपलब्ध होगें।

4.3.8 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। ये अभिकरण ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराते हैं। राज्य में 33 वन विकास अभिकरण कार्यरत हैं। 9 जुलाई, 2010 से राज्य में राज्यस्तरीय ''राज्य वन विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। यह अभिकरण सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। वर्ष 2021–22 हेतु राशि रूपये 115.30 लाख एवं वर्ष 2022–23 हेतु राशि रू. 26.63 लाख की दो वार्षिक कार्य योजना (ए.पी.ओ.) भारत सरकार को स्वीकृति हेतु

भिजवाया गया था, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। उक्त परियोजना को अब ग्रीन इण्डिया मिशन में विलय कर दिया गया है।

4.3.9 साझा वन प्रबंध की सुदृढ़ीकरण योजना

वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध का क्रियान्वयन राज्य में 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्तमान में वन क्षेत्रों एवं वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए राज्यादेशों दिनांक 17.10. 2000, दिनांक 24.10.2002 एवं दिनांक 21.09.2023 के अनुरूप क्रियान्विति की जा रही है। उक्त आदेशों के क्रम में वर्तमान में राज्य में लगभग 6508 समितियां (ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति एवं ईको डवलपमेंट कमेटी) गठित हैं। इन ग्राम वन प्रबन्ध सुरक्षा समितियों के सुदृढीकरण के लिए चालू वर्ष में 15.00 लाख रू. व्यय का प्रावधान है। जिसके विरूद्व दिसम्बर, 2024 तक 3.31 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

4.3.10 विदोहन एवं पुनः वृक्षारोपण (योजना भिन्न के अन्तर्गत)

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में अब तक लगभग 145000 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाये गये हैं। नहर के किनारे एवं आबादी वृक्षारोपण क्षेत्रों से लगभग 24000 है0 क्षेत्रफल में वृक्षारोपण विदोहन हेतु 10 वर्ष की कार्य योजना वर्ष 1999–2000 से 2008–09 एवं द्वितीय कार्य योजना वर्ष 2011–12 से 2020–21 तक स्वीकृत है। वृक्षारोपणों का विदोहन वर्ष 2000 से शुरू किया गया। पुराने वृक्षारोपणों का विदोहन कार्य विभाग की विभागीय कार्य इकाई द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है। विदोहन किये क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण में मुख्यतया शीशम,देशी बबूल, सफेदा, अरडू, खेजडी, झींझा के पौधे लगाये गये हैं। वर्ष 2017–18 से 2022–23 की अवधि में किये गये पुनः वृक्षारोपण कार्यो का विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	वर्ष	पुनः वृक्षारोपण क्षेत्र (है0 में)
1	2017–18	597.80
2	2018–19	1028.26
3	2019–20	541.00
4	2020–21	427.48
5	2021–22	514.95
6	2022–23	604.91

4.3.11 अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

वन अनुसंधान को और गति प्रदान करने की दृष्टि से यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2024–25 में वानिकी क्षेत्र में वन्यजीव तथा वानिकी इंटर्न्स पर राशि रू. 8.80 लाख, स्टेट लेवल स्टेयरिंग बैठकों में अध्यक्ष मय सदस्यों के मानदेय भुगतान पर राशि रू. 2.00 लाख, वानिकी प्रशिक्षण पर राशि रूपये 88. 70 लाख तथा वानिकी अनुसंधान कार्यों पर राशि रूपये 30.00 लाख अर्थात कुल राशि रू. 128.80 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यो पर माह दिसम्बर, 2024 तक 48.98 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

अध्याय–5
मृदा एवं जल संरक्षण

5.1 बाढ सम्भावित नदी परियोजनाएं

आजादी के पश्चात् भारत सरकार द्वारा ढॉचागत विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई व कृषि पैदावार बढ़ाने हेतु नदियों पर बांधों का निर्माण किया गया। जिस तरह बांधों में नदी के जलग्रहण क्षेत्र से बहकर आने वाली मिट्टी व जमाव को रोकने/कम करने हेतु नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई, उसी तरह कालान्तर में यह महसूस किया गया कि कुछ नदियों में बाढ़ की समस्या के कारण जान–माल के अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का भी नुकसान हो रहा था उसी के मध्यनजर पांचवी पंचवर्षीय योजना से बाढ़ उन्मुख नदियों को भी केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं में शामिल किया गया। उसी के क्रम में वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना संचालित की जा रही है। बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना के अन्तर्गत बनास व लूणी नदी परियोजनाएं एवं नम भूमि संरक्षण परियोजनान्तर्गत सांभर नम भूमि उपचार योजना के अभियांत्रिकी कार्य मुख्य वन संरक्षक, बाढ़ संभावित नदी परियोजना, जयपुर के नियंत्रण में करवाये जा रहे हैं तथा इनके अधीन कार्यालय भू संरक्षण अधिकारी (वानिकी) टोंक, वरिष्ठ योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी, बनास नदी परियोजना, भीलवाड़ा, भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि) बनास नदी परियोजना, सवाईमाधोपुर, भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि), लूणी नदी परियोजना, सोजत रोड (पाली) में कार्यरत है।

उक्त परियोजनाओं के तहत मुख्यतः बनास, लूणी व इनकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा व जल संरक्षण हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य करवाये जा रहे हैं। मृदा व जल संरक्षण कार्य कृषि, बंजर एवं वन भूमि पर करवाये जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्गमित नालों का उपचार (Drainage Line Treatment) भी किया जा रहा है।

उद्देश्य (Objectives) :–इन भू–संरक्षण परियोजनाओं के निम्न उद्देश्य हैं।

- जलग्रहण क्षेत्र में बहुआयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपन (Degradation) को रोकने,
- जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने (Water holding capacity) तथा आर्द्रता की प्रवृत्ति को सुधारना,
- अनुकूल भू उपयोग (Appropriate land use) को प्रोत्साहित करना, जलप्रवाह तथा अधिकतम जल प्रवाह आयतन कम करना,
- जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंध में जन भागीदारी सुनिश्चित करना तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बाढ़ संभावित बनास व लूणी नदी के प्रवाह

क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य कराने हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। विगत 3 वर्षो में करायें गयें विकास कार्यो की सूचना निम्नानुसार हैं:—

नाम योजना	वर्ष 2021—22				2022—23				2023—24			
	उप जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या	क्षेत्रफल (है.)	जलग्रहण संरचनाओं की संख्या	राशि (लाखों में)	उप जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या	क्षेत्रफल (है.)	जलग्रहण संरचनाओं की संख्या	राशि (लाखों में)	उप जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या	क्षेत्रफल (है.)	जलग्रहण संरचनाओं की संख्या	राशि (लाखों में)
एफ.पी. आर. बनास व लूणी परियोजना	55	10272	1072	1811.09	36	7743	746	1118.69	51	3858	493	659.031

5.2 नदी घाटी परियोजना अर्न्तगत भू–संरक्षण कार्य एक दृष्टि में।

सिंचाई, विद्युत एवं पीने के पानी की आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नदियों पर बहुउद्देश्यीय बांधों (Multipurpose Dams) का निर्माण किया गया है। इन बॉधों के निर्माण में विभिन्न योजना काल खण्डों में अत्यधिक राशि का व्यय हुआ है। अतः बॉधों की राष्ट्र के लिये उपयोगिता अधिकतम समय तक बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इनके जलाशयों में मिट्टी की आवक को न्यूनतम रखा जावे। बॉधों के निर्माण के पश्चात् सामान्यतया साद उत्पादन दर (Sediment Production Rate) अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जलाशयों की भराव क्षमता तीव्र गति से कम होती जाती है। साद उत्पादन दर को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान् केन्द्र प्रवर्तित नदी घाटी परियोजना अर्न्तगत जल ग्रहण क्षेत्रों में भू–संरक्षण परियोजना प्रारम्भ की गई। राष्ट्र की बहुउद्देश्यीय योजनाओं में नदी घाटी परियोजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संक्षिप्त में इन्हें "नदी घाटी परियोजना" कहा जाता है। राजस्थान में चम्बल, माही, दांतीवाडा एवं साबरमती नदी घाटी परियोजनायें क्रमशः वर्ष 1962, 1969, 1970 एवं 2003 से प्रारम्भ की गई हैं जो क्रमशः चितौड़गढ, बांसवाड़ा व प्रतापगढ, सिरोही व उदयपुर जिले में स्थित है। चम्बल नदी पर निर्मित गांधीसागर, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध, माही नदी पर निर्मित माही बजाज सागर एवं कडाना बांध वेस्ट बनास पर निर्मित दांतीवाडा बांध एवं साबरमती नदी पर साबरमती बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्तमान में भू–संरक्षण परियोजना संचालित है। इन बांधों के जल भराव क्षमता अच्छी बने रहने से राज्य की जल सुरक्षा (Water Security), सिंचाई सुविधा इत्यादि सुनिश्चित रहती हैं। हाल ही में अनेक शहरों में भूजल स्थिति (Under

ground water status) में अत्यधिक ह्रास होने के फलस्वरूप इन शहरों में पेयजल आपूर्ति के लिये इन बड़े बॉधों पर निर्भरता बढ़ी है इसलिये इन बॉधों की बहुउद्वेश्यीय उपयोगिता को लम्बे समय तक बनाये रखने में भू–संरक्षण नदी घाटी परियोजना का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। भू–संरक्षण नदी धाटी परियोजना अर्न्तगत वर्ष 2023–24 तक कुल 369 जलग्रहण क्षेत्र उपचारित किये जा चुके है जिनका कुल क्षेत्रफल 678337 हैक्टेयर है जो राजस्थान में स्थित उपरोक्त नदियों के कुल क्षेत्रफल 2496200 हैक्टेयर का 27 प्रतिशत है।

उपचार की रणनीति (Stretagy of Treatment):–

जलग्रहण क्षेत्र के उपचार हेतु निम्न रणनीति प्रतिपादित की गई है:–

1– मौजूदा वनों की सुरक्षा कर वनस्पति घनत्व बढ़ाना।

2– पहाड़ों से बहकर आते जलप्रवाह के वेग को कम करना।

3– नमी संरक्षण।

4– उबड़–खाबड़ बंजर भूमि के विस्तार की रोकथाम एवं समतलीकरण।

5– असमतल कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि रकबा बढ़ाना।

6– भू–क्षरण की रोकथाम।

7– अतिरिक्त जलप्रवाह को रोककर फसल उत्पादन को बढ़ाना।

8– स्थानीय किसानों को भू–संरक्षण की नवीन तकनीक से अवगत कराना।

9– स्थानीय लोगों के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाना।

उक्त समस्त कार्यो का एकीकृत प्रबंधन कर क्षेत्र का व्यापक विकास ही इस रणनीति का उद्वेश्य है।

उपलब्धियां:–चम्बल, माही, दांतीवाड़ा एवं साबरमती केचमेंट अर्न्तगत वर्ष 2021–22 से 2023–24 के दौरान उपचारित भूमि में निर्मित संरचनाओं एवं व्यय राशि की

सूचना निम्न प्रकार है। वर्ष 2013–14 से उपरोक्त चालू परियोजनाओं में भू–संरक्षण कार्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अर्न्तगत करवाया जा रहा है।

वर्ष 2021–22 से 2023–24 (31.03.2024 तक) तक उपलब्धि निम्न प्रकार है:–

1-Progress during 2021-22

S. No	R.V.P	Allotted Budget	Target			Achievement during 2021-22		
			Physical (Ha.)	Structure (No.)	Financial (Rs.in Lakh)	Physical (Ha.)	Structure(No.)	Financial (Rs.in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chambal	350.00	2323	103	418.44	2111	88	337.20
2	Mahi	500.00	1583	574	500.00	1583	574	484.71
3	Dantiwara & Sabarmati	500.00	3854	468	500.00	3854	468	499.98
	Total	**1350.00**	**7760**	**1145**	**1418.44**	**7548**	**1130**	**1321.89**

2-Progress during 2022-23

S. No	R.V.P	Allotted Budget	Target			Achievement during 2022-23		
			Physical (Ha.)	Structure(No.)	Financial (Rs.in Lakh)	Physical(Ha.)	Structure(No.)	Financial (Rs.in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chambal	108.03	212	15	108.19	212	15	108.03
2 -i	Mahi	329.97	1571	538	335.18	1558	538	329.86
ii	Pending liabilities 21-22	11.39	0	0	9.29	0	0	9.20
3	Dantiwara & Sabarmati	450.00	2663	2900	820.84	2191	2272	450.00
	Total	**899.39**	**4446**	**3453**	**1273.50**	**3961**	**2825**	**897.09**

3-Progress during 2023-24

S. No	R.V.P	Allotted Budget (in lacs.)	Target			Achievement during 2023-24		
			Physical (Ha.)	Structure (No.)	Financial (Rs.in Lakh)	Physical (Ha.)	Structure (No.)	Financial (Rs.in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	i-Chambal (ongoing)	0	0	0	0	0	0	0
	ii-Chambal (New Project)	150.00	6373	0	976.56	1290	73	150.00
2	i-Mahi (ongoing)	4.35	13	0	5.20	13	0	4.35
	ii-Mahi (New Project)	99.88	3300	637	100.00	790	215	99.88
3	i-Dantiwara & Sabarmati (ongoing)	370.84	544	628	370.84	544	628	369.83
	ii-Dantiwara & Sabarmati (New Project)	150.00	8218	0	710.00	567	528	63.66
	Total	**775.07**	**18448**	**1265**	**2162.60**	**3204**	**1444**	**687.72**

विशेष टिप्पणीः—बाढ़ संभावित नदी परियोजनाओं एवं नदी घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत मृदा एवं जल संरक्षण कार्यो को सम्पादित करने वाले प्रोजेक्ट वन मण्डलों के कार्यो की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं प्रशासनिक सुगमता के मद्देनजर संबंधित संभागीय मुख्य वन संरक्षक को नियंत्रण अधिकारी बनाया गया है।

अध्याय–6

मूल्यांकन एवं प्रबोधन

वन विकास के कार्यो में मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से विभाग में राज्य स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ गठित किया है जो अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, राजस्थान के नेतृत्व में कार्य करता है। यह प्रकोष्ठ विभाग द्वारा करवाये जा रहे वानिकी विकास कार्यो की मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सतत् मूल्यांकन करता रहता है।

उक्त कार्य हेतु राज्य के सभी संभागो में उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन के नेतृत्व में मूल्यांकन इकाईयां कार्यरत है जो उपलब्ध मानव एवं बजट संसाधनों के अनुसार कार्य करती हैं। ये इकाईयॉ वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, राजस्थान/अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, राजस्थान जयपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में है तथा उनके निर्देशानुसार कार्य करती हैं।

इन इकाईयों को समय–समय पर मुख्यालय से आदेश प्रसारित कर विभिन्न वन मण्डलों के चयनित कार्यो एवं अन्य कार्यो के मूल्यांकन हेतु निर्देश दिये जाते है। ये इकाईयां मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता बनाये रखते हुए कार्य करती हैं एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा समवर्ती मूल्यांकन हेतु समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये हैं। इन परिपत्रों/आदेशों के अनुसार ही मूल्यांकन ईकाईयों द्वारा मूल्यांकन कार्य कर मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं।

6.1 मूल्यांकन ईकाईयों के कार्य

संभाग स्तर पर कार्यरत मूल्यांकन इकाइयों द्वारा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम एण्ड ई द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप चयनित कार्य स्थलों का शत प्रतिशत या सैंपलिंग पद्धति से मूल्यांकन कार्य किया जाता है।

मूल्यांकन के दौरान इकाई द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निम्न कार्यो पर विशेष ध्यान दिया जाता है–

- कार्यस्थल से संबंधित क्षेत्र का माईक्रोप्लान।
- कार्यस्थल की उपचार योजना।
- कार्यस्थल का मानचित्र मय मृदा मानचित्र।
- कार्यस्थल का चयन मॉडल के अनुरूप किया गया हो।
- कराये गये कार्य का प्राक्कलन।
- बाडबंदी की प्रभाविता।
- वृक्षारोपण हेतु करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से।
- वृक्षारोपण हेतु पौधों की सुनिश्चिता हेतु नर्सरी व्यवस्था।
- किये गये वृक्षारोपण की तकनीक।
- वृक्षारोपण में लगाये गये पौधों की प्रजाति का चयन।
- वृक्षारोपण पश्चात करवाये जाने वाले विभिन्न संधारण कार्यो तथा सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस की स्थिति।
- पौधों के विकास की स्थिति।
- पौधारोपण की सुरक्षा एवं संधारण की स्थिति।
- पौधारोपण स्थल से संबंधित समस्त रिकार्ड के संधारण की स्थिति।
- वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यो आदि में सक्रियता की स्थिति आदि।

मूल्यांकन के उपरांत मूल्यांकन इकाई द्वारा मूल्यांकन के संबंध में विस्तृत चर्चा संबंधित उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा कार्यस्थल प्रभारी से की जाती है। वृक्षारोपण में पाई गई विभिन्न कमियों तथा सुधार के संबंध में मूल्यांकन इकाई अपना प्रतिवेदन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम एण्ड ई, राजस्थान को प्रस्तुत करती है।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम. एण्ड ई., राजस्थान के स्तर पर इस प्रकार प्राप्त प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर वृक्षारोपण के संबंध में सुधारात्मक सुझाव एवं सुधार हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु संभागीय स्तर

पर पदस्थापित मुख्य वन संरक्षक को आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश प्रदान किये जाते है।

6.2 संभाग पर कार्यरत मूल्यांकन दलों द्वारा विगत वित्तीय वर्षो के संपादित मूल्यांकन कार्यों की संभागवार/वर्ष वार स्थितिः—

6.2.1 वर्ष 2021—22

क्रम संख्या	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या					अग्रिम कार्यों की साइट्स की संख्या	अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि) अन्य एम.जे. एस.ए. फेज—II	योग
		40 प्रतिशत से कम	40—60 प्रतिशत	60—80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	अजमेर	2	12	18	3	35	0	17	52
2	बीकानेर	0	0	0	0	0	0	0	0
3	भरतपुर	18	36	0	0	54	0	48	102
4	जयपुर	0	10	28	6	44	0	48	92
5	जोधपुर	6	28	13	3	50	0	12	62
6	कोटा	19	54	27	7	107	0	36	143
7	उदयपुर	0	8	1	0	9	0	102	111
	योग	45	148	87	19	299	0	263	562

नोट—वर्ष 2021—22 में बीकानेर संभाग की सूचना शून्य है।

6.2.2 वर्ष 2022—23 एम.एण्ड.ई. मॉडयूल

क्रम संख्या	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या					अग्रिम कार्यों की साइट्स की संख्या	अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि) अन्य एम.जे. एस.ए. फेज—II	योग
		40 प्रतिशत से कम	40—60 प्रतिशत	60—80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	अजमेर	0	5	11	5	21	0	0	21
2	भरतपुर	0	3	20	1	24	0	0	24
3	बीकानेर	0	9	26	13	48	0	0	48
4	जयपुर	0	17	23	13	53	0	0	53
5	जोधपुर	6	4	13	0	23	0	0	23
6	कोटा	0	2	14	9	25	0	0	25
7	उदयपुर	1	21	24	16	62	0	0	62
	योग	7	61	131	57	256	0	0	256

नोट :— कुल 294 आवंटित साईट में से 256 साइट का मूल्यांकन पूर्ण हो चुका है तथा 38 साईट की रिपोर्ट एम.एण्ड.ई. मॉडयूल पर प्राप्त होनी शेष है।

6.2.3 वर्ष 2023—24 एम.एण्ड.ई. मॉडयूल

कम संख्या	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या					अग्रिम कार्यों की साइट्स की संख्या	अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि) अन्य एम.जे. एस.ए. फेज—II	योग
		40 प्रतिशत से कम	40—60 प्रतिशत	60—80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	अजमेर	0	0	0	0	0	0	0	0
2	भरतपुर	0	0	2	1	3	0	0	3
3	बीकानेर	0	1	0	1	2	0	0	2
4	जयपुर	0	2	2	0	4	0	0	4
5	जोधपुर	0	5	0	0	5	0	0	5
6	कोटा	0	0	0	0	0	0	0	0
7	उदयपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	0	8	4	2	14	0	0	14

नोट :— कुल 330 आवंटित साईट में से 14 साईटों की मूल्यांकन रिपोर्ट एम.एण्ड ई. मॉडयूल पर अद्यतन की गई है तथा शेष साईटों का कार्य प्रगतिरत है।

6.3 स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा विभागीय कार्यों का मूल्यांकन

वर्ष 2018—19 में नाबार्ड वित्त पोषित (Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF--XVIII, Phase-I, 2013-14 to 2015-16) के अंतर्गत करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यो का तृतीय पक्ष मूल्यांकन सेन्टर फोर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीस (C-DECS), जयपुर द्वारा किया गया। उक्त संस्था द्वारा 17 वन मण्डलों का मूल्यांकन कार्य किया गया है। सेन्टर फोर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीस (C-DECS), जयपुर द्वारा नाबार्ड फेज—I परियोजनान्तर्गत करवाये गये वानिकी विकास कार्यो के तृतीय पक्ष मूल्यांकन का कार्य पूर्ण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार वर्ष 2013—14 से 2015—16 तक करवाये गये वृक्षारोपणों में जीवितता

प्रतिशत 20% से कम 5 वृक्षारोपण, 21–40% 5 वृक्षारोपण, 41–60 % के मध्य 107 वृक्षारोपण व 61–80% के मध्य 8 वृक्षारोपण पाये गये।

इसके अतिरिक्त उक्त 3 वर्षो में करवाये गये मृदा एवं जल संरक्षण कार्यो में 3010 है0 कन्टूर बंडिंग, 132 LSCD, 65 फार्म पॉन्डस, 44 गैबियन स्ट्रक्चर, 36 PCT/Nadi 36 WHS, 24 एनिकटटाइप-II, 17 एनिकटटाइप-III, 11 मिट्टी चैकडेमसभी चैक किये गये। इसमें से 99.6% रिकॉर्ड व साईट के अनुसार सही पाये गये तथा 83% संरचनाएं फंक्शनलपायी गयी।

6.4 तृतीय पक्ष मूल्यांकन (कैम्पा)

- कैम्पा के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य (Assets) का तृतीय पक्ष मूल्यांकन वर्ष 2022 में CDECS JAIPUR द्वारा 15 जनवरी 2022 से 15 जुलाई 2022 तक पूर्ण कर लिया गया है।

- CDECS JAIPUR द्वारा 55 वनमण्डलों को 85 रेन्जों का मूल्यांकन कार्य किया गया। कैम्पा योजना में वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान वानिकी विकास कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन पूर्ण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक करवाए गए वृक्षारोपण कार्यों में औसत जीवितता 48.44 प्रतिशत पाई गई तथा जीवितता प्रतिशत के अनुसार 0–20% के मध्य 6 वृक्षारोपण, 21–40% के मध्य 3 वृक्षारोपण, 41–60% के मध्य 86 वृक्षारोपण, 61–80% के मध्य 15 वृक्षारोपण, 80%से अधिक 1 वृक्षारोपण साइट पाई गई।

- इसके अतिरिक्त उक्त 3 वर्षो में करवाये गये मृदा एवं जल संरक्षण कार्यो में 8 एनिकट टाइप–II, 10 एनिकट टाइप-III, 4 फीट पक्की दीवार 73 साइटों पर, 6 फीट पक्की दीवार 48 साइटों पर , 17 फोरेस्ट गार्ड चौकी, 4 रेंज ऑफिस कम रेजीडेंस, रेस्क्यू सेन्टर/वार्ड 12, बाउन्ड्री पिलर्स 32, नर्सरी 9, रोडसाइड प्लांटेशन 5 भी चैक किये गये।

- कैम्पा के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 से 2021–22 तक करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य (Assets) का तृतीय पक्ष मूल्यांकन वर्ष 2023 में CDECS JAIPUR द्वारा 18 अप्रेल 2023 से 18 नवंबर 2023 तक पूर्ण कर लिया गया है।

- CDECS JAIPUR द्वारा 51 वनमण्डलों को 225 रेन्जों का मूल्यांकन कार्य किया गया। कैम्पा योजना में वर्ष 2020–21 से 2021–22 के दौरान वानिकी विकास कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन पूर्ण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार वर्ष 2020–21 से 2021–22 तक करवाए गए वृक्षारोपण कार्यों में औसत जीवितता 50.70 प्रतिशत पाई गई तथा जीवितता प्रतिशत के अनुसार 0–20% के मध्य 2 वृक्षारोपण, 21–40% के मध्य 1 वृक्षारोपण, 41–60% के मध्य 138 वृक्षारोपण, 61–80 % के मध्य 14 वृक्षारोपण, 80% से अधिक 3 वृक्षारोपण साइटस पाई गई।

- इसके अतिरिक्त उक्त 2 वर्षो में करवाये गये मृदा एवं जल संरक्षण कार्यो में 30 एनिकट टाइप–II, 16 एनिकट टाइप-III, 4 फीट पक्की दीवार 35 साइटों पर, 6 फीट पक्की दीवार 23 साइटों पर , 7 फोरेस्ट गार्ड चौकी, 3 रेंज ऑफिस कम रेजीडेंस, रेस्क्यू सेन्टर/वार्ड 1, बाउन्ड्री पिलर्स 232, एम पी टी 18 तथा 1 रोडसाइड प्लांटेशन भी चैक किये गये।

6.5 आलौच्य वर्ष की विशेष पहलः– कार्यालय प्रधाान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ.1(56)एफ.एम.डी.एस.एस. / अप्रमुवसं / एम. एण्डई. / 11077267 दिनांक 16.10.2024 द्वारा विभाग की विभिन्न योजनाओं में 5 वर्ष, 8 वर्ष एवं 12 वर्ष के लिए करवाए जा रहे वृक्षारोपण कार्यों का प्रभावी ढ़ग से स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन करवाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए है। चरणवार प्रतिवर्ष कुल अग्रिम मृदा कार्यों एवं वृक्षारोपण कार्यों का 35 प्रतिशत कार्यों का मूल्यांकन वर्ष 2024–25 से स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा करवाया जाएगा।

अध्याय–7

वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

7.1 संक्षिप्त विवरण

जैव विविधता की दृष्टि से राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के बावजूद भी राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश–विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्यजीवों के स्वच्छन्द विचरण के अवलोकन हेतु प्रदेश में स्थित टाईगर रिजर्वस्/राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में आते हैं। विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों जैसे गोड़ावण, खरमोर इत्यादि के संरक्षण में राज्य का वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभयारण्य एवं 37 कन्जर्वेशन रिजर्व अधिसूचित हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 5 टाईगर रिजर्व भी अधिसूचित हैं।

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानान्तर्गत प्रदेश में वन्य जीवों का शिकार पूर्णतया निषिद्ध है। वर्तमान में अच्छे एवं सघन वन क्षेत्र मुख्यतः अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित हैं, जिन पर आसपास में विद्यमान आबादी के कारण अत्यधिक जैविक दबाव बना रहता है। इस जैविक दबाव के कारण वन्यजीव प्रबंधकों एवं स्थानीय ग्रामवासियों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को लेकर संघर्ष एवं तनाव की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। इस संघर्ष एवं तनाव को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से सटे हुए बफर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है ताकि अतिरिक्त जैविक दबाव से निरन्तर ह्रास हो रहे वन्य जीव क्षेत्रों में वन्यजीवों के लिए पानी, आवास एवं भोजन आदि की सुविधाओं का विकास हो सके।

7.2 वन्य जीव प्रभाग द्वारा संपादित महत्वपूर्ण गतिविधियां

राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीव प्रबन्धन के लिए वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Project Tiger", "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Elephant" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना, स्टेट कैम्पा, नाबार्ड, बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं, राजस्थान प्रोटेक्टेड एरियाज कन्जर्वेशन सोसायटी, राजस्थान बाघ संरक्षण फाउण्डेशन आदि में स्वीकृत प्रावधानों से भी वन्यजीव संरक्षण कार्य जिनमें मुख्यरूप से सुरक्षा, ढांचागत विकास, आवास स्थलों का विकास, जल प्रबंधन, अग्नि निरोधक कार्य, वन पथों का निर्माण/संधारण इत्यादि कार्य करवाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त ईको–डवलपमेंट गतिविधियां एवं प्रचार–प्रसार के कार्य भी किये जाते हैं।

राज्य में 4 जैविक उद्यान क्रमशः माचिया जैविक उद्यान, सज्जनगढ जैविक उद्यान, नाहरगढ जैविक उद्यान एवं अभेड़ा जैविक उद्यान विकसित किये गये हैं जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। वर्तमान में बीकानेर में मरूधरा जैविक उद्यान विकसित किया जा रहा है। राज्य में उदयपुर जन्तुआलय को बर्ड पार्क के रूप में विकसित किया जा चुका है तथा वर्तमान में जयपुर स्थित जन्तुआलय को बर्ड पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। जैविक उद्यान/जन्तुआलय/ बर्ड पार्क में आमजन के अवलोकन व जनजागृति हेतु वन्यजीवों को प्रदर्शित किया जाता है। विश्व में गोड़ावण का कृत्रिम प्रजनन केवल राजस्थान में हो रहा है।

राज्य में स्थित चिडियाघरों, जैविक उद्यानों एवं संरक्षित क्षेत्रों के बाहर स्थित सफारी, कृत्रिम प्रजनन केन्द्रों एवं रेस्क्यू सेन्टर पर वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन में सहायता के लिये आमजन, संस्था, कॉर्पोरेट, वन्यजीव प्रेमी इत्यादि द्वारा जैविक उद्यानों में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए Captive Animal Sponosorship Scheme शुरू की गई है।

7.3 वर्ष 2024–25 के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां

राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats", "Project Elephant" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।

7.3.1 इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाईल्ड लाईफ हैबिटाट्स''

राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभयारण्य/कंजर्वेशन रिजर्व एवं लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण कार्यों का वित्तीय पोषण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 से इस योजना का फंडिंग पैटर्न परिवर्तित कर 60% हिस्सा केन्द्र का एवं 40% राज्य हिस्सा निर्धारित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीव संरक्षण के लिये ढ़ांचागत विकास, पर्यावास सुधार, वन्यजीवों के लिए पेयजल प्रबंधन, अग्नि–रोधक कार्य, दीवार निर्माण एवं वन मार्गों का निर्माण/संधारण से संबंधित कार्य करवाये जाते हैं।

वर्ष 2023–24 में सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में 4.73 लाख, कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में 0.16 लाख, रावली टाडगढ़ अभ्यारण्य में 0.26 लाख तथा माउण्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य में 1.48 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया है।

7.3.2 प्रोजक्ट टाईगर

- राज्य में 5 टाईगर रिजर्व रणथंभौर, सरिस्का, मुकुन्दरा हिल्स, रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व एवं धौलपुर–करौली टाईगर रिजर्व अधिसूचित है। धौलपुर–करौली टाईगर रिजर्व राज्य का पंचम टाईगर रिजर्व हैं। उक्त क्षेत्रों का वित्त पोषण केन्द्र प्रवर्तित योजना "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में केन्द्र सरकार द्वारा रणथंभौर टाईगर रिजर्व के लिए राशि रूपये 827.48 लाख, सरिस्का टाईगर रिजर्व के लिए राशि रूपये 674.67 लाख, मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के लिए राशि रूपये 558.15 लाख तथा रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व के लिए राशि रूपये 302.92 लाख अर्थात कुल राशि रुपये 2363.22 लाख की वार्षिक कार्य योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
- बाघ परियोजना रणथम्भौर, मुकन्दरा एवं सरिस्का में सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार बॉर्डर होम गार्ड्स/होम गार्डस् की तैनाती की जाती है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र से स्वैच्छिक ग्राम विस्थापन पैकेज अंतर्गत राशि रूपये 15. 00 लाख प्रति परिवार का प्रावधान है। रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में विस्थापन

के लिए चयनित कुल 17 गांवों में से 8गांवों का पूर्णतः विस्थापन हो चुका है तथा 9 गांवो के विस्थापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में विस्थापन के लिए चयनित कुल 4 गांवो में से 2 गांवो का पूर्णतः विस्थापन हो चुका है तथा 2 गांवो के विस्थापन का कार्य प्रक्रियाधीन हैं एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व में विस्थापन के लिए चयनित कुल 11 गांवो में से 5 गांवो का पूर्णतः विस्थापन हो चुका है तथा 6 गांवो के विस्थापन का कार्य प्रक्रियाधीन हैं। रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी में चयनित गांव गुलखेडी के विस्थापन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

- टाईगर रिजर्व में प्रे–बेस बढ़ाने के लिये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर से चीतल को स्थानान्तरित कर छोड़े जाने की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। जिसके क्रम में टाईगर रिजर्व क्षेत्रों में चीतल छोडने की कार्यवाही की जा रही है।
- राज्य में स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकीय पर्यटन, पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रमों एवं बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए तथा इनके प्रबंधन को सरल और पारदर्शी बनाने हेतु राजस्थान बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य सभी हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व प्रबंधन को सरल बनाना और सहायता प्रदान करना है।
- संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने तथा वन्यजीव संरक्षण में जन सहभागिता सुनिश्चित करने को दृष्टिगत रखते हुये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण/भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं अनुमोदित प्रबंध योजना के अनुरूप निर्धारित पर्यटन वहन क्षमता के अनुसार ् पर्यटन संचालन किया जा रहा है। पर्यटकों की सुविधा के लिए अधिकांश संरक्षित क्षेत्रों में टिकट बुकिंग व्यवस्था ऑनलाईन की गई है। वर्ष 2023–24 में रणथंभौर में 6. 54 लाख, केवलादेव में 0.81 लाख तथा सरिस्का में 0.85 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया।
- रणथम्भौर टाईगर रिजर्व सवाईमाधोपुर की बाघिन टी–114 के नर शावक को दिनांक 04.12.2024 को अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क, कोटा से रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व, बून्दी व मादा शावक को दिनांक 11.12.2024 को अभेड़ा

बायोलोजिकल पार्क, कोटा से मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा में ट्रांसलोकेट किया गया है।

- मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र राज्य से मुकुन्दरा हिल्स व रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व में बाघिनों के ट्रांसलोकेशन की कार्यवाही की जा रही है।
- आरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव अपराधों की रोकथाम एवं आबादी क्षेत्रों में आने वाले वन्यजीवों का रेस्क्यू कार्य तथा घायल/बीमार होने की स्थिति में पशुचिकित्सक से ईलाज उपरांत उनको पुनः उनके पर्यावास क्षेत्रों में छोड़ना विभाग की नियमित गतिविधि है। रेस्क्यू ऐप के माध्यम से उक्त गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त मानव–वन्यजीव संघर्ष के दौरान जनहानि, पशु हानि इत्यादि के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है।

7.3.3 प्रोजेक्ट बस्टर्ड

Critically Endangered राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु भारत सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राज्य सरकार में हुए त्रिपक्षीय करार के अनुसार सम में गोडावण का कृत्रिम प्रजनन आरम्भ कर दिया गया है। गोडावण के कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत गोडावण पक्षी के 45 चूजों का पालन पोषण किया जा रहा है।

जैसलमेर जिले के रामदेवरा स्थित गोडावण प्रजनन केंद्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून और राजस्थान वन विभाग की टीम ने कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों का उपयोग कर दिनांक 16.10.2024 को गोडावण के चूजे के जन्म में सफलता प्राप्त की है। गोडावण का यह पहला सफल कृत्रिम गर्भाधान इस अतिसंकटग्रस्त प्रजाति के पक्षी के लिए किए जा रहे संरक्षण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

खरमोर पक्षी (Lesser Florican) के संरक्षण के प्रयास भी आरंभ किये जाकर 12 चूजों का पालन पोषण किया जा रहा है।

7.3.4 कन्जर्वेशन रिजर्व

वित्तीय वर्ष 2023–24 में आसोप कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। इसके पश्चात् वर्तमान में प्रदेश में कंजर्वेशन रिजर्व की कुल संख्या 37 हो गई है। जिनका विवरण **परिशिष्ट–3** पर संलग्न है।

7.3.5 प्रोजेक्ट लेपर्ड

विगत वर्षो मे प्रदेश में लेपर्ड की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण इनका प्रबंधन आवश्यक है। लेपर्ड संरक्षण के लिये ''प्रोजेक्ट लेपर्ड'' के तहत सर्वप्रथम झालाना जयपुर को चयनित किया जाकर इसमें लेपर्ड सफारी प्रारम्भ की गई। वर्तमान में झालाना आमागढ़, कुम्भलगढ़, रावली टाडगढ़, जयसमन्द, शेरगढ़ (बारां), माउण्ट आबू, खेतडी बांसियाल, जवाई बांध एवं बस्सी व सीतामाता अभयारण्य क्षेत्रों को प्रोजेक्ट लेपर्ड में सम्मिलित किया जाकर विशेष प्रबंधन किया जा रहा है। इनके विकास के लिये स्टेट कैम्पा/केन्द्रीय सहायता/राज्य योजना मद से उपलब्ध संसाधन के अनुरूप ग्रासलैण्ड विकसित करने, चारदीवारी निर्माण विलायती बबूल को हटाना, पर्यावास सुधार एवं पानी की व्यवस्था इत्यादि गतिविधियां कराई जा रही हैं।

आमागढ़, माउण्ट आबू, खेतडी बांसियाल, बीड़ झुन्झुनू, मनसा माता, जयसमन्द, कुम्भलगढ़ एवं रावली टाडगढ़ क्षेत्रों में पर्यटन प्रोत्साहन के लिये सफारी प्रारम्भ की गई है तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग के माध्यम से टिकट बुकिंग की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है। झालाना, आमागढ़ में गत वित्तीय वर्ष में कुल 0.57 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया है।

7.3.6 प्रोजक्ट एलीफेण्ट

इस योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 हेतु राशि रुपये 32.00 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है।

7.3.7 वन्यजीव सप्ताह आयोजन

राज्य वन्यजीव मंडल की बैठक में लिये गये निर्णयों अनुसार वन विभाग द्वारा माह अक्टूबर 2024 के प्रथम सप्ताह में राज्य भर में 70 वां वन्यजीव सप्ताह समारोह मनाया गया जिसमें वन विभाग द्वारा जिला स्तर पर अन्य सरकारी विभागों एवं गैर–सरकारी संगठनों/संस्थाओं के सहयोग से राजस्थान की जैव विविधता और वन्यजीवों के संबंध में जन–जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आमजन विशेष रूप से छात्रा–छात्राओं एवं युवाओं के लिये वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों वन्यजीव सफारी, स्वच्छता अभियान, चित्रकला प्रतियोगिता, बर्ड वॉचिंग, प्रश्नोत्तरी, वाद–विवाद, निबन्ध लेखन, साइकिलिंग, मैराथन रैली, कठपुतली प्रदर्शन इत्यादि गतिविधियों का आयोजन किया गया।

7.3.8 ईको–सेन्सिटिव जोन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य में स्थित सभी संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर 24 ईको–सेन्सिटिव जोन घोषित किये जाने हैं, जिसमें से भारत सरकार द्वारा 17 ईको–सेन्सिटिव जोन की अंतिम अधिसूचनाएं जारी हो चुकी हैं, इसके अतिरिक्त एक प्रकरण (शेरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य) में अंतिम अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही भारत सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। एक प्रकरण (सरिस्का टाईगर रिजर्व) में प्रारूप अधिसूचना जारी हो चुकी है शेष 5 प्रारूप अधिसूचनाओं के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।

विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है।

7.3.9 चिड़ियाघर एवं जैविक उद्यान

- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में 30 हैक्टेयर क्षेत्र में टाईगर सफारी विकसित की गई है। जिसका लोकार्पण दिनांक 07.10.2024 को किया गया है।
- नाहरगढ जैविक उद्यान, जयपुर को दिनांक 04.06.2016 को पर्यटको के लिए खोला गया था। उद्यान में वर्ष 2023–24 में 3.72 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे राशि रुपये 173.83 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।
- जयपुर जन्तुआलय में भी वर्ष 2023–24 में 3.30 लाख पर्यटक आये, जिनसे राशि रुपये 65.12 लाख की आय हुई।
- सज्जनगढ जैविक उद्यान, उदयपुर को दिनांक 12.04.2015 को पर्यटकों के लिए खोला गया था । उद्यान में वर्ष 2023–24 में 2.40 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे रूपये 67.18 लाख़ का राजस्व प्राप्त हुआ। उदयपुर स्थित बर्ड पार्क को दिनांक 12.05.2022 से आमजन के लिये खोला गया।
- माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर को पर्यटकों के लिए 20.01.2016 को खोला गया था। उद्यान में वर्ष 2023–24 में 3.05 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे रूपये 86.80 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।
- जन्तुआलय, कोटा के वन्यजीवों को अभेड़ा जैविक उद्यान, कोटा में स्थानान्तरित कर दिनांक 01.01.2022 से अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क को आमजन के लिए खोला गया। इसमें वर्ष 2023–24 में 1.16 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिनसे रूपये 44.45 लाख की आय हुई।

- वर्तमान में बीकानेर में मरूधरा जैविक उद्यान जैविक उद्यान बनाया जा रहा है।
- केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण के द्वारा चिडियाघरों के संधारण बाबत् जारी गाईड लाईन अनुसार राज्य के सभी जैविक उद्यानों एवं चिडियाघरों – नाहरगढ जैविक उद्यान व जयपुर चिडियाघर/माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर/बीकानेर, चिड़ियाघर/कोटा चिडियाघर एवं सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर मे पशु पक्षियों के स्वच्छता (Sanitation), हाईजीन (Hygiene), रोग निरोधी (Prophylactic), पोषण (Nutrition) तथा बीमार जानवरों के प्रबन्धन इत्यादि सम्बन्धित मामलों पर परामर्श देने हेतु प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांकः प॰6 (50) प्र॰सु॰/अनु॰–3/2020 दिनांक 11.12.2020 द्वारा स्वास्थ्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

अध्याय–8

कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त प्रभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(अ) वन मण्डलों/जिलों में स्थित वन क्षेत्रों के प्रबंधन की कार्य आयोजनाओं की तैयारी, स्वीकृति एवं समीक्षा करना।

(ब) वन बन्दोबस्त संबंधित सभी प्रकरणों का परीक्षण एवं निस्तारण ।

(स) वन भूमि के अमलदरामद, रेखाकंन व सीमांकन कार्य का परीक्षण व प्रबोधन।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर द्वारा इन कार्यो के सम्पादन एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जो कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त के अधीन आते हैं।

8.1 कार्य आयोजनाः–

प्रत्येक वन मण्डल के वन क्षेत्रों के प्रबन्धन हेतु दस वर्षीय कार्य आयोजना तैयार की जाती हैं। वर्तमान में कार्य आयोजना तैयारी हेतु सात कार्य आयोजना अधिकारी कार्यालय क्रमशः उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर एवं जोधपुर में स्थाई रूप से स्वीकृत हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार जिन जिलों में कार्य आयोजना बनाई जानी होती हैं, में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। संभागीय मुख्य वन संरक्षकगणों को उनके जिलों से संबंधित कार्य आयोजना अधिकारियों का नियंत्रण अधिकारी बनाया गया है व कार्य आयोजना तैयारी में संबंधित प्रादेशिक उप वन संरक्षकगण एवं कार्य आयोजना अधिकारियों के मध्य पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

राजस्थान के विभिन्न वनमण्डलों के वन क्षेत्रों (वन्यजीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क को छोडकर) के प्रबन्धन हेतु 31 कार्य आयोजनाएँ स्वीकृत करायी गई

थीं। वर्तमान में नवीन राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड 2023 के अनुसार वनमण्डल के स्थान पर जिलेवार (33 जिलों की) कार्य आयोजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। ग्यारह जिलों यथा **जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ, चित्तौडगढ, राजसमन्द, झुन्झुनू, चूरू, दौसा, भीलवाड़ा** एवं **सवाईमाधोपुर** की नवीन कार्य आयोजनाओं को आगामी दस वर्षो के लिए भारत सरकार के स्तर से अनुमोदित कराया जा चुका हैं।

दस जिलों यथा **भरतपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जालोर, बून्दी, नागौर, कोटा एवं टोंक** जिले की नवीन ड्राफ्ट कार्य आयोजना का अनुमोदन स्टैण्डिग कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में किया जा चुका है एवं अंतिम अनुमोदन हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

बारह जिलों यथा **अजमेर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, धौलपुर, सीकर, झालावाड़, अलवर, जोधपुर, पाली, बारां एवं करौली** की कार्य आयोजनाओं का अनुमोदन स्टैण्डिग कन्सल्टेटिव कमेटी द्वारा किया जा चुका है एवं भारत सरकार को शीघ्र भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

8.2 वन बन्दोबस्तः—

वन भूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अन्तर्गत आरक्षित/रक्षित वन घोषित किये जाने की प्रक्रिया वन बन्दोबस्त कहलाती है।

किसी वन क्षेत्र को रक्षित/आरक्षित वन खण्ड गठित करने की प्रारम्भिक अधिसूचना राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(1)/04 के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से जारी करवाकर राजपत्र मे प्रकाशन उपरांत अंतिम अधिसूचना हेतु वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वन बन्दोबस्त नियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार जांच व सुनवाई कर अधिकारों एवं रियायतों का निर्धारण किया जाता है। तदुपरांत राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(3)/20 के अन्तर्गत अंतिम अधिसूचना राज्य सरकार स्तर से जारी कर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जाता है। गत वर्षों में प्रारम्भिक व अंतिम रूप से अधिसूचित कराये गए अवर्गीकृत वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार हैः—

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

वन खण्डो की जारी अंतिम अधिसूचना			वन खण्ड गठित करने की जारी प्रारम्भिक अधिसूचना		
2022	2023	2024	2022	2023	2024
0	0	0	2945.843	932.2688	3085.6465

8.2.1 वन भूमि का विवरण :–

राजस्थान राज्य की कुल वन भूमि 33014.00 वर्ग किलोमीटर है जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल 342239 वर्ग किलोमीटर की 9.64 प्रतिशत है। उक्त वन भूमि में से 12198.71 वर्ग किलोमीटर आरक्षित, 18631.13 वर्ग किलोमीटर रक्षित तथा 2184.16 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत है। जिलेवार वन भूमि का विवरण **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है।

8.2.2 वन भूमि का राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद :–

राज्य में वन एवं वन्य जीवों के संवर्धन हेतु वन भूमि का संरक्षण अति आवश्यक है। वन भूमि के संरक्षण एवं संवर्धन में वन भूमि का राजस्व रिकॉर्ड़ में अमलदरामद ना होना एक बड़ी बाधा होता है। इस क्षेत्र में राज्य सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार किया एवं आशातीत प्रगति हासिल की, जो कि आगे भी जारी रहेगी। इस हेतु संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन, राज्य सरकार के स्तर से प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग की राज्य आज्ञा क्रमांक प. 6 (35) प्र.सु. अनुदेश–3/99/जयपुर दिनांक 10.6.2019 द्वारा स्थाई रूप से कर दिया गया है। इस हेतु बैठके आयोजित कर अवशेष वन भूमि के अमलदरामद का सतत प्रयास किया जा रहा है।

राज्य में लगभग 2.95 लाख है0 वन भूमि अनसर्वेड़ थी, वन विभाग के अथक प्रयासों से 2.95 लाख है0 अनसर्वेड़ वन भूमि में से लगभग 2.85 लाख है0 (96.6 प्रतिशत) वन भूमि का सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसमें से लगभग 2.75 लाख है0 वन भूमि की अधिसूचना भी राज्य सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है एवं अमलदरामद का कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण

कर लिया जावेगा। अब तक राज्य में कुल 2860995.263 है0 (86.65 प्रतिशत) वन भूमि को राजस्व रिकॉर्ड़ में अमलदरामद किया जा चुका है।

8.3 प्रारम्भिक एवं प्लेन टेबल सर्वे का कार्यः—

प्रारम्भिक सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, मीनार, कार्य आयोजना सें संबंधित गतिविधियों में वर्ष 2023—24 में बजट मद 2406—01—101—06—00—40 में कुल व्यय 48.78 लाख रूपये है।

अध्याय–9

वन अनुसंधान

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। राजस्थान की विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के कारण राज्य के वन विभाग में अनुसंधान कार्यो के लिये वर्ष 1955 में वनर्धन (सिल्वीकल्चर) वन मण्डलकी स्थापना की गयी थी। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक (वनवर्धन) जयपुर कार्यालय के अधीन चार वन अनुसंधान केन्द्र, ग्रास फार्म वन अनुसंधान केन्द्र जयपुर, वन अनुसंधान केन्द्र, गोविन्दपुरा जयपुर, वन अनुसंधान केन्द्र विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर एवं वन अनुसंधान केन्द्र, बांकी उदयपुर कार्यरत हैं। वनवर्धन कार्यालय में बीज परीक्षण एवं मृदा व जल परीक्षण प्रयोगशालायें भी अवस्थित हैं।

9.1 पौध वितरण

वनवर्धन प्रभाग के अधीन कुल चार पौधशालायें, ग्रासफार्म पौधशाला ,जयपुर, गोविन्दपुरा पौधशाला जयपुर, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान पौधशाला, जयपुर एवं बांकी पौधशाला उदयपुर है जिनमें अनुसंधान कार्यो एवं आम जन को वितरण हेतु पौधे तैयार किये जाते हैं। वर्ष 2024–25 में कुल 5.11 लाख पौध वितरण के लक्ष्य के विरूद्व अब तक 4.93 लाख पौधे वितरित किये जा चुके है।

9.2 अनुसंधान परियोजनाएं

वन अनुसंधान कार्यो की निरन्तरता एवं उनको विभागीय आवश्यकता अनुरूप दिशा निर्देश देने के लिये विभाग में वर्ष 2005–06 में एक शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) का गठन किया गया था। वर्ष 2023–24 की R.A.G बैठक में की प्रस्तावित अनुसंधान परियोजनाओं एवं पूर्व के वर्षो में किये गये अनुसंधान कार्यो की समीक्षा की गई तथा वर्ष 2024–25 में किये जाने वाले अनुसंधान कार्यों का निर्णय लिया गया।

विभिन्न वर्षो मे शोध परामर्शी समूह की बैठकों में स्वीकृत की गई अनुसंधान परियोजनाओं के नाम एवं आवंटित बजट का विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–

वर्ष	कार्यालय का नाम	कार्य का विवरण	राशि लाखों में
2022–23	क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन अनुसंधान केन्द्र, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर	To study the application of Bio fertilizers in plant nursery	0.10
		To study the Propagation of *Tinospora cordifolia* and creation of "AMRITA VATIKA"	0.20
		Biodiversity Conservation and Improvement work at Herbal Garden of Arboretum	3.50
		Introductory trial for selection of suitable indigenous species under *Vachellia tortilis*	3.00
		Creation of Rashi van (Cultural Forest)	3.50
	क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन अनुसंधान केन्द्र, बांकी, उदयपुर	To study the effect of Pusa hydro gel on plants nursery	0.15
		Introduction of native species of Rajasthan at Banki Research Centre Udaipur	1.50
		Creation of preservation plot of *sanegalia catechu* (Khair) at Banswara divison	0.50
		To study the propagation of *Tinospora cordifolia* and creation of "AMRITA VATIKA	0.15
	क्षेत्रीय वन अधिकारी, बीज संग्रहण एवं भण्डारण जयपुर	Collection of Quality Seeds from SPA's of Rajasthan	4.35
		Review and Evaluation of existing Seed Production Areas of Rajasthan	0.50
	क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन अनुसंधान केन्द्र, ग्रासफार्म ,जयपुर	To study the effect of pusa hydro gel on plants nursery	0.15
		To study the propagation of *Tinospora cordifolia* and creation of "AMRITA VATIKA"	0.20
		To study the application of Bio fertilizers in plant nursery	0.10
		Establishment of clonal plant orchard at Grass Farm Nursery ,Jaipur	0.30
		Establishment of climbery (Lata Kunj) at Grass Farm, Jaipur	0.40
		To study the propagation of *Tinospora cordifolia* and creation of "AMRITA VATIKA"	0.20
	उप वन संरक्षक अनुसंधान जयपुर	Facilitating soil and water and seed testing laboratories , Grass Farm Jaipur	0.20

		Study and documentation of Flora of Grass Farm, Jaipur	0.50
		To organise RAG meeting ; Procurement of books and periodicals for ready reference ,Documentation , publication and dissemination of annual report , technical bulletins of lesser known species and other important research finding to stake holders .	2.50
2023–24	क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन अनुसंधान केन्द्र विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर	Creation of "RASHI VAN" (Cultural Forest) at Arboretum, Jaipur	1.00
		Introductory trial for selection of suitable indigenous species under *Vachellia tortilis*	0.60
		Biodiversity Conservation and Improvement work at Herbal Garden of Arboretum	1.00
		To Study the application of Nano Fertilizers in Forest Nurseries	0.30
		Generating QR Codes for Tree Education at Forest Research Centres	0.15
	क्षेत्रीय वन अधिकारी वन अनुसंधान केन्द्र बांकी, उदयपुर	Introduction of native species of Rajasthan at Banki Research Centre, Udaipur	0.35
		Habitat preservation, restoration and improvement work at Banki Udaipur	1.50
		Creation of preservation plot of *Senegalia catechu* (Khair) at Banswara	0.20
		Developing propagation protocol of Wild edible fruit yielding plants of Rajasthan.	0.35
		Raising of lesser-known tree species (LKTS) of Rajasthan region	0.30
	क्षेत्रीय वन अधिकारी बीज संग्रहण एवं भण्डारण जयपुर	Review and evaluation of existing Seed Production areas of Rajasthan	0.20
		Collection of Quality Seeds from SPAs of Rajasthan	5.00
	क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन अनुसंधान केन्द्र गोविन्दपुरा जयपुर	To establish an introductory trial of *Melia dubia* in Semi-Arid Region	2.00
	क्षेत्रीय वन अधिकारी,	To Study the application of Nano Fertilizers in Forest Nurseries	0.35

	वन अनुसंधान केन्द्र ग्रास फार्म ,जयपुर	Generating QR Codes for Tree Education at Forest Research Centres.	0.15
		Creation of Succulent plants groove at Grass Farm, Jaipur	0.85
		Raising of lesser-known tree species (LKTS) of Rajasthan region	0.35
	उप वन संरक्षक अनुसंधान जयपुर	Facilitating Soil & Water and Seed Testing Laboratories.	0.40
		Organization of RAG meeting, dissemination of annual report documentation of research works& technical bulletins, Skill development of staff etc.	3.95
2024—25	उप वन संरक्षक अनुसंधान जयपुर	1.पॉलिथीन थैली (सिग्नल यूज) के विकल्प तलाशने हेतु एक अनुसंधान परियोजना प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत पॉलिथीन थैली (120 माइक्रोन की मोटाई में) को नियंत्रित रूप में उपयोग लिया जाकर इसके विपरीत विकल्प के तौर पर जूट से निर्मित थैलियों में बीजारोपण किया गया। इसी प्रकार ऊन तथा कपडों से निर्मित थैलियों में भी बीजारोपण किया गया। तृतीय विकल्प के तौर पर मक्का बीजों का पॉलिमराइजेशन विधि से निर्मित डीकम्पोजेबल थैलीया भी प्रयोग में ली गई। मिटटी निर्मित सिकोरा में बीजारोपण कर पौधे लगायें गये। सीधा जमीन में बीजारोपण किया गया इससे प्राप्त पौधे को बडी होने पर मूंजा की टफ्टस में लपेटकर पौध वितरण करने का जुलाई 2025 में (प्रायौगिक) लक्ष्य रखा गया। अभी यह परियोजना शैशव अवस्था में है। इसके परिणाम जुलाई 2025 तक आ पाएँगें।	

		2.मिट्टी जॉच मशीन कार्यालय में स्थापित की गई इस मशीन द्वारा 15 प्रकार के तत्वों की जांच की जाती है। मशीन में जाँच पश्चात मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की कमी को पूरी करने हेतु खाद व उर्वरक को मिट्टी में मिलाई जाने वाली मात्रा की भी जानकारी उपलब्ध करवाती है। उक्त मशीन को वन विभाग हेतु इस्तेमाल में लाये जाने के लिए अपडेट करवा दिया जा चुका है। इस मशीन द्वारा 30 से 45 मिनट में रिपोर्ट दे दी जाती है। इस मशीन द्वारा मिटटी में मौजूद आयरन, फास्फोरेस, पौटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, पीएच ईसी सहित कुल 15 तत्वों की जॉच की जाती है। 3. महोगनी – कीमती इमारती लकडी हेतु उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों पर अनुसंधान। इस परियोजना अन्तर्गत महोगनी प्रजाति ***(Swietenia macrophylla)*** के 100 पौधे वन अनुसंधान गोविन्दपुरा बीड में लगाये गये तथा इनका प्रत्येक तिमाही मे इनकी मोटाई (डायामीटर) तथा ऊँचाई का मापन किया जाता है ताकि इनकी वृद्धि दर ज्ञात की जा सकें। यह परियोजना जुलाई 2024 से प्रारम्भ की गई तथा आगामी 5 वर्षो में इसके परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। 4. उच्च वृद्धि दर की इमारती लकडी हेतु अनुसंधान–इस परियोजना अन्तर्गत सितम्बर 2023 मालाबार नीम *(Melia*	

		dubia) के पौधे लगाये गये थे । जिनकी प्रत्येक तिमाही में ऊँचाई व मोटाई का मापन किया जाता है। एक वर्ष में 4 फुट के पौधे 10 फुट तक ऊँचाई प्राप्त कर चुके है तथा अभी तक इनकी जीवितता प्रतिशतता 90 प्रतिशत से ऊपर है। 5.निम्न परियोजना शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में प्रगतिरत है। (A) Improvement of Survival Rate in Kair (*Capparis decidua*) Under Field Planting Conditions by Architecting Root Biomass and in situ Moisture Management (B) Survey and selection of Candidate Plus Trees (CPT) and Identification of Seed Production Areas (SPA) and Broad Leaves Species of Rajasthan (C) Develoment of Seed Production Areas of Economically Important tree Species of Rajasthan (D) Entomopathogenic fungi as Endophytes for biological Control of subterrcan termite (odontoternes sp.) attacking the seedlings and plantation of forest tree species. (E)Assessment of existing Neem germplasm for finalization of superior genotypes	

9.3 बीज उत्पादक क्षेत्र एवं बीज एकत्रीकरण

अच्छे किस्म के वृक्ष तैयार करने के लिये उन्नत किस्म के बीजों का विशेष महत्व होता है। उन्नत व निरोगी बीजों के लिये वनवर्धन प्रभाग, निरोगी वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर, उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर, वही से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर, राज्य के विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित करता है। राज्य में कुल 31 बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित किये गये हैं।

बीज संग्रहण एवं भण्डारण रेंज, जयपुर द्वारा बीज उत्पादक क्षेत्रों से बीजो का एकत्रीकरण कर विभाग के विभिन्न वन मण्डलों को उपलब्ध कराये गयेबीजोका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	एकत्रित बीज प्रजातिवार (किग्रा.)				
	देशी बबूल	**अकेशिया टोर्टलिस**	**खेजडी**	**कुमठा**	**खैर**
2022—23	2350	—	275	200	1040 .
2023—24	2710	180 .	308	800	700 .

इसके अतिरिक्त इस वर्ष 31 दिसम्बर 2024 तक एकत्रित किये गये बीजों का प्रजातिवार विवरण निम्नानुसार हैः—

कमांक	प्रजाति का नाम	एकत्रित किये बीज की मात्रा(किग्रा.) में
1	खेजड़ी	65
2	देशी बबूल	7100
3	ल्सवा	208
4	करन्ज	37
5	हिंगोट	29
6	जकरण्डा	50
7	अमलताश	33
8	जाल पीलू	68
9	अरडू	90
10	बकायण	345
11	ढाक / छीला	100
12	मौलश्री	5
13	सीबा पेटेन्ड्रा	11
14	रोहिडा	15
15	थ्सरस	31

9.4 बीज, जल एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला

वनवर्धन प्रभागकी बीज एवं जल व मृदा परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा वनमण्डलों से प्राप्त बीज, मिट्टी व पानी के नमूनों की निःशुल्क जाँच की जाती है। प्रयोगशालाओं मे प्राप्त सेंपलों की वर्षवार संख्या को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

वर्ष	नमूनों की संख्या (बीज)	नमूनों की संख्या (मृदा)	नमूनों की संख्या (जल)
2021–22	147	13	02
2022–23	178	42	34
2023–24	188	28	25
2024–25 31 दिसम्बर 2024 तक	244	31	32

9.5 वनर्धन (सिल्वीकल्चर) प्रभाग की मुख्य गतिविधियां निम्न प्रकार हैः–

- विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से उपलब्ध बजट के अनुसार बीजों का संग्रहण करना तथा उन्हें विभिन्न वन मंडलों को वितरित करना है।
- बीज परीक्षण प्रयोगशाला में विभिन्न मण्डलों से प्राप्त बीजों के सेंपलों की अंकुरण प्रतिशतता की निःशुल्क जांच करना है।
- जल एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में विभिन्न मण्डलों व आमजन से प्राप्त जल एवं मृदा सेंपलों की निःशुल्क जांच करना है।
- ग्रास फार्म नर्सरी जयपुर, की मुख्य गतिविधि विभिन्न प्रजातियों के अच्छे पौधे तैयार कर, उनका वितरण करना है।
- वन अनुसंधान केन्द्र, गोविन्दपुरा जयपुर, में क्लोनल सीड ऑरचर्ड, सीडलिंग सीड ऑरचर्ड, तथा मालाबार नीम एवं महोगनी के अनुसंधान प्लॉन्ट स्थापित किये गये है। जिनका संधारण किया जा रहा है।
- वन अनुसंधान केन्द्र बांकी, उदयपुर में मुख्य रूप से औषधीय तथा स्थानिक संकटग्रस्त वानिकी पौध प्रजातियों के पौधे तैयार कर उनका वितरण करना व अनुसंधान करना मुख्य गतिविधियॉ है।

- विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जयपुर, में एथनोमेडिसिनल गार्डन, रेड हाउस, बांस गृह, नेचर ट्रेलका संधारण एवं फॉरेस्ट फूड पार्क में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का संधारण किया जा रहा है।
- वनर्धन (सिल्वीकल्चर) प्रभाग विभिन्न राष्ट्रीय व प्रादेशिक वानिकी अनुसंधान संस्थानों से निरन्तर अनुसंधान संबंधित सूचनाओं व निष्कर्षों का आदान–प्रदान करता रहता है।

अध्याय– 10
विभागीय कार्य योजना

वर्ष 1968 से पूर्व जलाऊ एवं अन्य वन उपज की मांग की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों के ठेके खुली नीलामी द्वारा दिये जाते थे। ठेकेदारों द्वारा अपने लाभ के लिए वन क्षेत्रों की निरकुंश एवं अवैज्ञानिक तरीकों से कटाई के कारण वनों को काफी क्षति होती थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वर्ष 1968 में विभागीय कार्य योजना द्वारा वनों के चिन्हित कूपों को वैज्ञानिक पद्वति से स्वीकृत वर्किंग प्लान के अनुसार विदोहन कर आम जनता को सस्ती दरों पर जलाऊ लकडी, कोयला, इमारती लकडी एवं अन्य वन उपज उपलब्ध कराई जाने एवं राजस्व अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की।

10.1 विभागीय कार्य योजना के उद्देश्य :–

- ठेकेदार द्वारा निरंकुश कटाई से वनों की सुरक्षा।
- विदोहन किये गये वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन तथा वन पुनरोत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्वति अपनाना।
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर जलाऊ लकडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
- पिछडे वर्ग एवं जनजाति के श्रमिकों का उचित श्रमिक दर पर श्रम कार्य दिलवाना तथा।
- राज्य के लिए राजस्व आय प्राप्ति करना आदि।

10.2 प्रशासनिक व्यवस्था :–

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसके अधीन पांच उप वन संरक्षक निम्न प्रकार से कार्यरत है :–

1. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर।
2. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, स्टेज–।। ,बीकानेर।

3. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ
4. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर।
5. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर।

उक्त वन मण्डलों को विभागीय कार्य मण्डल कहा जाता है। उप वन संरक्षक, बीकानेर/स्टेज।। बीकानेर/सूरतगढ द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार नहर के किनारे एवं नहर क्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपणों का विदोहन कराया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर में मुख्यतः भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य वर्किंग स्कीम के अनुसार बाँस कार्य का विदोहन उदयपुर जिले में करवाया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो के चौडीकरण के फलस्वरूप वृक्षों के विदोहन से प्राप्त होने वाली लकडी एवं प्रादेशिक वन मण्डलों से प्राप्त गिरी पडी लकडी के विदोहन पश्चात विक्रय करने का कार्य कराया जा रहा है।

10.3 विभागीय कार्य योजना की विभिन्न योजनाएँ :–

10.3.1 लकडी व्यापार योजना :–

जनसंख्या एवं औद्योगीकरण से वनों पर बढते दबाव से वन क्षेत्र एवं उनकी सघनता में हुई कमी के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 1993–94 से प्राकृतिक वन क्षेत्रों से जलाऊ लकडी का विदोहन पूर्ण रूप से बन्द किया हुआ है।

प्राकृतिक वन क्षेत्रों में लकडी विदोहन हेतु वृक्षों का पातन बंद होने के कारण सूखी–गिरी पडी लकडी का संग्रहण मात्र ही कराया जाता है। यह कार्य संबंधित प्रादेशिक वृत के मुख्य वन संरक्षक एवं प्रादेशिक उप वन संरक्षक की सहमति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न सडकों एवं नहर के किनारों पर खडे वृक्षों के आंधी–तूफान से गिरने अथवा सूख जाने पर उनसे भी कुछ मात्रा में लकडी प्राप्त होती है। मार्च, 1999 में दस वर्षीय वर्किंग प्लान के तहत वर्किंग स्कीम को केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात दिसम्बर, 1999 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में खडे परिपक्व वृक्षारोपणों का योजना के अनुसार चरणबद्व रूप से विदोहन आरम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षो में कराये गए वन उपज के विदोहन से प्राप्त आय एवं उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	उत्पादन (लाख क्विंटल में)		योग	प्राप्त राजस्व
	इमारती लकडी	जलाऊ लकडी	(लाख क्विंटल)	(रू.लाखों में)
1	2	3	4	5
2020-21	1.44	3.17	4.61	1430.44
2021-22	0.34	0.70	1.04	623.18
2022-23	3.32	4.14	7.46	2880.18

नोटः– लकडी व्यपार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 से राजस्व आय का संधारण राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ जयपुर द्वारा किया जा रहा है।

10.3.2 बाँस विदोहन योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर क्षेत्र के वन क्षेत्रों में स्वीकृत वर्किंग स्कीम के आधार पर बाँस विदोहन कार्य करवाया जाता है। स्वरूपगंज एवं उदयपुर में बाँस डिपो कायम किये गये है, जहां बाँस के कूपों से बाँस कटवाकर एकत्रित कराया जाता है व हर माह निश्चित तिथियों पर नीलाम किया जाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। गत वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन एवं आय की सूचना निम्न प्रकार है :–

वर्ष	मानक बांस उत्पादन के लक्ष्य (संख्या लाखों में)	मानक बांस उत्पादन (संख्या लाखों में)	मानक बांसों से प्राप्त राजस्व आय (रू.लाखों में)
2020–21	14.15	14.15	386.42
2021–22	9.50	9.50	322.21
2022–23	13.43	13.43	307.08

नोटः– बांस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 से राजस्व आय का संधारण राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ जयपुर द्वारा किया जा रहा है।

10.4 राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना :–

वन सम्पदा जैसे कि काष्ठ व अकाष्ठ तथा लघु वन उपजों का दोहन व मूल्य संवर्धन कर सुनियोजित तरीके से बाजार में सर्वजन के उपभोग हेतु उपलब्ध कराना, वन क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्रों में ईको– पर्यटन तथा उससे जुड़ी गतिविधियों व सेवाओं के संचालन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राजस्थान में राजस्थान राज्य वन विकास निगम के

गठन की घोषणा राज्य बजट में दिनांक 20 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य विधानसभा में की गई। इस बजट घोषणा की अनुपालना में दिनांक 16.12.2020 को राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कम्पनीज एक्ट 2013 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज में किया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.01. 2022 द्वारा निगम में 154 पद स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें 28 पद अतिरिक्त कार्य भार से एवं 40 पद वन विभाग से प्रतिनियुक्ति से भर लिये गये है। निगम अन्तर्गत ईमारती लकड़ी, बांस की कटाई /कल्चरल ऑपरेशन एवं ईको–टयूरिज्म संबंधी करवाए जाने वाले कार्य प्रक्रियाधीन है।

10.4.1 राजस्थान राज्य वन विकास निगम के मुख्य उद्देश्य :–

- राजस्थान सरकार से पट्टे पर ली गई भूमि पर ईमारती लकड़ी, ईधन की लकड़ी, बांस, लघु वन उपज और अन्य वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ाना, वैज्ञानिक रूप से कटाई और विपणन कराना।
- इस उद्धेश्य के लिए वन विकास निगम को सौंपे गए सरकारी जंगलों से पेड़ो की कटाई और लकड़ी एवं अन्य वन उत्पादों का दोहन करना।
- आम जनता को गुणवतापूर्ण बीज, पौधे और अन्य वन–उत्पादों की आपूर्ति करना।
- लकड़ी और अन्य लकड़ी के उत्पादों, एनटीएफपी, आदि के मूल्यवर्धन के लिए औद्योगिक इकाईयों की स्थापना और संवर्धन करना।
- आमजन, सरकारी विभागों और वन विभाग को फर्नीचर, लकड़ी की निर्माण सामग्री, पॉली बैग, कांटेदार तार और ऐसे अन्य उत्पादों की आपूर्ति करना।
- वानिकी, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित अन्य गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण, विस्तार, खरीद, अनुसंधान, परामर्श, प्रमाणन, विपणन, बाजार विकास, प्रौद्योगिकी आदि को क्रियान्वित करना।
- परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।
- राज्य की इको–ट्यूरिजम पॉलिसी 2021 के अनुसार आवश्यक विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित करना।

10.4.2 प्रशासनिक व्यवस्था :–

राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड राजस्थान, जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसके अधीन पांच उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी निम्न प्रकार से कार्यरत है :–

1. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर।
2. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, मुख्यालय, बीकानेर।
3. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, सूरतगढ।
4. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर।
5. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।

10.4.3 राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा वर्तमान में निम्न कार्य कराये जा रहे है :–

1. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, सूरतगढ द्वारा गंग भाखड़ा नहर के किनारे सिंचाई/जल संसाधन विभाग द्वारा करवाये गये वृक्षारोपणों के परिपक्व होने के उपरांत प्रबंध योजना के अनुरूप वृक्षों के विदोहन का कार्य एवं प्राप्त लकडी की नीलामी का कार्य कराया जा रहा है।
2. जूलीफ्लोरा उन्मूलन/खडे पेडों की नीलामी का कार्य वन मण्डल पाली, सिरोही एवं जयपुर में कराया जा रहा है।
3. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, उदयपुर में मुख्यतः भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वर्किंग स्कीम के अनुसार बॉस के विदोहन कार्य उदयपुर जिले में करवाया जा रहा है।
4. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो के चौड़ाईकरण के फलस्वरूप वृक्षों के विदोहन से प्राप्त होने वाली लकडी, बूंदी जिले में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कोटा के निर्माणक्षेत्र में आने वाले पेड़ों का पातन उपरांत प्राप्त होने वाली लकडी एवं प्रादेशिक वन मण्डलों से प्राप्त गिरी पडी लकडी के विक्रय करने का कार्य कराया जा रहा है।
5. ईको–ट्यूरिज्म स्थलों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनायी जा रही है।

10.4.4 राजस्व आयः–

काष्ठ व अकाष्ठ तथा बांस के विदोहन उपरांत विक्रय से प्राप्त होने वाले राजस्व को राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान, जयपुर के निजी निक्षेप खाते के बजट मद 8342–00–103–42–06 में जमा करवाया जाता है। वित्तीय वर्ष

2024–25 के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान, जयपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि रूपये 2290.54 लाख शेष थी।

इसके पश्चात् वर्तमान वर्ष में काष्ठ व अकाष्ठ तथा बांस के विक्रय से दिनांक 31.12.2024 तक राशि रूपये 2420.59 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ एवं वनोपज के पातन, परिवहन, कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं अन्य प्रशासनिक व्यय में राशि रूपये 1280.20 लाख का व्यय हुआ है। इस प्रकार दिनांक 31.12.2024 को निगम के निजी निक्षेप खाते में राशि रूपये 3430.93 लाख अवशेष है।

अध्याय–11

तेन्दू पत्ता व्यापार वार्षिक कार्य

11.1 राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पत्ता लघु वन उपज, आय प्राप्ति का मुख्य स्त्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीडी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड, बारां, चितौडगढ़, बांसवाडा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते है, किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष सिरोही, भीलवाडा, पाली एवं धौलपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते है।

11.2 तेन्दू पत्ता का राष्ट्रीयकरण के तहत राजस्थान राज्य में वर्ष 1974 में राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित कर किया गया। राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेन्सियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण कार्य व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पत्ते की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

11.3 राष्ट्रीयकरण के पश्चात राज्य सरकार ही तेन्दू पत्ता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–6 के अंतर्गत विभिन्न संभागों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक संभाग हेतु पृथक–पृथक सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है। जिसमें संबंधित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रतिवर्ष राज्य में तेन्दू पत्ता संग्रहण कर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती है। संग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। संग्रहण दरों का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी की दरों के आधार पर करने का प्रयास किया जाता है। विगत वर्ष 2021 के लिए रू. 1050/–प्रति मानक बोरा एवं वर्ष 2022 के लिए रू. 1100/– प्रति मानक

बोरा निर्धारित की गई थी। वर्ष 2023 के लिए 1200/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी। इसी प्रकार वर्ष 2024 के लिए 1320/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है।

11.4 तेन्दू पत्ता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा–3 के अंतर्गत प्रति वर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पत्ता इकाईयों का गठन किया जाकर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त उनका बेचान निविदायें आमंत्रित कर तथा खुली नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से अवशेष रही इकाईयों को राज्य सरकार की स्वीकृति से पड़त रखा जाता है।

11.5 गत तीन वर्षों में तेन्दू पत्ता के विक्रय एवं आय की स्थिति निम्न सारणी में अंकित है:–

क. स.	निष्पादन का तरीका	वर्ष	कुल इकाइयों की संख्या	व्ययन हुई इकाइयों की संख्या	पडत रही इकाइयों की संख्या	विक्रय से प्राप्त होने वाली आय (लाखों रू0 में)
1.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2021–22	166	166	0	4032.87
2.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2022–23	166	162	1	4630.04
3.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2023–24	163	151	7	2120.56

नोट :–वर्ष 2023–24 में 5 तेन्दू पत्ता इकाईयॉ रिजर्व क्षेत्र में शामिल हो गयी है।

11.6 वर्ष 2023–24 के लिए राज्य की तेन्दू पत्ता कुल 163 इकाईयों में से 151 इकाईयों का व्ययन हुआ, जिनके बेचान से मार्च 2024 तक लगभग राशि 2120.56 लाख रू0 की आय प्राप्त हुई। विक्रय से अवशेष रही 7 इकाईयों को पडत रखा गया है, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त कर ली गई है। उप वन संरक्षक,

बून्दी की 3 इकाईयों को रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है एवं उप वन संरक्षक, बारां की 2 इकाईयों को शाहाबाद तलहटी संरक्षण रिजर्व क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2023–24 हेतु सलाहकार समितियों की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राशि रू. 1200/– प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई है। वर्ष 2023–24 में कुल 2.71 लाख मानक बोरे संग्रहित हुये। जिस हेतु लगभग 3252.00 लाख रू. श्रमिकों को सीधे ही क्रेताओं द्वारा पारिश्रमिक चुकाया गया।

वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार रही है :–

(राशि रू0 लाख में)

क.स.	**विवरण**	**वास्तविक प्राप्तियां**	**वास्तविक प्राप्तियां**	**वास्तविक प्राप्तियां**	**वास्तविक प्राप्तियां (दिसम्बर 2024 तक)**
		2021–22	**2022–23**	**2023–24**	**2024–25**
1.	तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्त आय	4004.83	4656.36	2120.56	1848.87
2.	अन्य विविध आय	22.04	28.39	10.12	20.10
	योग	**4026.87**	**4684.75**	**2130.68**	**1868.97**

11.7 वर्ष 2024–25 के लिए राज्य में कुल 158 तेन्दू पत्ता इकाईयों का गठन किया। वर्ष 2024–25 के लिए राज्य की तेन्दू पत्ता कुल 158 इकाईयों में से 148 इकाईयों का व्ययन हुआ। शेष 9 तेन्दू पत्ता इकाईयों का बेचान नहीं हो सका। इस हेतु राज्य सरकार से 9 तेन्दू पत्ता इकाईयों को पडत रखने की स्वीकृत प्राप्त

कर ली गई है तथा उप वन संरक्षक, धौलपुर की 1 इकाई को उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है।

वर्ष 2024 में व्ययन हुई तेन्दू पत्ता इकाईयों से राशि रू. 2134.49 लाख रू0 की आय प्राप्त होने की संभावना है। माह दिसम्बर 2024 तक लगभग राशि रू. 1868.97 लाख प्राप्त हो चुकी है, शेष राशि माह मार्च 2025 प्राप्त होने की सम्भावना है।

अध्याय–12

सूचना प्रोद्योगिकी

ई–गवर्नेस कार्य

12.1 विभागीय सोशल मीडिया

वनों एवं वन्यजीव संबंधी जानकारियों तथा विभागीय गतिविधियों, योजनाओं एवं अन्य कार्य कलापों की जानकारी को रोचक तरीकों से आम जन तक उपलब्ध कराने के लिये विभागीय सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम सोग्राफिक्स, रील, वीडियो, सूचनाओं एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों को दैनिक रूप से पोस्ट किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर कुल पोस्ट 1465 तथा फॉलोअर की संख्या में वृद्धि 9500 व कुल संख्या 23,700 एक्स (ट्वीटर) पर कुल पोस्ट 2997 तथा फॉलोअर की संख्या में वृद्धि 7500 व कुल संख्या 25,500 तथा फेसबुक, पर कुल फॉलोअर की संख्या में वृद्धि 14,500 व कुल संख्या 56,000 है। विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में आमजन तक पहुंच में वृद्धि के लिये प्रयास के अंतर्गत वन्यजीवों क्षेत्रों पर शार्ट फिल्में, विभागीय अधिकारीगण के प्रशिक्षण एवं फील्ड स्तर से उच्च स्तरीय डिजिटल कॉन्टेंट प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयास किये गये हैं।

12. 2 विभागीय वेबसाईट (www.forest.rajasthan.gov.in) का विकास एवं संधारण

विभागीय वेबसाईट, विभागीय जानकारियॉ, गतिविधियॉ, परियोजनायें, आदेश, कार्यक्रम एवं अनेक कार्यकलापों को आमजन तक सहज रूप में उपलब्ध कराने हेतु एक प्रभावी माध्यम है। इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न शाखाओं द्वारा समय समय पर जारी नवीनतम आदेश, परिपत्र एवं अन्य सूचनाऐं वेबसाईट पर प्रकाशित की गई हैं। इस वित्तीय वर्ष में विभागीय पौधशालाओं से ऑनलाईन पौधों की खरीद की सुविधा एवं विभिन्न शाखाओं द्वारा प्रदर्शित अनेक सूचनाओं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के कार्य किये गये हैं। साथ ही वन्यजीव क्षेत्रों के लिये अलग से माइक्रो वेबसाईट बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है जिससे ऐसे क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी आमजन में उपलब्ध कराई जा सके।

12.3 फोरेस्ट मैनेजमेन्ट एण्ड डिसिजन सपोर्ट सिस्टम (अरण्यक)

विभागीय एम०आई०एस० अरण्यक (FMDSS 2.0) को उन्नत करने और विभागीय शाखाओं द्वारा इसके अधिकाधिक उपयोग एवं फील्ड स्तर से प्राप्त डेटा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये प्रभारी अधिकारीगणों के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर इसे सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है।

इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न शाखाओं की आवश्यकताओं के क्रम में मॉड्यूल में आवश्यक परिवर्तन, डेटा एकत्रीकरण एवं संबंधित अधिकारीगण एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण आयोजित कर मासिक रूप से इस कार्य की निरंतर उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है एवं अन्य विभागीय ऑन लाईन सिस्टम हेतु ए०पी०आई० के माध्यम से डेटा का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही समय समय पर नवीन सुविधाओं के विकास एवं आवश्यक परिवर्तन को भी शामिल करते हुए इसके उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास जारी

है। गत वर्ष बनाये गये डायनेमिक वेब फार्म मॉडयूल का उपयोग कर अब शाखाओं द्वारा ऑनलाईन रूप से डेटा/सूचनाऐं प्राप्त करने की प्रक्रिया से संकलन कार्य में प्रभावी मदद मिली है। कुछ मॉड्यूल जैसे एच0आर0एम0एस0, फॉरेस्ट ब्लॉक मैनेजमेंट, राज्य आयोजना बजट मॉनिटरिंग, नर्सरी मैनेजमेंट मॉड्यूल आदि को अधिक विकसित रूप दिया गया है।

12.4 डिजिटल वन सीमाओं में गुणवत्ता सुधार

इसके अंतर्गत विभाग में डिजिटल वन सीमाओं में उत्तरोत्तर गुणवत्ता सुधार की कार्यवाही हेतु स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जोधपुर की सहायता से गत वर्ष आरम्भ की गयी, परियोजना जिसमें सभी वन सीमाओं को रेवन्यू स्केल पर डिजिटाईज्ड किये जाने के कार्य में प्रगति हुई है।

इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न वन मंडलों में लगभग 7000 वन खण्डों में से लगभग 3000 वन खण्ड, 27 वन्यजीव क्षेत्रों में से 5 एवं 36 कन्जर्वेशन रिजर्व क्षेत्रों में से 20 क्षेत्रों हेतु प्रारम्भिक स्तर का डिजिटल डेटा तैयार कर प्रमाणीकरण की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्य के लिये विभागीय स्तर पर उच्च स्तरीय समीति का गठन कर सभी प्रक्रियों को मानक रूप दिए जाने हेतु वन मंडलों एवं संभागीय अधिकारीगणों के साथ चर्चा कर प्रत्येक वन खण्ड हेतु कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशों की पालना द्वारा भविष्य में उच्च गुणवत्ता की डिजिटल वन सीमाओं के ऑनलाईन रूप में उपलब्ध होने से अनेक समस्याओं का निदान हो सकेगा। इसके लिये सूचना प्रौद्योगिकी एवं सचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ समन्वय करते हुए कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में एक पृथक से जी0आई0एस0 सेंटर बनाये जाने की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

12.5 डिजिटल वन सीमाओं का उपयोग

विभाग में डिजिटल वन सीमा का विभिन्न प्रकार के प्लानिंग कार्यों जैसे फोरेस्ट फायर मैनेजमेंट, असैट प्लानिंग, कार्य आयोजना संबंधित मैपिंग,

वन्यजीव क्षेत्रों में कॉरिडोर बनाये जाने का प्लानिंग एवं मैपिंग कार्य, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा उनकी मांग के अनुरूप विभिन्न प्रकार का डेटासेट तैयार करना जैसे अनेक कार्य किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में जी०आई०एस० एवं रिमोट तकनीक से अग्रगामी परियोजना के रूप में जोधपुर वन मंडल में अतिक्रमण पहचान हेतु उच्च रिजोल्यूशन की सेटेलाईट इमेजरी के माध्यम से चिन्हित क्षेत्रों में डिजिटल मैप बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार इस वर्ष प्रथम बार विभाग में अग्रगामी परियोजना के रूप में वन संपदा की विस्तृत जानकारी यथा वनस्पति एवं जीव जन्तुओं के लिये विभाग की रिसर्च विंग सिल्वा के माध्यम से जिओस्पेशियल तकनीक के उपयोग द्वारा 1000 हैक्टयर के अधिक क्षेत्रफल वाले दो चयनित वन खण्डों में कैम्पा योजना से प्राप्त बजट राशि के माध्यम से डिजिटल डेटा एकत्रीकरण एवं एनालिसस कर इसे प्रकाशित करने का कार्य किया जा रहा है। संकलन उपरांत यह नक्शों एवं रूचिपूर्ण स्वरूप में सूचना भौतिक एवं डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सकेगी।

12.6 आई०टी० इंफ्रास्ट्राचर सुदृढीकरण

विभाग में विभिन्न स्तर के कार्यालयों (मुख्यालय, संभाग, वन मंडल, रेंज) में आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ करने के लिये इस वित्तीय वर्ष में लगभग 270 कम्प्यूटर संसाधनों प्रस्तावित किये हैं। इन नवीन सिस्टम से मुख्यालय स्तर से फील्ड स्तर के कार्यालयों हेतु सभी प्रकार के ऑनलाईन कार्यों में त्वरितता आवेगी।

रेंज कार्यालयों में स्थाई रूप से तीव्र गति इंटरनेट की स्थाई व्यवस्था हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। कैम्पा मद द्वारा फील्ड डेटा कम्यूनिकेशन हेतु वन रक्षक से सहायक वन संरक्षक स्तर पर लगभग 4000 कार्मिकों एवं अधिकारीगण को सिम आधारित इन्टरनेट सुविधा के पुनर्भरण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है।

फील्ड स्तर पर जिओस्पेशियल तकनीक एवं आई0टी0 कार्यों के संदर्भ में विभागीय प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य संस्थानों में निरंतर प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हैं जिससे नवागंतुक अधिकारीगणों एवं कार्मिकों को प्रचलित तकनीकों के उपयोग से अवगत कराते हुए उनकी कार्यक्षमता एवं कार्य गुणवत्ता का विकास किया जा सके। इस वर्ष मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर में 21 दिवसीय उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा, राज्य वन अधीनस्थ सेवा एवं सर्वेयरगण द्वारा वानिकी के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक, ए0आई0, एडवांस जी0आई0एस0 एवं रिमोट सेंसिंग तथा अनेक नवीनतम विषयों को शामिल कर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। इसी प्रकार के प्रयास अन्य संस्थानों के साथ किये जा रहे हैं।

12.7 ReAMS (ई–गजट) पोर्टल मैनेजमेंट

राज्य सरकार के इस पोर्टल पर विभाग की ओर से विभिन्न अधिनियम, परिपत्र, नोटिफिकेशन इत्यादि को प्रकाशित करने हेतु सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा सूचना भेजे जाने पर ही राजकीय मुद्रणालय में प्रकाशन की कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा इसका उपयोग करते हुये लगभग 206 नोटिफिकेशन सफलतापूर्वक प्रकाशित किये गये हैं।

12.8 राज–काज पोर्टल मैनेजमेंट

राज्य सरकार के राज–काज पोर्टल द्वारा भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा के सभी अधिकारियो के लिए अवकाशों (कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकृत होने वाले अवकाशों के अतिरिक्त) का आवेदन एवं स्वीकृति एवं ई–फाईल का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त Online APARs, IPRs का कार्य भी इसके माध्यम से किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में ई–पत्रावली मॉड्यूल के द्वारा विभाग में समस्त कार्यालयों को इस प्रणाली के अंतर्गत लाने का कार्य किया गया है। इस प्रकार विभाग में कुल 64032

ऑनलाईन पत्रावलियां संधारित है एवं इसके साथ ही विभाग में फील्ड स्तर पर कार्मिकों की उपस्थिति की सुनिश्चितता के लिये राज्य सरकार द्वारा बनाये गये ए0एम0एस0 मॉडयूल को प्रारम्भ किया गया है।

12.9 ई–प्रोक्योरमेन्ट एवं स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्टपोर्टल मैनेजमेंट

राज्य सरकार के ई–प्रोक्यूरमेंट पोर्टल एवं स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पर कार्यवाही करते हुये रजिस्ट्रेशन किया जाकर यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। SPPP पोर्टल पर इस वर्ष में 52 रजिस्ट्रेशन किये जा चुके है। यह एक निरन्तर किया जाने वाला कार्य है।

12.10 वीडियो कॉन्फ्रेसिंग एवं ऑनलाईन बैठकें

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग माध्यम से फील्ड स्तर के कार्यालयों के कार्यों की त्वरित मॉनिटिरिंग हेतु वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सुविधा का निंरतर उपयोग किया जा रहा है। संभाग एवं वन मंडल स्तर तक के अधिकारियों से होने वाली बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के उपयोग से श्रम एवं समय की बचत हुई है। मुख्यालय स्तर पर ऑनलाईन बैठकों की उपयोगिता एवं इसके बढते उपयोग को देखते हुए वी0सी0 कक्षों को उन्नत करने का कार्य प्रगतिरत है, जिससे ऑनलाईन बैठकों एवं प्रशिक्षणों का संचालन अधिक सुगम हो सकेगा।

.अध्याय–13

मानव संसाधन विकास

13.1 वन प्रशिक्षण

वनों पर बढ़ते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नये प्रयोगों, नई सूचनाओं प्रौद्योगिकी तकनीकी के उपयोग से परिचित रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के समय–समय पर विभिन्न विषयों पर निरन्तर प्रशिक्षण दिये जावें। राज्य में वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों में इसी अनुरुप दीर्घकालीन उपयोगी प्रभाव वाले प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समय की आवश्यकता को देखते हुए परिवर्तन किये जा रहे हैं। राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य में प्रशिक्षण देने हेतु चार संस्थान यथा राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर, मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर एवं वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केन्द्र, तालछापर में स्थित है। प्रशिक्षण कार्यों की राज्य के वन एवं वन्यजीव प्रबन्धन के सन्दर्भ में उपयोगिता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैद्यता बढाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रविधियों में सुधार तथा नवीन शोध पर आधारित पाठ्य सामग्री का संयोजन तथा संकाय सदस्यों की दक्षता वृद्धि, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थानों में सभी विषयों के प्रशिक्षित वक्ताओं, विद्वानों एवं संसाधन व्यक्तियों को को आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिलाऐ जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर 2024 तक आयोजित करवाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का

विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है।

13.2 राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में आयोजित प्रशिक्षण रिपोर्ट 2024—25

S.No.	Training Name	Month	Date	Circle/ Division	Participan ts	No. of Particip	Mode of Training	Budget Head
1	**Wildlife management, Crime & Control" (Phase I)**	Jun-24	12.02.2024 to 15.02.2024	All Rajasthan	RO,	42	Offline	State Plan
2	**Forest Protection Management & Study of Maps and Land Record**	May-24	19-23.5.2022	All Rajasthan	RO,	45	Offline	State Plan
3	**Forest Protection Management & Study of Maps and Land Record**	Jun-24	26 Feb 01 March	All Rajasthan	RO,	36	Offline	State Plan
4	**Technical 02**	March	2-Mar	Jaipur	Technical	79	Offline	State Plan
5	**Plantation Techniques and SMC work for Forest Regeneration**	Jun-24	18- 21.06.2024	All Rajasthan	Range Officers- II (As per list enclosed)	50	Offline	State Plan
6	**Foundation Course For Junior Assistant**	Jul-24	01-12.07.2024	All Rajasthan		57	Offline	State Plan
7	**Foundation Course For Junior Assistant**	Jul-24	15-26.07.2024	All Rajasthan	Junior Assistant	56	Offline	State Plan

8	**Amendments in Laws Related to Wildlife Offences**	Sep-24	06-07.09.2024	All Rajasthan	DCFs/ACFs of Forest Department			State Plan
9	**Modern Nursery and Use of Technology in Natural Resourses Management and Planning" For RO I/II One day Work Shop for RFOs**	Nov-24	8.11.2024	Jaipur Circle	RFOs	84	Offline	State Plan
10	**Modern Nursery and Use of Technology in Natural Resourses Management and Planning" For RO I/II One day Work Shop for RFOs**	Nov-24	11.11.2024	Udaipur Circle		99		State Plan
11	**Modern Nursery and Use of Technology in Natural Resourses Management and Planning" For RO I/II One day Work Shop for RFOs**	Nov-24	12.11.2024	Kota & Bharatpur Circle		81		State Plan
12	**Modern Nursery and Use of Technology in Natural Resourses Management and Planning" For RO I/II One day Work Shop for RFOs**	Nov-24	13.11.2024	Jodhpur and RTR		82		State Plan

13	**Modern Nursery and Use of Technology in Natural Resourses Management and Planning" For RO I/II One day Work Shop for RFOs**	Nov-24	14.11.2024	Bikaner & Ajmer Circle		125		State Plan
14	**119th Forest Guard Foundation Course**	Sep to January 2025	1-09-2024 to 03-01-2025	All Rajasthan		1433		
15	**120th Forest Guard Foundation Course**	Dec to March 2025	1-12.2024 to 30-03-2025	All Rajasthan		1050		
				Total		3319		

13.3 उप वन संरक्षक (प्रशिक्षण), अलवर में आयोजित प्रशिक्षण रिपोर्ट 2024—25

S.No.	Training Name	Month	Date	Circle/ Division	Participants	No. of Participants	Mode of Training (Online/Offline)	Budget Head (CAMPA/ S.P.)
1	Foundation course forester	Jan to april 2024	15.01.2024 to 08.04.2024	ALL RAJASTHAN	Forester	56	Offline	
2	Plantation techniques & successful plantation TRAINING	June	18-6-24 to 21-06-24	ALL RAJASTHAN	Assistant Forester, Forest Guard	36	Offline	State plan
3	Refresher course ministerial staff Training	July	8-7-24 to 10-7-24	BHARATPUR/ KOTA	Ministerial Staff	41	Offline	State plan
4	Refresher course ministerial staff Training	AUGUST	5-08-24 TO 07-8-24	BHARATPUR/ KOTA	Ministerial Staff	27	Offline	State plan
5	FOREST GUARD 119 FUNDAMENTAL TRAINING	SEP 24 TO JAN 25	1-9-24 TO 5-01-25	ALL RAJASTHAN	FOREST GUARD	71	Offline	State plan
						231		

13.4 उप वन संरक्षक (प्रशिक्षण), जोधपुर मे आयोजित प्रशिक्षण रिपोर्ट 2024–25

S. No	Training Name	Month	Date	Circle/ Division	Participants	No.Of Participants	Mode Of training (Online/Off line	Budget Head (Campa/S.P.
01	Plantation Techniques And Successful Plantation Training	May	17.05.2024	Jodhpur	DCF, ACF ,RO	95	Offline	State Plan
02	Plantation Techniques And Successful Plantation Training	June	18.06.2024 TO 21.06.2024	ALL Rajasthan	Forester	42	Offline	State Plan
03	Refresher Course Ministerial Staff Training	July	08.7.2024 TO 10.07.2024	Jodhpur Udaipur And Bikaner Circle	Ministerial Staff	36	Offline	State Plan
04	Refresher Cours Ministerial Staff Training	Augus t	05.08.2024 To 07.08.2024	Jodhpur Udaipur And Bikaner Circle	Ministerial Staff	39	Offline	State Plan
5	Forest Guard 119 Fundamental Training	01Sep. 24 To 03Jan. 25	1.09.2024 To 3.01.2025	ALL Rajasthan	Forest Guard	49	Offline	State Plan

अध्याय–14

वर्ष 2024–25 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
1	20 (I)	प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन्यजीवों के विकास हेतु आगामी वर्ष Tree Outside Forest in Rajasthan (TOFR) कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किये जायेंगे।	• 4 करोड़ पौधे वितरित किये जा चुके है। • नरेगा – 0.98 करोड़, जलग्रहण विभाग – 0.09 करोड़, शिक्षा विभाग –2.40 करोड़, राजीविका – 0.10 करोड़, कृषि विभाग – 0.018 करोड़, उद्यानिकी विभाग – 0.056 करोड़, स्वायत्त शासन विभाग एवं नगरीय विकास –0.30 करोड़, सी.एस.आर. – 0.078 करोड़, खान विभाग – 0. 024 करोड़, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं एन.एच.ए.आई. – 0.024 करोड़, आई.सी.डी.एस. – 0.023 करोड़, चिकित्सा विभाग – 0.01 करोड़, जल संसाधान विभाग – .0075 करोड़, अन्य विभाग – 0.035 करोड़	पूर्ण	30.11.2024
2	20 (II)	प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन्यजीवों के विकास हेतु आगामी वर्ष Rajasthan Forestry and Bio-Diversity Development Project के अन्तर्गत वृक्षारोपण, ओरण विकास, पौध वितरण व आजीविका संवर्द्धन गतिविधियों आदि के लिए 300 करोड़ रुपये के कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।	• पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में लागू • AFD (France) के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु धनराशि 246.25 करोड़ रू. रिलीज की जा चुकी है। • कुल 6000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य (मानसून 2024) किया जा चुका है। • आगामी वर्ष में 22657 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।	प्रगतिरत	31.03.2025

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
3	20 (III)	प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन्यजीवों के विकास हेतु आगामी वर्ष अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा ।	• अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत वन भूमि पर मानसून में 30 हजार हैक्टर में वृक्षारोपण का शत प्रतिशत लक्ष्य अर्जित कर लिया गया है। • अगले वित्तीय वर्ष में भी 30 हजार हैक्टेयर पौधारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य हेतु बजट आवंटन कर दिया गया है।	कार्य पूर्ण	31.03.2025
4	20 (IV)	प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन्यजीवों के विकास हेतु आगामी वर्ष गोडावण संरक्षण हेतु टनल निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।	• उक्त कार्य हेतु **RSRDC** द्वारा दिनांक 11.11.2024 को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। • कार्य दिनांक 15.11.2024 को प्रारंभ किया जा चुका है। • कार्य दिनांक 14.07.2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।	प्रगतिरत	14.07.2025
5	20 (V)	प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन्यजीवों के विकास हेतु आगामी वर्ष **Blackbuck** हेतु जसवंतगढ़–नागौर में **Habitat Development** के कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं।	जसवंतगढ़. नागौर में राशि रू. 165 लाख व्यय कर 450 हैक्टर में **Blackbuck Habitat Development** का कार्य करवाया जा चुका है।	कार्य पूर्ण	31.03.2025

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
6	56	स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण तथा पर्यावरण जागरूकता को बढावा देने के लिए खेजड़ली–जोधपुर में अमृतादेवी बिश्नोई Indigenous Plant Museum स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।	• 10.00 लाख रू. राशि के बजट आवंटन प्राप्त। • Indigenous Plants का पौधारोपण पूर्ण एवं साईनेज, ट्रेक निर्माण कार्य प्रगतिरत।	प्रगतिरत	31.03.2025

बजट घोषणा वर्ष 2024–25 (दिनांक 10 जुलाई, 2024)

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
1	44	राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 2028 तक, वन क्षेत्र में 20 हजार हेक्टेयर की वृद्धि किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्यों को विदित है कि सम्पूर्ण देश में पौधारोपण के साथ–साथ पौधों को जीवित रखने को बराबर का महत्व देने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून, 2024) से 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान की शुरूआत की थी। इसी दिशा में, इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वृक्षारोपण महाभियान के माध्यम से हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौधे लगाने व पालने का लक्ष्य रखा गया है।	महाअभियान के तहत 7 करोड़ से अधिक पौधारोपण कार्य कर शत प्रतिशत लक्ष्य अर्जित कर लिया गया है।	कार्य पूर्ण	31.03.2025
2	45	Multi-Sectoral Program के रूप में Mission 'हरियालो– राजस्थान' प्रारम्भ करने की घोषणा – इस मिशन के अन्तर्गत 5 वर्षो में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये के कार्य कराये जायेगे।	**मानसून 2024 में** • पौध वितरण – 4 करोड़, 80 हजार हैक्टर वृक्षारोपण, 50 मातृवन, 14 नगर वन स्थापित एवं 9 प्रगतिरत है। • आगामी 5 वर्षों में बजट घोषणा के अन्तर्गत विभागीय योजनाओं में 4000 करोड़ रू. जिसमें महानरेगा योजना में 1650 करोड़ रू. का प्रावधान – वन विभाग द्वारा इस वर्ष नरेगा के तहत 2247 नवीन कार्य एवं राशि रू. 84.02 करोड़ स्वीकृत। • वर्ष 2025–26 में विभिन्न योजनाओं में पौधारोपण हेतु निम्नानुसार पौधे तैयार किये जा रहे है:–	प्रगतिरत	31.03.2028

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>घोषणा क्रमांक</th><th>घोषणा का विवरण</th><th>अद्यतन प्रगति</th><th>वर्तमान स्थिति</th><th>क्रियान्वयन हेतु समय सीमा</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विभाग/योजना</th><th>पौधों की संख्या</th><th>विशेष विवरण</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>वन विभाग के तहत पौध तैयारी</td><td>5.84 करोड़</td><td>प्रगतिरत</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>वृक्षारोपण हेतु पौध तैयारी</td><td>2.16 करोड़</td><td>प्रगतिरत</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा अन्य सरकारी विभाग</td><td>1.50 करोड़</td><td>सरकारी विभागों द्वारा क्रय किया जाना प्रस्तावित</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>शहरी विकास/उद्यानिकी एवं जलग्रहण विभाग</td><td>0.50 करोड़</td><td>महानरेगा/विभागीय योजनाओं में पौध तैयारी/क्रय किया जाना प्रस्तावित</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>10.00 करोड़</td><td></td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>45
(I)</td><td>प्रदेश में प्रतिवर्ष आवश्यक लगभग 10 करोड़ पौध तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरियां स्थापित करने एवं वर्तमान में स्थापित 540 से अधिक नर्सरियों का संवर्द्धन करने के साथ ही, निजी क्षेत्र/पंचायत के अधीन नर्सरियों के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की जायेगी।</td><td>• मानसून हेतु 8 करोड़ पौधे तैयार किये जा रहे है।
• निजी क्षेत्र/पंचायत के अधीन नर्सरियों के लिए अनुदान की व्यवस्था की प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शिका का प्रारूप तैयार।</td><td>प्रगतिरत</td><td>31.03.2028</td></tr>
<tr><td>4</td><td>45
(II)</td><td>प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक–एक 'मातृ वन' की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही, One District-One Species कार्यक्रम लागू कर प्रत्येक जिले के लिए विशेष प्रजाति की पौध</td><td>• प्रत्येक जिले में एक–एक मातृ वन स्थापित किये जा चुके है।
• इसके साथ ही, One District & One</td><td>कार्य पूर्ण</td><td>31.03.2025</td></tr>
</table>

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
		वहां के पर्यावरण को देखते हुए तैयार की जायेगी।	Species का चयन किया गया। • उक्तानुसार नर्सरियों में पौधे तैयार करने के निर्देश जारी किये जा चुके है।		
5	45 (III)	पौधों का समुचित पालन कर Survival सुनिश्चित करने के लिए 2 हजार स्थानीय व्यक्तियों को incentive के आधार पर 'वन मित्र' लगाया जायेगा तथा प्रत्येक क्षेत्र में इच्छुक retired कर्मचारी/अधिकारी को Guardian के रूप में जिम्मेदारी दी जायेगी। साथ ही, इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाना प्रस्तावित है।	2000 वन मित्र के विरूद्ध 2781 का पंजीकरण। आमुखीकरण (Orientation) कार्यक्रम प्रगतिरत।	कार्य पूर्ण	31.03.2028
6	45 (VI)	वन से होने वाले लाभ समस्त प्रदेश के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को विशेषकर प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से Joint Forest Management Committees (JFMCs) को सशक्त करते हुए 'वन–धन कार्यक्रम' को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके साथ ही, Block स्तर तक वन उपज एवं सम्बन्धित उत्पादों के विक्रय के लिए Marketing Hubs विकसित किये जायेंगे। इस कार्य को गति देने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।	बजट घोषणा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग को स्थानान्तरित किये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित की गयी है।	जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग को स्थानान्तरित किये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित	31.03.2028
7	45 (VII)	वन विभाग के कार्मिकों, Joint Forest Management Committees (JFMCs) के सदस्यों सहित समस्त Stakeholders की प्रबन्धकीय योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से झालाना–जयपुर में 40 करोड़ रुपये की लागत से Forest and Wildlife Training cum Management Institute की स्थापना की जायेगी।	• उक्त के संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 28.10.2024 को वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। • RSRDC के साथ MoU करने की कार्यवाही प्रगतिरत है	प्रगतिरत	31.03.2026

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
8	45 (VIII)	वन संरक्षण के अन्तर्गत नवाचार के रूप में Forest Carbon Credits Certification Mechanism स्थापित किया जायेगा।	• Carbon Financing की पायलट परियोजनाएं प्रक्रियाधीन • Land parcels, लाभान्वित किसानों का चिन्हिकरण प्रक्रियाधीन	प्रगतिरत	31.03.2028
9	46 (1)	5 बाघ परियोजना क्षेत्रों में 20 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर Tiger Habitat सुधार के कार्यों के साथ ही Anti-Poaching Infrastructure सुदृढ़ किया जायेगा।	• 20 करोड़ रुपये बजट आवंटन हेतु पत्रावली दिनांक 26.07.2024 को राज्य सरकार को प्रेषित की जाने पर प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में पत्र दिनांक 09.08.2024 से प्रस्तावित गतिविधियों में से AFD, JICA & CAMPA योजना अंतर्गत क्रियान्वित की जा सकने वाली गतिविधियों की सूची सहित संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को दिनांक 23.09.2024 को प्रेषित किये जा चुके हैं। • उक्त क्रम में दिनांक 06.11.2024 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त द्वारा वन अधिकारियों से विचार–विमर्श हेतु बैठक आयोजित की गयी। स्वीकृति एवं बजट आवंटन उपरान्त कार्य कराए जा सकेगे।	प्रगतिरत	31.03.2025
10	46 (2)	पक्षियों के साथ–साथ अन्य जीव–जन्तुओं के अवलोकन व अध्ययन के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना)–भरतपुर के निकट Zoological Park (Zoo) एवं Aquarium की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु इस वर्ष DPR बनाकर कार्य हाथ में लिया जायेगा।	उपयुक्त भूमि चिन्हिकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	प्रगतिरत	31.03.2025
11	46 (3)	नाहरगढ़ जैविक उद्यान–जयपुर में पर्यटकों द्वारा पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु Walk in Aviary 20 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जायेगी।	RSRDC द्वारा Walk in Aviary - DPR कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	प्रगतिरत	31.03.2026
12	46 (4)	गोडावण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मरू उद्यान–जैसलमेर में गजाई माता, चौहानी, सुदासरी एवं रामदेवरा में नए	राशि रू. 500.00 लाख बजट आंवटन प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित।	प्रगतिरत	31.03.2025

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
		enclosures स्थापित करने के साथ ही enclosures में Predator Proof Fencing की जायेगी।			
13	46 (5)	अलवर में Biological Park की स्थापना 25 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी।	• केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा कार्यस्थल के निरीक्षण/Feasibility study में कार्यस्थल उचित पाया गया। • डी.पी.आर. हेतु वित्त विभाग से राशि रू. 2.00 करोड़ की मांग की गई है। • कंसल्टेन्ट चयन हेतु BID Document तैयार कर लिये गये है। • केन्द्र सरकार से नगर वन की स्थापना हेतु आवंटित राशि रूपये 1.85 करोड़ का उपयोग अलवर बॉयोलोजिकल पार्क के निर्माण में किया जायेगा	प्रगतिरत	31.03.2026
14	46 (6)	गांधी सागर अभयारण्य एवं भैंसरोडगढ़ अभयारण्य–चित्तौड़गढ़ एवं चम्बल अभयारण्य को कूनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीते के विचरण हेतु corridor एवं सफारी बनाने के लिए मध्यप्रदेश के साथ MoU करते हुए feasibility study करवायी जानी प्रस्तावित है।	दिनांक 04.11.2024 के संयुक्त समिति के गठन के आदेश के अनुसरण में दिनांक 29.11.2024 को रणथम्भौर में CWLW, MP/Rajasthan की संयुक्त अध्यक्षता में पूर्ण समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गयी है। दोनों राज्यों की सम्मति से MoU का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। राज्य सरकार से ड्राफ्ट अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। MoU कार्यवाही प्रगतिरत है।	प्रगतिरत	31.12.2024
15	46 (8)	वन संरक्षण के साथ ही आमजन की सुविधा एवं अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा दूर हो सके, इस दृष्टि से जयसमंद–उदयपुर, केसरबाग–धौलपुर, केवलादेव–भरतपुर एवं नाहरगढ़–जयपुर की तर्ज पर सरिस्का–अलवर, रणथम्भौर–सवाई माधोपुर एवं राष्ट्रीय	• माननीय उच्चतम न्यायालय में Suo motu याचिका संख्या 01/2023 लंबित होने के कारण सरिस्का टाईगर रिजर्व–अलवर के Eco-Sensitive Zones पर निर्णय केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।	प्रगतिरत	31.03.2025

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
		चम्बल घड़ीयाल अभयारण्य–कोटा का Eco-Sensitive Zones के रूप में चिन्हिकरण कर मास्टर प्लान बनाया जायेगा।	• रणथम्भौर टाईगर रिजर्व –सवाई माधोपुर का प्रस्ताव दिनांक 04.10.2024 को केंद्र सरकार को प्रस्तुत। • राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य–कोटा में कुछ क्षेत्र का डिनोटिफाई करने हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को वन्य जीव स्टडी के लिए निर्देश दिये गये है। रिपोर्ट प्राप्त किया जाकर Eco-Sensitive Zones का प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा उक्त क्षेत्रों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा ईको सेन्सिटिव जोन की अन्तिम विज्ञप्ति जारी होने के उपरान्त पर्यावरण विभाग द्वारा जोनल मास्टर प्लान बनाया जायेगा।		
16	35 (1)	सांभर झील, खींचन Conservation Reserve, शेरगढ़ अभयारण्य, मनसा माता Conservation Reserve, एवं बस्सी अभयारण्य को Eco-Tourism Sites के रूप में विकसित किया जायेगा।	उप वन संरक्षक से प्राप्त प्रस्ताव पर पर्यटन विभाग से अनुमोदन की कार्यवाही की जा चुकी है।	प्रगतिरत	31.03.2025
17	35 (3)	प्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं और वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में सरिस्का स्थित पांडूपोल और रणथम्भौर में त्रिनेत्र गणेश जी के लिए EV based Transport System शुरू किया जायेगा।	रणथम्भौर व सरिस्का में EV चलाने हेतु Feasibility study की कार्यवाही की जा चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित शपथ पत्र अनुसार 30.09.2025 तक EV चलायी जानी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2024 के अन्तरिम निर्णय अनुसार निर्णय दिनांक से 1 वर्ष की अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।	प्रगतिरत	31.03.2025

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
बजट घोषणा वर्ष 2024–25 (सामान्य वाद–विवाद) दिनांक 16 जुलाई, 2024					
18	17	अजमेर शहर में पार्क व आदर्शनगर में मातृवन विकसित किये जायेंगे।	• अजमेर शहर के आदर्शनगर में मातृवन स्थापित किये जाने हेतु नगर वन की राशि रू. 2 करोड़ के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को माह जुलाई, 2024 में प्रेषित किये गये है। स्वीकृति अपेक्षित है। • अजमेर शहर के गुलाबबाड़ी नगर में पार्क स्थापित करने हेतु नगर वन के राशि रू. 2 करोड़ के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को माह जुलाई, 2024 में प्रेषित किये गये है। स्वीकृति अपेक्षित है।	प्रगतिरत	31.03.2026
बजट घोषणा वर्ष 2024–25 (वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर) दिनांक 29 जुलाई, 2024					
19	41	काले हिरणों के संरक्षण हेतु शाहपुरा जिले के आशोप क्षेत्र को आखेट निषिद्ध व कंजवेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाना प्रस्तावित है।	शाहपुरा जिले के आसोप वन क्षेत्र (118.4513 है0) को जरिये अधिसूचना क्रमांक प0एफ0नं0 3 (8)वन/2024 दिनांक 27.08.2024 से कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जा चुका है।	कार्य पूर्ण	31.03.2025
20	58	केन्द्र सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर देने के साथ ही देश सेवा का भी जज्बा उत्पन्न करने के लिए अग्निवीर योजना लायी गई। साथ ही, इन अग्निवीर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सशस्त्र बलों में इनकी नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है। इसी तर्ज पर प्रदेश में इन अग्निवीर युवाओं को पुलिस/RAC /जेलप्रहरी/वनरक्षक में नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान करने की घोषणा।	अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। वनरक्षक की सीधी भर्ती में अग्निवीरों के आरक्षण के संबंध में डीओपी द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये है।	No Action Taken	31.03.2025

.अध्याय–15

100 दिवसीय कार्य योजना

क.सं.	कमांक	विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	कियान्वयन हेतु समय सीमा
1	646	खेजडली, जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई इंडिजेनस प्लांट म्यूजियम बनाने के प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।	खेजड़ली–जोधपुर में अमृतादेवी बिश्नोई Indigenous Plants हेतु 10.00 लाख रू. राशि के बजट आवंटन प्राप्त। Indigenous Plants का पौधारोपण पूर्ण एवं साईनेज, ट्रेक निर्माण कार्य प्रगतिरत।	प्रगतिरत	100 दिवस
2	647	अरावली, आदिबद्री एवं कनकांचल पर्वतों में वन भूमियों पर अवैध खनन को रोकने हेतु अन्य संबंधित विभागों के साथ संयुक्त अभियान चलाया जायेगा।	प्रदेश में अवैध खनन को रोकने हेतु दिनांक 15.01.2024 से 31.01.2024 तक विशेष संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें 181 एफआईआर दर्ज हुई एवं 18.111 लाख रूपये की जुर्माना राशि प्राप्त हुई।	पूर्ण	100 दिवस
3	648	जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के माध्यम से यूनेस्को को भिजवाया जायेगा।	प्रस्ताव केन्द्र सरकार के माध्यम से यूनेस्को को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.01.2024 को भिजवा दिया गया है।	पूर्ण	30 दिवस

क.सं.	कमांक	विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	कियान्वयन हेतु समय सीमा
4	649	मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ''थार संरक्षण मिशन'' की शुरूआत कर राशि रू. 72 करोड़ की लागत से 17,500 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया जायेगा।	मरूस्थलीकरण को रोकने के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में आवंटित बजट रू. 72 करोड़ के तहत 17 हजार 500 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया है।	पूर्ण	60 दिवस
5	650	केन्द्र सरकार की ग्रीन कॉरिडोर योजना के तहत अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए 30,000 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने की पूर्व तैयारी की जायेगी।	1. अग्रिम मृदा कार्य संपूर्ण है। 2. 30000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण।	पूर्ण	100 दिवस
6	652	नगर वन योजना के तहत राज्य में 14 नगर वन स्थापित करने के कार्य को पूर्ण किया जायेगा।	नगर वन योजना के तहत राज्य में 14 नगर वन (कोटा–2, जयपुर–2, चूरू–3, उदयपुर, जोधपुर, राजसमन्द, अजमेर, अलवर, नोहर, छत्तरगढ़) स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। राशि रू. 13.65 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 9.22 करोड़ व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। संधारण कार्य प्रगतिरत है।	प्रगतिरत	100 दिवस
7	653	60,000 हैक्टेयर वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य किया जायेगा।	80,000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य पूर्ण किया जा चुका है।	पूर्ण	100 दिवस

क.सं.	कमांक	विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	कियान्वयन हेतु समय सीमा
8	654	16 नर्सरी अपग्रेडेशन का कार्य किया जायेगा।	16 नर्सरी अपग्रेडेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल राशि रू. 330.00 लाख का वित्तीय प्रावधान है। कार्य किया जा चुका है।	पूर्ण	100 दिवस
9	655	वन भूमि एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिये 100 कि.मी. दीवार निर्माण का कार्य किया जायेगा।	100 कि.मी. दीवार निर्माण कार्य किया जा चुका है ।	पूर्ण	100 दिवस
10	656	बस्सी अभ्यारण्य, चित्तौडगढ़ में जंगल सफारी प्रारंभ की जायेगी।	बस्सी अभ्यारण्य, चित्तौडगढ एवं मनसा माता कन्जर्वेशन रिजर्व, झुन्झुनूं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.02.2024 की पालना में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से जरिये पत्र दिनांक 04.03.2024 से मार्गदर्शन चाहा गया। अप्राप्त होने से पुनः स्मरण पत्र दिनांक 03.04.2024 को लिखा गया है।	प्रगतिरत	100 दिवस

क.सं.	कमांक	विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	कियान्वयन हेतु समय सीमा
11	657	जयपुर के बीड़ मुहाना एवं बीड़ गोनेर वन क्षेत्रों को आम जन के लिये खोला जायेगा।	मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व सहित राज्य के सभी कंजर्वेशन रिजर्व में प्रवेश की दरों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए गये हैं। प्रवेश दर निर्धारण उपरान्त आमजन के लिये खोले जाने की कार्यवाही की जावेगी।	प्रगतिरत	100 दिवस
12	658	1,701 पदों पर वनरक्षकों की भर्ती पूर्ण कर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।	1,701 पदों में से 1686 पदों पर वनरक्षकों ने कार्यग्रहण कर लिया है। शेष 15 वनरक्षकों ने कार्यग्रहण नहीं किया है। भर्ती प्रकिया पूर्ण है।	पूर्ण	100 दिवस

परिशिष्ट–1

Rajasthan State Forest Land Area as on 31-03-2024 (Area in Sq. Kms.)

S.N.	District	Reserved Area	Protected Area	Unclassed Area	Total Forest Area
1	Ajmer	194.99	424.10	1.76	620.86
2	Alwar	1012.65	651.14	122.79	1786.58
3	Banswara	0.00	1006.33	0.66	1007.00
4	Baran	0.00	2234.18	16.38	2250.56
5	Barmer	20.30	569.44	36.40	626.14
6	Bharatpur	0.00	430.03	12.77	442.80
7	Bhilwara	437.80	296.43	45.03	779.26
8	Bikaner	0.00	794.76	455.99	1250.75
9	Bundi	867.28	682.11	14.18	1563.57
10	Chittorgarh	1200.84	587.41	0.77	1789.02
11	Churu	7.20	48.58	24.14	79.92
12	Dausa	134.87	149.72	0.04	284.63
13	Dholpur	7.92	597.72	44.03	649.67
14	Dungarpur	257.08	435.86	0.36	693.30
15	Hanumangarh	0.00	113.50	125.96	239.46
16	Jaipur	693.54	243.29	5.59	942.42
17	Jaisalmer	0.00	245.53	446.07	691.60

18	Jalore	126.49	302.34	98.42	527.25
19	Jhalawar	314.72	946.60	25.40	1286.72
20	Jhunjhunu	6.02	399.33	0.00	405.35
21	Jodhpur	4.68	190.85	51.42	246.95
22	Karauli	62.99	1693.13	54.64	1810.76
23	Kota	837.63	459.49	74.40	1371.52
24	Nagaur	0.80	206.28	35.32	242.40
25	Pali	816.56	144.82	4.72	966.10
26	Pratapgarh	702.66	965.12	0.00	1667.78
27	Rajasamand	277.41	119.39	4.86	401.66
28	Sawaimadhopur	834.84	118.16	24.28	977.28
29	Sikar	9.92	622.93	8.72	641.57
30	Sirohi	614.04	985.48	42.68	1642.20
31	Sriganganagar	0.00	238.42	395.02	633.44
32	Tonk	101.42	229.19	2.97	333.58
33	Udaipur	2654.06	1499.47	8.39	4161.92
Total		**12198.71**	**18631.13**	**2184.16**	**33014.02**

परिशिष्ट–2

RAJASTHAN PROTECTED AREA ESZ NOTIFICATIONS STATUS AS ON December 2024

S.No.	Name of Proctected Area	Status
A. Final Notification Issued (17)		
1	Sitamata Wildlife Sanctuary	Final Notification vide S.O. 1191(E) [17.04.2017]
2	Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary	Final Notification S.O. 6212(E) [18.12.2018]
3	Bandh Baretha Wildlife Sanctuary	S.O. 6319(E) [26.12.2018] & S.O. 1929 (E) (18.5.2021) बंध बारेठा वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में परिर्वतन के कारण उक्त अभयारण्य की ESZ में संशोधन हेतु ड्राफ्ट अधिसूचना भारत सरकार को प्रेषित की गयी है।
4	Keoladeo National Park	Final Notification S.O. 2608(E) [19.07.2019] & S.O. 814(E) [21.02.2020]
5	Bassi Wildlife Sanctuary	Final Notification S.O. 1717(E) [08.04.2021/30.04.2021]
6	Jaisamand Wildlife Sanctuary	Final Notification S.O. 2631(E) [06.08.2020]
7	Kesarbagh Wildlife Sanctuary	Final Notification S.O. 2641(E) [28.08.2020]
8	Mukundra Hills Tiger Reserve	Final Notification S.O. 4268(E) [25.11.2020]
9	Mt. Abu Wildlife Sanctuary	Notification S.O. 1545(E) [25.06.2009] & Final Notification S.O. 4047(E) [11.11.2020]
10	Nahargarh Wildlife Sanctuary	Final Notification S.O. 1220(E) [08.03.2019]
11	Ramsagar Wildlife Sanctuary	Final Notification S.O. 3632(E) [15.10.2020]
12	Sajjangarh Wildlife Sanctuary	Final Notification vide S.O.1191(E) [17.04.2017]
13	Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary	Final Notification S.O. 1173(E) [13.04.2017]
14	Van Vihar Wildlife Sanctuary	Final Notification S.O. 938(E) [23.03.2017]
15	Bhainsrodgarh Wildlife Sanctuary	Final Notification S.O.3683 (E) [10.09.2021]

16	Phulwari ki Nal Wildlife Sanctuary	Final Notification S.O.1918 (E) [17.05.2024]
17	Talchhapar Wildlife Sanctuary	Final Notification S.O.4242 (E) [27.09.2024]
B. Number of Proposal draft notification issued (02)		
1	Sariska Tiger Reserve	Draft notification 332. S.O. 4766(E) [02.11.2023]
2	Shergarh Wildlife Sanctuary	Draft republished on 24.04.2024
C. Number of Proposal draft notification not issued (05)		
1	Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve	प्रारूप अधिसूचना के प्रस्ताव दिनांक 16.05.2024 को भारत सरकार को अग्रेषित।
2	Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary	प्रारूप अधिसूचना के संशोधित प्रस्ताव दिनांक 12. 06.2024 को भारत सरकार को अग्रेषित।
3	Desert National Park sanctuary	प्रारूप अधिसूचना के प्रस्ताव दिनांक 07.12.2023 को भारत सरकार को अग्रेषित।
4	National Gharial sanctuary	प्रारूप अधिसूचना के प्रस्ताव दिनांक 07.12.2023 को भारत सरकार को अग्रेषित।
5	Ranthambhore Tiger Reserve	प्रारूप अधिसूचना के संशोधित प्रस्ताव दिनांक 04. 10.2024 को भारत सरकार को अग्रेषित।

परिशिष्ट–3

LIST OF PROTECTED AREAS IN RAJASTHAN AS ON DEC.2024

S.No.	Protected Area Name	District	Area (Sq. Km.)
A	**National Park**		
1	Keoladeo National Park	Bharatpur	28.73
2	Mukundra Hills National Park	Kota, Chittorgarh	199.55
3	Ranthambhore National Park	Sawai Madhopur	282.03
B	**Wildlife Sanctuaries**		
1	Band Baretha Sanctuary	Bharatpur	171.19
2	Bassi Sanctuary	Chittorgarh	138.5
3	Bhensrodgarh Sanctuary	Chittorgarh	201.4
4	Darrah Sanctuary	Kota, Jhalawar	227.63
5	Desert National Park Sanctuary	Jaisalmer, Barmer	3162.00
6	Jaisamand Sanctuary	Udaipur	52.34
7	Jamwa Ramgarh Sanctuary	Jaipur	300.00
8	Jawaharsagar Sanctuary	Kota, Bundi, Chittorgarh	194.6
9	Kailadevi Sanctuary	Karoli, Sawai Madhopur	676.82
10	Kesarbagh Sanctuary	Dholpur	14.76
11	Kumbhalgarh Sanctuary	Rajsamand, Udaipur, Pali	610.53
12	Mount Abu Sanctuary	Sirohi	103.97
13	Nahargarh Sanctuary	Jaipur	52.4
14	National Ghariyal Sanctuary	Kota, Bundi,	564.03

		Sawaimadhopur, Karoli, Dholpur	
15	Phulwari ki Naal Sanctuary	Udaipur	511.41
16	Ramgarh Vishdhari Sanctuary	Bundi	303.05
17	Ramsagar Sanctuary	Dholpur	34.4
18	Sajjangarh Sanctuary	Udaipur	5.19
19	Sariska Sanctuary	Alwar	544.22
20	Sawaimadhopur Sanctuary	SawaiMadhopur	131.3
21	Sawaimansingh Sanctuary	SawaiMadhopur	113.07
22	Shergarh Sanctuary	Basan	81.67
23	Sitamata Sanctuary	Udaipur, Chittorgarh	422.94
24	Talchhapar Sanctuary	Churu	7.19
25	Todgarh Raoli Sanctuary	Rajsamand, Ajmer, Pali	495.27
26	Van Vihar Sanctuary	Dholpur	25.60
C	**Conservation Reserves**		
1	Bansial-Khetri Bagore Conservation Reserve	Jhunjhunu	39.66
2	Bansial-Khetri Conservation Reserve	Jhunjhunu	70.18
3	Beed Jhunjhunu Conservation Reserve	Jhunjhunu	10.47
4	Bisalpur Conservation Reserve	Tonk	48.31
5	Gogelav Conservation Reserve	Nagaur	3.58
6	Gudha Vishnoiyan Conservation Reserve	Jodhpur	2.32
7	Jawai Bandh Leapard Conservation Reserve II	Pali	61.98
8	Jawaibandh Leopard Conservation Reserve	Pali	19.79
9	Jodbeed Gadhwala Bikaner Conservation Reserve	Bikaner	56.47
10	Mansa Mata Conservation Reserve	Jhunjhunu	102.31

11	Rotu Conservation Reserve	Nagaur	0.73
12	Shahbad Conservation Reserve	Baran	189.40
13	Shakambari Conservation Reserve	Sikar, Jhunjhunu	131.00
14	Sundhamata Conservation Reserve	Jalore, Sirohi	117.49
15	Ummedganj Pakshi Vihar Conservation Reserve	Kota	2.72
16	Rankhar Conservation Reserve	Jalore	72.88
17	Shahbad Taleti Conservation Reserve	Baran	178.84
18	Beed Grass Fuliya Khurd Conservation Reserve	Bhilwara	0.86
19	Baghdara Crocodile Conservation Reserve	Udaipur	3.69
20	Vadakheda Conservation Reserve	Shiroi	43.31
21	Jhalana-Amagarh Conservation Reserve	Jaipur	35.07
22	Ramgarh Conservation Reserve	Basna	38.09
23	Kharmor Conservation Reserve	Ajmer	9.31
24	Hamirgarh Conservation Reserve	Bhilwara	5.66
25	Sorsan Ist	Basna	16.11
26	Sorsan IInd	Basna	4.27
27	Sorsan IIIrd	Basna	0.76
28	Kurnja CR	Jodhpur	2.92
29	Banjhamli CR	Barna	146.21
30	Baleshwar Conservation Reserve	Neem Ka Thana	221.69
31	Beed Muhana Conservation Reserve-A	Jaipur Rural	2.07
32	Beed Muhana Conservation Reserve-B	Jaipur Rural	0.10
33	Ganga Bhairav Ghati Conservation Reserve	Ajmer	39.51
34	Mahaseer Conservation Reserve	Udaipur	2.06
35	Beed Fatehpur Conservation Reserve	Sikar	30.03

36	Amrakh Mahadev Leopard Conservation Reserve	Udaipur	71.47
37	Aasop Conservation Reserve	Bhilwara	1.18
D	**Tiger Reserves**		
1	Ranthambhore Tiger Reserve	Sawaimadhopur, Karauli, Bundi, Tonk	1530.23
2	Sariska Tiger Reserve	Alwar, Jaipur	1213.34
3	Mukundara Hills Tiger Reserve	Kota, Bundi, Jhalawar, Chittorgarh	1135.79
4	Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve	Bundi, Kota, Bhilwara	1496.49
5	Dholpur-Karauli Tiger Reserve	Dholpur, Karauli	599.64
E	**Under Process**		
1	Desert National Park Sanctuary	Jaisalmer, Barmer	3162.00
2	Sariska National Park	Alwar	405.93
3	Kumbhalgarh National Park	Pali,Udaipur & Rajsamand	462.05
4	Band Baretha Sanctuary	Bharatpur	197.86
5	Sariska 'A' Sanctuary	Alwar	3.01
6	Dholpur Sanctuary	Dholpur	204.26
7	Mount Abu Sanctuary	Sirohi	222.13
8	Gajner Sanctuary	Bikaner	26.32

(परिशिष्ट–4)

राज्य योजना में वर्ष 2022–23, 2023–24 तथा 2024–25 (माह दिसम्बर, 2024) तक उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति

(राशि रु. लाखों में)

क. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2022–23					वर्ष 2023–24					वर्ष 2024–25 (दिसम्बर, 2024 तक)			
		आय–व्यय अनुमान	संशोधित अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	व्यय	केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय	आय–व्यय अनुमान	संशोधित अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	व्यय	केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय	आय–व्यय अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार में प्राप्त सहायता	व्यय (दिसम्बर, 2024 तक)	केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय
1	संसाधन सीमा निर्धारण एवं बन्दोबस्त कार्य	123.61	100.57	-	70.16	-	580.71	78.00	-	54.67	-	413.76	-	145.04	-
2	परिभाषित वनों का पुनरारोपण	16392.19	16407.82	-	16186.39	-	24321.22	24321.22	-	22999.90	-	24004.66	-	7829.11	
3	जैव विविधता संरक्षण मय पारिस्थितिकी पर्यटन	820.68	1268.86	-	735.16	-	2015.75	1516.10	-	1085.08	-	1386.19	-	305.57	-
4	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	347.75	341.56	33.47	55.78	33.47	373.93	140.33	50.73	84.55	50.73	426.44	0.00	0.00	0.00
5	कृषि वानिकी	3700.01	4753.66	-	4427.27	-	6610.65	5999.99	-	5249.67	-	6166.49	-	1435.29	-
6	बाघ परियोजना रणथम्भौर	7047.11	6495.46	240.39	3776.32	240.39	9827.90	11006.16	932.30	6759.52	947.39	8617.79	574.68	1273.54	533.04
7	अन्य अभ्यारण्यों का संधारण	4379.96	3835.53	86.79	1387.91	86.79	3997.99	1807.43	0.00	441.81	0.00	1768.22	0.00	311.66	0.00
8	गोरधन ड्रेन	210.02	210.01	-	210.00	-	210.01	210.00	-	186.33	-	231.01	-	50.24	-
9	चिड़ियाघरों का सुधार	181.51	181.01	-	179.50	-	176.01	200.00	-	196.40	-	220.02	-	132.08	-
10	संचार एवं भवन	160.01	200.01	-	193.39	-	3500.00	1500.00	-	1444.91	-	2000.01	-	382.58	-
11	सांभर नम भूमि परियोजना	0.02	0.02	-	0.00	-	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
12	भाखड़ा नहर वृक्षारोपण	520.21	520.21	-	516.88	-	0.01	0.00	-	0.00	-	0.01	-	0.00	-

13	गंगनहर वृक्षारोपण	128.08	129.94	-	126.42	-	0.01	0.00	-	0.00	-	0.01	-	0.00	-
14	कैम्पा कोष	0.01	0.01	-	0.00	-	0.01	0.00	-	0.00	-	0.01	-	0.00	-
15	पर्यावरण वानिकी	837.00	1095.87	-	1043.30	-	5489.00	2563.00	-	2327.72	-	1600.00	-	249.47	-
16	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना - II	660.00	750.00	-	347.00	-	300.00	345.00	-	321.51	-	149.93	-	0.00	-
17	राजीव गांधी बायोस्फीयर रिर्जव	0.01	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
18	पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास	1000.00	1000.00	-	1000.00	-	400.00	400.00	-	0.00	-	865.00	-	400.00	-
19	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	70.00	59.70	-	57.18	-	59.70	70.70	-	57.98	-	128.80	-	48.98	-
20	साझा वन प्रबंध का सुदृढिकरण	25.00	13.00	-	12.99	-	13.00	13.00	-	7.60	-	15.00	-	3.31	-
21	नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वनीकरण)	2924.63	3109.66	-	2911.52	-	847.24	15180.62	-	14607.31	-	5670.97	-	1571.84	-
22	जलवायु परिवर्तन एवं मरूस्थल नियंत्रण	11709.37	11747.24	-	11634.43	-	17650.53	17701.41	-	16891.04	-	19999.20	-	7999.70	-
23	जैविक उद्यान कायलाना	0.02	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-
24	पक्षी राहत केन्द्र	6.07	6.07	-	1.61	-	206.68	1921.00	-	883.04	-	1038.02	-	0.00	-
25	राज्य वन विकास अभिकरण	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
26	अवैध खनन की रोकथाम	15.01	10.01	-	10.11	-	10.01	10.00	-	9.39	-	15.01	-	3.21	-
27	जैविक उद्यान, बीकानेर	500.03	500.03		500.00	-	2550.03	2500.00	-	2000.00	-	2500.03	-	0.00	-
28	वन धन योजना	0.02	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
29	परम्परागत जल संसाधनों का रखरखाव	0.01	0.01	-	-	-	0.01	0.00	-	0.00	-	0.01	-	0.00	-
30	आकल वुड फोसिल पार्क	0.01	0.01	-	-	-	500.00	500.00	-	0.00	-	500.00	-	0.00	-

31	प्रोजेक्ट लेपर्ड	220.00	220.00	-	219.69	-	1542.00	1500.00	-	1422.51	-	300.00	-	83.10	-
32	गोडावण संरक्षण एवं चारागाह विकास	242.00	215.00	-	212.32	-	715.00	700.00	-	697.97	-	250.00	-	143.77	-
33	स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट	13.64	13.64	-	13.64	-	2712.40	1912.40	-	1587.68	-	321.55	-	6.64	-
34	प्रोजेक्ट एलीफेन्ट (हाथी)	81.40	71.84	6.19	10.32	6.19	76.72	80.00	36.00	40.00	24.00	88.00	0.00	20.00	12.00
35	ग्रीन इंडिया मिशन	0.02	0.02	-	0.00	-	0.02	0.00	-	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
36	इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे पुनः वृक्षारोपण	1117.10	1117.10	-	1093.41	-	0.01	0.00	-	0.00	-	2335.07	-	0.00	- -
37	कैम्पा	24000.08	23087.57		20905.58	-	29690.07	26200.00	-	24234.66	-	17813.57	-	5870.27	-
38	जूलीफ्लोरा का उन्मूलन ओर स्थानीय प्रजाति के पेड़ों का पौधारोपण	350.00	350.00	-	348.79	-	350.00	350.00	-	276.23	-	350.00	-	108.93	-
39	**पंचायतराज संस्थाओं में स्थानान्तरित कर्मचारियों के स्थापना व्यय**	1000.00	820	-	753.61	-	820.00	1069.27	-	857.26	-	1020.00	-	419.50	-
40	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (RFBDP)	0.03	30.02	-	13.09	-	1000.22	8309.00	-	8308.99	-	23791.67	-	2500.00	-
41	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	0.03	0.03	-	0	-	500.00	500.00	-	500.00	-	0.03	-	0.00	-
42	परिस्थितिकी पर्यटन लवकुश वाटिका	3000.00	3000	-	2946.27	-	3500.00	4000.00	-	3674.20	-	5000.00	-	672.05	-
43	बोटैनिकल गार्डन	0.06	485.05	-	412.77	-	485.05	485.00	-	451.20	-	500.05	-	119.32	-
44	प्रकृति अनुभव केन्द्र	1000.00	0.03	-	0	-	0.03	0.00	-	0.00	-	0.03	-	0.00	-
45	वन्यजीव बचाव केन्द्र	0.06	660.02	-	345	-	702.03	702.00	-	439.69	-	425.01	-	0.00	-

46	सांभर झील प्रबंधन परियोजना	**0.09**	**0.085**	-	**0**	-	**0.09**	**0.00**	-	**0.00**	-	**0.09**	-	**0.00**	-
47	चारागाह विकास	-	-	-	-	-	**500.00**	**0.00**	-	**0.00**	-	**0.03**	-	**0.00**	-
48	राजस्थान जलवायु परिवर्तन परियोजना **(CRESEP)**	-	-	-	-	-	-	-	-		-	**0.07**	-	**0.00**	-
	योग	**82807.07**	**82830.90**	**366.84**	**72657.81**	**366.84**	**122246.18**	**133791.63**	**1019.03**	**118098.84**	**1022.12**	**129911.89**	**574.68**	**32085.20**	**545.04**

परिशिष्ट–5

वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक कुल प्राप्तियां एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान की तुलना में माह नवम्बर 2024 तक कुल प्राप्तियों का वर्षवार विवरण–
(राशि लाखों में)

क्र. सं.	राजस्व मद 0406	प्राप्तियां 2021–22	प्राप्तियां 2022–23	प्राप्तियां 2023–24	बजट अनुमान 2024–25	माह नवम्बर 2024 तक कुल प्राप्तियां
1	101–01 इमारती लकड़ी व अन्य उत्पाद की बिक्री से आय	266.28	414.63	526.62	0.0	90.34
2	101–02–जलाने की लकड़ी और कोयला व्यापार योजना	609.85	3225.76	945.57	0.0	51.51
3	101–03–बांस में प्राप्तियां	322.22	307.08	133.43	0.0	2.16
4	101–04–घास तथा वन की शुद्ध उपज	173.1	205.49	309.1	200.00	77.76
5	101–06–01तेंदू पत्ता व्यापार योजना तेंदू पत्तों के विक्रय से प्राप्तियां	4003.82	4654.48	2094.99	6051.71	1720.71
6	101–06–02–अन्य विविध प्राप्तियां	31.96	39.14	21.62	21.00	18.82
7	800–01–अर्थ दण्ड और राजसात्करण	1845.15	1985.82	2195.01	2500.00	1361.04
8	800–02 शिकार अनुज्ञा	1.53	0.34	0	0.01	0.01
9	800–04–ऐसे वनों में प्राप्त राजस्व, जिनका प्रबन्ध सरकार नहीं करती	3.68	3.19	18.89	20.00	1.26
10	800–05–अन्य विविध प्राप्तियां	1363.8	684.05	519.68	650.00	285.30
11	800–06–गैर वन भूमि के वृक्षारोपण के अधिगृहण की क्षतिपूर्ति से प्राप्तियां	745.82	1174.64	821.74	1500.00	672.54
12	050–01–अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां	8.59	2.47	23.18	1.00	33.66

13	050–02–अनुपयोगी सामानों की नीलामी से प्राप्तयां	43.62	5.22	13.36	5.00	11.55
14	02–111–01– चिड़ियाधर से प्राप्तियां	267.9	380.52	383.59	700.00	251.86
15	02–800–01– इको डवलपमेन्ट से आय	424.74	600.25	865.9	900.00	613.55
16	02–800–02 रणथम्भौर बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	472.75	1045.31	1602.68	1500.00	1140.35
17	02–800–03–सरिस्का बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	62.00	73.92	99.73	84.00	50.07
18	02–800–04– रणथम्भौर बाघ परियोजना में ईको डवलपमेन्ट	953.84	1727.22	2352.91	2500.00	1334.45
19	02–800–05–सरिस्का बाघ परियोजना में ईको डवलपमेन्ट से आय	130.77	159.57	208.69	180.00	105.35
20	06–अन्य अभ्यारण्यों में प्रवेश शुल्क से आय	370.84	544.46	627.42	670.00	412.29
21	050–01–अनुपयोगी वाहनो के निस्तारण से प्राप्तियां	2.57	11.61	40.56	12.00	31.35
22	050–02–अनुपयोगी सामानों के निस्तारण से प्राप्तियां	8.69	0.32	2.39	5.00	1.06
23	02–900–01 राजस्व वापसी	-225.99	-16.69	0	-0.01	0
24	01–900–01 राजस्व वापसी	0.95	0	0	-001	0
25	801– अनुदान ग्राही से अव्ययीत शेष पर ब्याज 01 प्रोजेक्ट टाइगर	0	0	**0**	0.10	0
26	02–अन्य अभ्यारण्यों का रख रखाव	0	0	0	0.10	0
27	03– प्रोजेक्ट एलीफेंट	0	0	0	0.10	0
	महायोग	**11888.48**	**17228.80**	**13807.06**	**17500.00**	**8266.99**
	वन विकास निगम से संबंधित राशि	–	–	1605.62	–	144.01
	शुद्ध राशि	–	–	12201.44	**17500.00**	**8122.98**

(परिशिष्ट–6)

राज्य योजना में वर्ष 2022–23, 2023–24 तथा 2024–25 (माह दिसम्बर, 2024) तक वृक्षारोपण की प्रगति

क्र.सं	योजना / मद	इकाई	वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25 (दिसम्बर, 2024)	
			उपलब्धियां	उपलब्धियां	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां (माह दिसम्बर, 2024 तक)
A	वानिकी					
i	पर्यावरण वानिकी (वृक्षारोपण)	है.	600.00	600.00	600.00	600.00
ii	भाखडा नहर एवं गंग नहर वृक्षारोपण	है.	393.89	0.00	0.00	0.00
iii	परिभ्राषित वनों का पुनरारोपण (वृक्षारोपण)	है.	20000	24450.00	26500.00	26500.00
iv	जलवायु परिवर्तन वृक्षारोपण	है.	10000	15450.00	17475.00	17475.00
v	चारागाह विकास	है.	0.00	0.00	9700.00	8553.00
B	नाबार्ड					
i	नाबार्ड वनीकरण वृक्षारोपण	है.	14300	21200.00	0.00	0.00
C	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना					
i	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना **(RFBDP)** वृक्षारोपण	है.	0.00	0.00	6100.00	6100.00
D	इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे पुनः वृक्षारोपण	है.	604.91	0.00	0.00	0.00
E	कैम्पा (वृक्षारोपण)	है.	10711.79	15595.40	19392.09	19342.09

परिशिष्ट –7

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018–19, 2019–20 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 (दिसम्बर,2024) वृक्षारोपण सम्बन्धित जिलेवार उपलब्धि

क. सं.	जिला	वृक्षारोपण (हैक्टेयर में)							रोपित पौधे एवं बीजारोपण अंकुरित पौधे (संख्या लाखो में)						
		उपलब्धि 2018–19	उपलब्धि 2019–20	उपलब्धि 2020–21	उपलब्धि 2021–22	उपलब्धि 2022–23	उपलब्धि 2023–24	उपलब्धि 2024–25 (दिसम्बर,2024)	उपलब्धि 2018–19	उपलब्धि 2019–20	उपलब्धि 2020–21	उपलब्धि 2021–22	उपलब्धि 2022–23	उपलब्धि 2023–24	उपलब्धि 2024–25 (दिसम्बर,2024)
1	अजमेर	910	1153	1211.704	1197.07	2095.00	4949.11	4856.00	5.92	6.91	8.54	7.56	10.58	23.60	20.26
2	अलवर	1279	920	1592	1952.95	2450.00	3600.00	4262.00	11.78	9.19	8.15	12.67	11.76	7.55	27.70
3	बांसवाड़ा	1030	1500	782.36	1248.98	1717.00	1500.00	3015.00	6.31	7.52	4.14	6.41	9.37	6.90	15.92
4	बारां	2111	222	590.48	950.00	1950.00	2075.86	2997.22	15.41	4.52	7.49	8.61	17.51	10.44	23.34
5	बाड़मेर	857	485	370.27	560.00	625.00	8346.00	8793.00	8.23	4.64	2.56	3.64	3.75	25.15	20.53
6	भरतपुर	165	200	729.32	726.97	1128.00	1928.00	1902.00	0.82	1.86	5.51	4.93	7.85	8.93	10.42
7	भीलवाड़ा	500	1020	1278	1375.00	1950.00	1670.00	2908.73	1.83	2.25	4.627	7.74	7.62	3.44	18.59
8	बीकानेर	739	571	1524.36	439.55	1822.21	3865.95	3749.65	5.02	3.95	9.034	3.03	12.14	20.87	20.70
9	बून्दी	969	220	544.52	652.14	1530.00	3161.66	2597.00	4.52	1.30	3.14	2.94	6.48	13.09	18.72
10	चित्तौड़गढ़	2243	1358	1730.68	2083.48	1820.00	2929.93	2950.00	14.34	3.92	9.83	8.17	13.23	15.14	15.33
11	चूरू	824	1024	1042	1246.00	391.00	870.00	715.00	3.79	4.35	4.60	5.93	1.68	1.34	4.47
12	दौसा	345	400	568	1394.74	1375.00	900.00	825.79	1.62	1.10	3.17	11.79	5.50	4.87	1.74

13	धौलपुर	580	864	1042	2467.00	1499.00	4079.00	6912.88	4.43	5.50	7.74	14.51	9.31	15.87	28.32
14	डूंगरपुर	1871	1412	710.20	866.87	1260.00	1543.68	1250.00	10.81	9.19	6.22	7.67	10.83	12.37	6.30
15	श्रीगंगानगर	704	610	631.93	664.69	1329.32	4164.30	4571.00	4.99	6.10	6.60	4.44	8.56	26.82	28.02
16	हनुमानगढ़	752	608	992.13	1835.94	1578.35	3170.85	1163.00	6.07	4.48	4.115	11.68	11.75	15.86	5.59
17	जयपुर	780	1321	1211.28	1850.00	2800.00	2369.13	3700.00	3.26	10.66	7.873	8.45	12.55	14.25	21.25
18	जालौर	840	912	1355.38	1100.80	1523.80	8328.00	3123.37	5.27	7.49	9.4	7.38	5.32	18.16	13.97
19	जैसलमेर	754	1728	1350.36	1769.43	2960.00	5021.69	6611.59	4.40	10.59	10.91	10.76	17.70	29.30	38.30
20	झालावाड़	1010	734	753.55	781.21	1436.50	3078.12	2450.00	5.30	8.60	9.13	5.44	11.25	13.71	22.10
21	झुन्झुनूं	1082	1188	1837	1870.02	1510.00	970.00	4269.00	6.49	7.13	12.08	12.53	12.85	7.84	21.90
22	जोधपुर	651	632	1021.46	2725.50	1587.17	8453.44	9371.30	3.02	3.44	2.35	5.10	4.33	19.35	23.44
23	करौली	1110	308	923.42	1060.00	709.00	3541.70	2241.00	5.28	1.87	5.06	7.40	2.90	12.70	12.90
24	कोटा	2121	500	735	1250.00	2136.00	2521.66	2518.50	11.35	5.47	5.56	8.40	9.56	10.80	14.55
25	नागौर	335	237	989.12	1490.00	2644.00	2620.00	2915.00	1.15	1.46	5.311	8.27	11.78	14.31	18.96
26	पाली	1357	783	776	1280.00	770.71	5230.00	6700.00	5.89	4.14	4.14	10.35	12.67	6.19	14.18
27	प्रतापगढ़	2438	1127	650	1700.00	2727.86	3508.95	1937.00	11.72	8.37	3.25	8.35	12.70	19.33	10.55
28	राजसमन्द	859	1150	495	445.00	550.00	1230.00	1638.00	4.08	1.48	4.033	1.85	3.58	5.68	9.45
29	सवाईमाधोपुर	536	540	793.64	1460.00	1520.00	1925.97	2060.00	1.77	2.58	3.98	7.05	7.29	10.80	10.17
30	सीकर	1351	1487	1434.11	1941.88	2420.00	2150.00	2950.00	7.15	8.61	9.855	12.51	16.01	15.11	19.28
31	सिरोही	368	350	587.05	326.34	825.00	3763.28	4730.26	1.13	1.44	3.38	2.26	7.18	8.01	20.43
32	टोंक	260	212	1070.76	1192.00	2354.00	2147.87	1600.00	4.25	1.95	7.66	9.25	9.66	7.05	9.86
33	उदयपुर	3067	2732	2188.24	3756.34	8253.00	6676.18	6085.00	16.17	17.59	15.81	22.31	51.27	42.33	31.37
	कुल	**34798**	**28510**	**33511.32**	**45659.90**	**61246.92**	**112290.33**	**118368.29**	**203.56**	**179.64**	**215.23**	**269.38**	**356.51**	**467.15**	**578.62**

परिशिष्ट–8

विभिन्न न्यायालयों में विचारधीन न्यायिक प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	विचाराधीन प्रकरणों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 की स्थिति अनुसार)
1	सर्वोच्च न्यायालय	29
2	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.)	21
3	उच्च न्यायालय जोधपुर	632
4	उच्च न्यायालय पीठ जयपुर	1032
5	सिविल सेवा अपील अधिकरण	214
6	अधीनस्थ न्यायालय	1628
7	अधिकरण न्यायालय	2
	योग	**3558**

परिशिष्ट–9

नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन व जनलेखा समिति के प्रकरण

क्र.सं.	01.04.2022 को बकाया		निस्तारण 2022–23		01.04.2023 को बकाया		निस्तारण 2023–24		01.04.2024 से 31.12.2024 तक प्राप्त		31.12.2024 को बकाया	
	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा
सीएजी	4	15	3	12	2	15	2	15	2	14	2	14
पीएजी	1	17	1	17	1	7	1	7	–	–	–	–
ड्राफ्ट पैरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
तथ्यात्मक विवरण	–	2	–	2	–	1	–	1	–	2	–	1

महालेखाकार प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	01.04.2021 को बकाया		निस्तारण 2021–22		01.04.2022 को बकाया		निस्तारण 2022–23		01.04.2023 को बकाया		निस्तारण 2023–24		31.12.2024 को बकाया	
महालेखाकार के आक्षेप	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा		
	347	**1498**	00	00	410	1753	58	202	382	178 5	3	11	397	1867

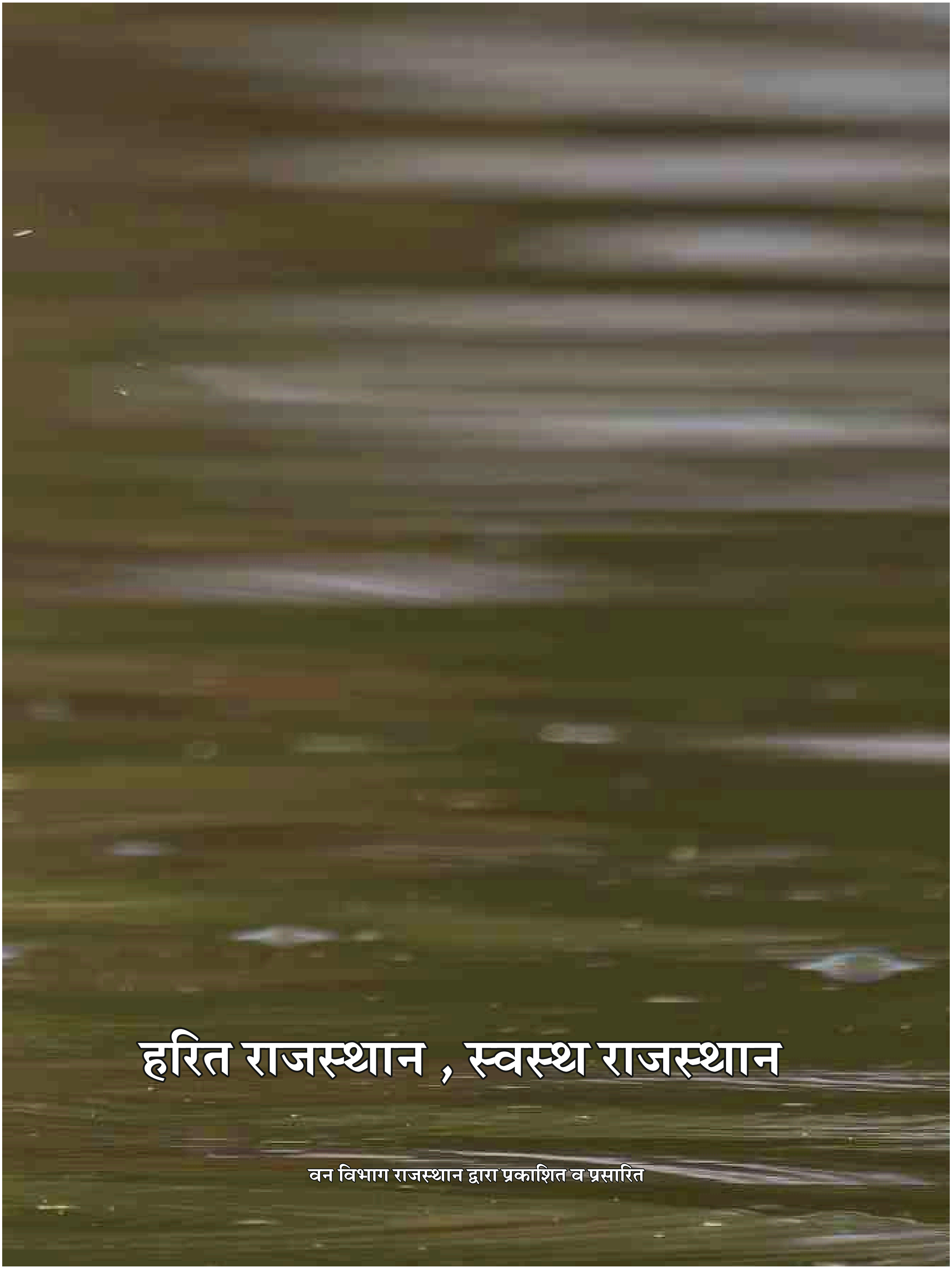
हरित राजस्थान , स्वस्थ राजस्थान
वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित व प्रसारित